


अंतरा

अर्धवार्षिक पत्रिका, अंक-6
15 अगस्त, 2014



दीक्षान्त समारोह-2014



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

परिसर के इरोखे से



जीव विज्ञान एवं जैविक अभियांत्रिकी भवन

सादर अनुरोध

1. अंतस् के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु अपनी रचनाएं शीघ्रतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें।
2. रचनाएं यथासंभव टाइप की हुई हों, रचनाकार का पूरा नाम, पद एवं पता का उल्लेख अपेक्षित है।
3. रचना की विषय-वस्तु प्रौद्योगिकी, विज्ञान अथवा मानविकी पर आधारित होनी चाहिए।
4. आवश्यकतानुसार लेखों में शामिल छाया-चित्र, आंकड़ों से संबंधित आरेख स्पष्ट होने चाहिए।
5. प्रयुक्त भाषा सरल, स्पष्ट एवं सुवाच्य हिंदी भाषा हो।
6. अनूदित लेखों की प्रामाणिकता अवश्य सुनिश्चित करें। अनुवाद में सहायता हेतु संस्थान राजभाषा प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।
7. लेख मौलिक एवं यथासंभव अप्रकाशित होने चाहिए।

स-आभार
संपादक मंडल

नोट-पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता, तार्किकता एवं सत्यता हेतु लेखकगण उत्तरदायी हैं।



संकेतक

शुभेच्छा

निदेशक की कलम से
उप निदेशक की दृष्टि में
सम्पादकीय

1
2
3

विशेष

दीक्षान्त समारोह-2014

4

गुरुदक्षिणा

श्री उमंग गुप्ता

6

भेंटवार्ता

प्रोफेसर बि. वि. फणि

10

विरासत

कहानी – शरतचन्द्र

12

साहित्य यात्रा

नज्म एवं गज़ल (स-आभार)

14

ऋतुराज

15

क्या लिखूँ

15

हिंदी बनाम अंग्रेजी (लेख)

16

कौन?

17

एक पत्ता हूँ

17

भटकन

17

सूर्यास्त

18

प्रेम की तलहटी

18

रिश्ते का दर्द

18

गायत्री मंत्र (लेख)

19

क्या ईश्वर सर्वव्याप्त है ?

20

कोशिश

21

मौके

21

यादों की रेल (संस्मरण)

22

उत्तर भारतीय संगीत में लय एवं ताल का महत्व 24

मैं हारा नहीं हूँ 25

मेहनत की रोटी 26

कुछ नशा तो है तेरी बातों में 26

कश्मीर के वृत्तांत 27

मैं जीवन हूँ 28

रज़ाई 28

मैं कौन हूँ? 29

एक खोया गाँधी 29

21वीं सदी का यक्ष संवाद 30

वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति 33

हिंदी साहित्य सभा

एक परिचय 37

सरोकार

प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की समस्या 38

जन-सूचना अधिकार अधिनियम – एक समीक्षा 42

परिसर की गतिविधियाँ

छायाचित्र 44

भाषा-विमर्श

काव्य-शास्त्र 46

हिंदी-भाषा 47

बालबत्तीसी

लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है (लघुकथा) 50

तकनीकी यात्रा

नैनो तकनीक 52

कार्यालयीन उपयोगी टिप्पणियाँ 55

अंतस् परिवार

संरक्षक
प्रोफेसर इन्द्रनील मान्ना
निदेशक

परामर्शदाता
प्रोफेसर सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव
उपनिदेशक

मुख्य संपादक
प्रोफेसर भारत लोहनी

संपादक
डॉ. वेदप्रकाश सिंह

संपादन-सहयोग
प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा
प्रोफेसर सर्वेश चन्द्रा
प्रोफेसर हरीशचन्द्र वर्मा
प्रोफेसर शिखा दीक्षित
प्रोफेसर समीर खांडेकर
डॉ. ओमप्रकाश मिश्र

अभिकल्प
सुनीता सिंह

वर्तनीशोधन
विष्णु प्रसाद गुप्ता
जगदीश प्रसाद
भारत देशमुख

छायाचित्र
रवि शुक्ल

सहयोग
विद्यार्थी हिंदी साहित्य सभा



शिक्षा का समाज से चिरन्तन नाता है। शिक्षा ही मनुष्य को निखारती है, उसके आभ्यन्तर का परिष्कार कर उसके व्यक्तित्व को वैशिष्ट्य प्रदान करती है तथा उसके गौरव तथा मान की अभिवृद्धि करती है। इसी भाँति विश्व पटल पर उन शिक्षण संस्थानों की पहचान बनती है जो समग्र रूप से अथवा विषय विशेष में शिक्षार्थियों को पूर्णता प्रदान करते हैं और उनकी प्रतिभा का चतुर्मुखी विकास कर उन्हें नये आयामों पर पहुँचाते हैं। यद्यपि इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य कारक तो शिक्षार्थियों की स्वयं की नैसर्गिक प्रतिभा होती है परन्तु भाषा ही श्रेष्ठ शिक्षकों-गुरुजनों के सान्निध्य, संसर्ग और मार्गदर्शन में क्रमशः उनको पल्लवित, परिमार्जित एवं संस्कारित करती है। भारतवर्ष में गुरु-शिष्य, शिक्षक-शिक्षार्थी परम्परा तथा गुरुकुल-ज्ञान के केन्द्रों का सदैव ही गौरवमयी स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं आह्वान करता हूँ कि आइये हम सभी अपने संस्थान को, शिक्षक-शिक्षार्थियों के मध्य की इसी गौरवशाली परम्परा का, एक दैदीप्यमान उदाहरण बनाने के लिए उद्यत हों। हमारा संस्थान न केवल विश्वस्तर पर तकनीकी शिक्षण का एक अग्रणी, लब्धप्रतिष्ठ, स्पृहणीय ज्ञान-केन्द्र बने वरन् संस्थान परिसर में हमारे शिक्षकों-शिक्षार्थियों के मध्य शिक्षण के साथ-साथ संरक्षक, मार्गदर्शक व सविनय ज्ञानार्जन के उद्बोधन जैसे चिर-भावनात्मक संबंधों का भी विकास हो।

अब “अंतस्” की बात करते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि “अंतस् पत्रिका” स्वयं में क्रमशः नये मानदंड स्थापित कर रही है और अपने आकर्षक कलेवर, रचनाओं, प्रस्तुति, लेखन-स्तर एवं विविधता के लिए यह सभी के द्वारा निरंतर सराही जा रही है। निश्चय ही वे लोग जिनका अंतस् से किसी भी रूप में संबंध है या जो इसमें अपना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान देते हुए भागीदारी निभा रहे हैं, इससे एक अव्यक्त संतुष्टि अनुभूत करेंगे तथा “अंतस्” को और बुलंदी प्रदान करने के निमित्त अधिकाधिक उत्प्रेरित होंगे।

मेरी प्रत्याशा है कि “अंतस्” अपने रचनाकारों की सशक्त, विचारोत्तेजक एवं प्रेरणाप्रद रचनाओं और उनके कथ्य से यूँ ही समृद्ध होती रहेगी। आपके समक्ष “अंतस्” के छठवें अंक की प्रस्तुति के साथ मैं पत्रिका के सभी भागीदारों का आभार व्यक्त करता हूँ तथा अपेक्षा रखता हूँ कि “अंतस्” के साथ वे अपनी सहभागिता इसी भाँति अनवरत् बनाये रखेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

इ.मान्ना

इन्द्रनील मान्ना
निदेशक

निदेशक की कलम से...



हिन्दी भाषा लोकभाषाओं, बोलियों, अपभ्रंश, प्राकृत और पालि जैसी भाषाओं का आधार लेकर खड़ी हुई है। आज के हिन्दी भाषा की नींव भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रखी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे परिमार्जित किया, मुंशी प्रेमचंद ने पल्लवित किया तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत ने अपने ओज और तेजस से सींचा, बाबू देवकी नंदन खत्री ने आम जन तक पहुँचाया और मैथिलीशरण गुप्त, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने इसे राष्ट्रव्यापी बनाया। यह हिंदी भाषा में अंतर्निहित संप्रेषणीयता का ही जादू था कि आजादी के संघर्ष में शामिल अनेक स्वतन्त्रता सेनानी पश्चिमी सभ्यता में पले-बढ़े होने के बावजूद जनता से हिन्दी भाषा में ही संवाद करते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पले-बढ़े गुजराती पृष्ठभूमि में और बैरिस्टरी की पढ़ाई की विदेशी भाषा में परंतु वैचारिक आदान-प्रदान के लिए उन्होंने हिन्दी भाषा को ही अपनाया। इसी भाषा में उनका आह्वान सुन कर हजारों लोग घरों से निकल पड़ते थे। बाल गंगाधर तिलक ने इसी भाषा में नारा दिया था "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।" कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी भाषा स्वदेशी, स्वराज्य और स्वतंत्रता की हर मुहिम में देशवासियों के साथ रही है।

वस्तुतः जब हिन्दी भाषा को सरकारी काम-काज में राजभाषा के रूप में अपनाने की कल्पना की गई तो साथ में यह संकल्पना भी की गयी थी कि "इसका पल्लवन और पोषण इस प्रकार से हो ताकि यह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बने।" इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशासनिक क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी नीति-निर्धारकों की अपेक्षाओं को पूरा तो कर रही है परंतु केवल इतने से ही अब राजभाषा का काम नहीं चलने वाला। आज के वैश्विक उदारतावादी माहौल में राजभाषा हिन्दी जब तक दुनिया की अन्य भाषाओं के साहचर्य से अपने को विकसित नहीं करेगी तब तक वह अपने ही लोगों के पूर्वाग्रहों के चलते आम जनता से कटी रहेगी। अतः अब आवश्यकता है कि राजभाषा हिन्दी विज्ञान की भाषा बने, तकनीक की भाषा बने। मेरा विश्वास है कि इस संस्थान के विद्यार्थी और शिक्षक इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभायेंगे।

हर्ष का विषय है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों, संस्थान-कर्मियों और परिसर-समुदाय की सहभागिता से राजभाषा प्रकोष्ठ बड़ी सजगता से "अंतस्" पत्रिका का सफल प्रकाशन कर रहा है। इसी कड़ी में पत्रिका का छठा अंक पाठकों को समर्पित है। सभी रचनाकारों और संवेदनशील पाठकों को इस विश्वास के साथ बहुत-बहुत बधाई कि पत्रिका के सतत् परिष्कार और अबाधित प्रकाशन में आपका सहयोग मिलता रहेगा।

उपनिदेशक की दृष्टि में...



सुरेश श्रीवास्तव

सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव
उपनिदेशक

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज 'अंतस्' का नया अंक प्रकाशित हो रहा है। मैं इस पावन दिन पर आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तीन वर्ष पूर्व शुरू हुई इस साहित्य-यात्रा ने आज अपना छठा पड़ाव पार किया है। इस यात्रा की अगुवाई करने वाले मुख्य संपादक श्री (डॉ.) अरुण कुमार शर्माजी का और उनकी समस्त टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। 'अंतस्' की सफलता का श्रेय डॉ. शर्माजी तथा संस्थान के पूर्ण सहयोग और समर्थन को जाता है। संपादक मंडल और संस्थान ने अभी पिछले ही दिनों, डॉ. शर्माजी की व्यस्तता के चलते, मुझे सम्पादकीय कार्य सौंपा है। 'अंतस्' के संपादक मंडल और राजभाषा प्रकोष्ठ के विद्वान पदाधिकारियों के सहयोग के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 'अंतस्' के रूप में ये साहित्य-यात्रा आने वाले समय में भी अनवरत जारी रहेगी।

इस अंक में आप हमारे पूर्व छात्र उमंग गुप्ता की तकनीकी और व्यापारिक सफलता की एक झलक देखेंगे। उद्यमिता हर भारतवासी के रंग-रंग में बसती है, तथा देश की आर्थिक और सामाजिक हालत अच्छी होने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। प्रो. बि. वि. फणि अपने साक्षात्कार में बता रहे हैं कि कैसे संस्थान इस महायज्ञ में अपना योगदान दे रहा है।

मन के विचारों को शब्दों के सहारे कागज़ पर उतारने की सबसे सुंदर विधा काव्य ही है। कानपुर शहर के मशहूर शायर कम्बरी जी की गजल 'मुझपे वो मेहरबान है शायद' से आरम्भ होने के साथ 'अंतस्' का यह अंक काव्य रचनाओं से लबालब भरा है। मेरा विश्वास है कि पाठकगण काव्य के विभिन्न रसों का आनंद ले सकेंगे।

आतंकवाद के चरम पर कश्मीर के बच्चे-बच्चे के मन में रोपे जाने वाले भावों जैसे "आजादी एक ऐसा वर्फ का गोला है जो आने वाली गर्मियों में आसमान से गिरने वाला है", को पूर्व छात्र मो. अशरफ भट्ट ने अपने लेख कश्मीर वृत्तांत में बखूबी उभारा है। अपने देश की वर्तमान स्थिति पर अंतर्द्वन्द्व और अंतर्द्वन्द्व से निकले कुछ यक्ष प्रश्न '21वीं सदी का यक्ष संवाद' लेख में मिलेंगे जो आपको सोचने को विवश कर देंगे।

'अंतस्' परिवार की कोशिश है कि संस्थान के हर व्यक्ति के लिए इस अंक में कुछ न कुछ जरूर हो। यह संस्थान की पत्रिका, संस्थान के लोगों के द्वारा, संस्थान के लोगों के लिए ही है। संस्थान के लोगों से मेरी विनती है कि अपनी रचनाओं को हम तक जरूर भेजें ताकि आने वाले अंकों में उनको प्रकाशित किया जा सके और आपकी प्रतिभा और विचारों को संस्थान के हर मानस तक पहुँचाया जा सके।

पुनः 'अंतस्' के इस अंक को आपके हाथों में सौंपते हुए मैं आह्लादित हूँ। 'अंतस' परिवार की समस्त कोशिशों के बाद भी कुछ त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। आशा है आप उन त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे और विगत की भांति भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। पुनः आप सब को स्वतन्त्रता-दिवस की बधाई।

भारत लोहनी

भारत लोहनी

सम्पादकीय



किसी भी इंसान के जीवन का सर्वोत्तम काल उसका विद्यार्थी जीवन होता है क्योंकि इसी अवधि में उसके भविष्य की आधारशिला तैयार होती है। इंसान इस दौर में न केवल शिक्षा ग्रहण करता है बल्कि आने वाले समय के लिए अपनी सशक्त नींव भी तैयार करता है। देखा जाए तो इस दौरान परिपक्व शिक्षकगण सच्चे अर्थों में मनुष्य का निर्माण करते हैं, उसका विकास करते हैं क्योंकि यही शिक्षा का मूल है, साथ ही साथ यह एक सतत् प्रक्रिया भी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के लगनशील एवं समर्पित शिक्षकों तथा उनकी विशिष्ट शिक्षण पद्धति में, भारत में सनातन काल से चली आ रही उक्त परिपाटी एवं विचारधारा के व्यावहारिक पक्ष का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। गुरु-शिष्य परंपरा के अनुक्रम में शिक्षा-दीक्षा की इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा दिनांक 18 जून, 2014 को 46वें; दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की मुख्य विशेषता यह थी कि पहली बार विद्यार्थियों की सुगमता हेतु दीक्षान्त समारोह का कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया गया। यह देखते ही बनता था कि भा.प्रौ.संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से उपाधि प्राप्त करते हुए छात्रगण किस प्रकार आत्मविश्वास से लबरेज थे, उनकी प्रत्येक भावभंगिमा में 'हम होंगे कामयाब' की भावनाएं मानो हिलोरे मार रही थीं तथा छात्रगण हर्ष एवं उल्लास के अतिरेक से थिरकते नजर आ रहे थे। उन्होंने आज अपने सुनहरे भविष्य की पहली दहलीज़ सफलतापूर्वक पार कर ली थी परन्तु साथ-साथ कहीं यह भी आभासित हो रहा था कि अपने मातृ संस्थान एवं मित्रों से बिछुड़ने की मूक पीड़ा भी उन्हें सता रही थी।

संस्थान के 46वें; दीक्षान्त समारोह के प्रथम चरण के मुख्य अतिथि विख्यात जर्मन वैज्ञानिक, नोबल पुरस्कार विजेता डॉ. जोहांस जॉर्ज बेद्नार्ज थे, जिन्होंने परा-स्नातक विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान कीं एवं अपना दीक्षान्त अभिभाषण दिया। दीक्षान्त समारोह के दूसरे चरण के मुख्य अतिथि इसरो के अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन, थे जिन्होंने संस्थान के पूर्व-स्नातक विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रूप से उपाधियाँ प्रदान कीं तथा अपना दीक्षान्त अभिभाषण दिया। उनके द्वारा विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किये गए। दीक्षान्त समारोह के दौरान कुल 1273 विद्यार्थियों, जिसमें 462 बी.टेक, 112 बी.टेक-एम.टेक (दोहरी उपाधि), 88 एम.एससी. (पाँच वर्षीय), 37 वी.एल.एफ.एम., 111 एम.एससी. (दो वर्षीय), 46 एम.बी.ए., 12 एम.डिस., 284 एम.टेक एवं 121 पी-एचडी के विद्यार्थी सम्मिलित थे, को उपाधियाँ प्रदान की गईं। देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, समाज-सेवियों तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों की उपस्थिति से समारोह की गरिमा और बढ़ गई थी। इस समारोह की अध्यक्षता संस्थान के संचालक मंडल के अध्यक्ष प्रो. मु आनंदकृष्णन द्वारा की गई जबकि निदेशक प्रो. इन्द्रनील मान्ना ने निदेशक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपने प्रतिवेदन में निदेशक महोदय ने संस्थान की साल भर की शैक्षणिक

गतिविधियों, संस्थान में पृथ्वी विज्ञान विभाग की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित प्रगति, स्वीकृत मुख्य परियोजनाओं, अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग, संस्थान स्थापना दिवस तथा संस्थान के वित्तीय स्रोतों इत्यादि के बारे में उपस्थित मेहमानों को विस्तार से जानकारी दी।

दीक्षान्त समारोह के प्रथम चरण के मुख्य अतिथि डॉ. जोहांस जॉर्ज बेद्नार्ज ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सीख दी कि वे देश-विदेश, कहीं भी रहें, अपने व्यवसाय में लीडरशिप प्राप्त करें और मानवीय रिश्तों के नये मानक स्थापित करें। उन्होंने विद्यार्थियों को गांधीजी का स्मरण दिलाया तथा प्रेरित किया कि वे परिवर्तन का कारण बनें। विद्यार्थियों के लिये उनका संदेश स्पष्ट था कि उन्हें ऐसे सकारात्मक कार्य करने चाहिए जिन्हें वे दुनिया में स्वयं देखना चाहते हैं। उनसे अपेक्षा है कि वे देश की सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियों को हल करने के रास्ते निकालने हेतु अवश्य ही उद्यम करेंगे। वहीं इस समारोह के द्वितीय चरण के मुख्य अतिथि डॉ. के राधाकृष्णन ने छात्रवृंद के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि वे सदैव जिज्ञासु तथा अध्ययनशील बनने की कोशिश करें। अपने अभिभाषण में डॉ. राधाकृष्णन ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला और विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अधिकाधिक अनुसंधान हेतु आगे आएं और इसमें अपनी सहभागिता बढ़ायें।

संस्थान के दीक्षान्त समारोह में अलग-अलग पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने की हमेशा से परंपरा रही है। इस कड़ी में इस वर्ष निम्नांकित विद्यार्थियों को पदक से अलंकृत किया गया :



राष्ट्रपति स्वर्ण पदक
नितीश कुमार श्रीवास्तव (विद्युत अभियांत्रिकी)



निदेशक स्वर्ण पदक
वत्सल शरन (विद्युत अभियांत्रिकी)



रतनस्वरूप स्मृति पुरस्कार
सौम्या कपूर (रासायनिक अभियांत्रिकी)



डॉ. शंकर दयाल शर्मा पदक
गौरांगी गुप्ता (विद्युत अभियांत्रिकी)



केडेन्स स्वर्ण पदक
विशेष कुमार पंजाबी (सिविल अभियांत्रिकी)



कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत में चिरकाल से शिक्षा-दीक्षा के मूल में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। गुरु-शिष्य संबंध तर्क से नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा, समादर और समर्पण से नियत होता है। अतः ऐसे कार्यक्रमों में शिक्षको का सम्मान जहाँ प्रेरणापरक होता है, वहीं वह समारोह की अतिरिक्त शोभा तथा अलंकरण का उपादान भी होता है। तदनुसृत दीक्षान्त समारोह में विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के प्रो. ए. के. हरीश को 'गोपाल दास भंडारी स्मारक शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। दीक्षान्त समारोह में अलंकरण की गरिमा को चार चाँद तब लगे जब संस्थान के पूर्व छात्र प्रो. राकेश जैन, निदेशक, ई.एल.स्टील लेबोरेटरी ऑफ ट्यूमर बायोलॉजी मॉसाचुसेट्स जनरल हास्पिटल, पूर्व संकाय सदस्य प्रो. तिरुपत्तूर वेंकटाचलमूर्ती रामाकृष्णन, विज्ञान प्राध्यापक, डी.एस.टी. एवं प्रो. वैद्येश्वरन राजारमन तथा प्रतिष्ठित समाजसेवी, लेखक एवं पत्रकार डॉ. अरुण शौरी को उनके उल्लेखनीय योगदान एवं उपलब्धियों के लिए 'डाक्टर ऑफ साइंस' की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

संस्थान के निदेशक प्रो. इन्द्रनील मान्ना ने उपाधि धारक छात्रों का आह्वान किया कि वे संस्थान में अर्जित अपने ज्ञान से समाज एवं देश को प्रगति पथ पर और आगे ले जायें। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इसके लिए उन्हें संकल्पवान बनना पड़ेगा। निदेशक ने विद्यार्थियों के माता-पिता तथा अभिभावकों को साधुवाद दिया कि उन्होंने अपने संरक्षण में इन छात्रों को आत्मसंयम एवं आत्मानुशासन का उचित पाठ पढ़ाया है।

राजभाषा प्रकोष्ठ

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का अपने पूर्व छात्रों से अत्यंत गहरा और अविच्छेद संबंध रहा है। संस्थान जहाँ एक ओर अपने छात्रों के भविष्य को श्रेष्ठतम रूप में संवारने के लिए सतत सचेष्ट रहता है, उन्हें गढ़ने का प्रयास करता है, उनको यथासंभव मजबूत नींव प्रदान करता है और तदुपरान्त उनके उत्कर्ष में सदैव एक अघोषित गौरव भी महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर उसके छात्रों ने भी संस्थान के साथ अपने रिश्तों की इस मधुर डोर को भली-भाँति मजबूत बनाये रखने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है अपने कैरियर के उन्नयन में संस्थान के निस्पृह योगदान को उन्होंने हमेशा गुरु-कृपा की तरह आत्मसात किया है एवं गुरु-कृपा के इस ऋण से यत्किंचित उन्नयन होने के अव्यक्त अन्तर्भाव से उन्होंने सदा-सर्वदा न केवल एक अद्भुत एवं उदात्त-मनोभावना का परिचय दिया है अपितु सदा उससे ओत-प्रोत रहते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने में भी वे कभी पीछे नहीं रहे हैं।

पद्म पुराण के भूमिखण्ड 85-8 में वर्णन है —

“सर्वेषामेव लोकानाम् यथा सूर्यः प्रकाशकः

गुरुः प्रकाशकस्तद्विच्छिष्याणां बुद्धिदानतः।”

जिस प्रकार सूर्य सम्पूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर्जगत को प्रकाशपूर्ण बनाता है।

संत कबीर जी ने गुरु की महिमा इन शब्दों में गायी है —

“गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग माँगनहारा ।

तीनि लोक ब्रह्मंड में, सब के भरतारा ॥”

इस जगत में गुरु के अलावा और कोई दाता नहीं है, सारा जगत स्वयं भिखारी है। तीनों लोकों में केवल गुरु ही सबके स्वामी हैं, जो सबको हर चीज दे सकते हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि एक विद्यार्थी अपने शिक्षण-काल में एक अनगढ़ शिलाखंड की तरह रहता है जिसे गुरु-रूपी शिल्पकार अपनी शिक्षण-पद्धति से शनैः-शनैः तराशकर उसकी छिपी हुई प्रतिभा को निखारता है। उसी का प्रतिफल है कि संस्थान के अनेक पूर्व छात्रों ने देश-विदेश में निरंतर अपनी अकूत प्रतिभा का परचम लहराया है, उन्होंने अपने तकनीकी कौशल और सक्षम नेतृत्व के बलबूते विभिन्न क्षेत्रों में नित-नए आयामों को स्पर्श किया है और विश्व-पटल पर अपनी दक्षता का लोहा मनवाया है। इसी पृष्ठभूमि को केन्द्र में रखते हुए संस्थान के राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित अपनी षट्मासिक साहित्यिक पत्रिका ‘अंतस्’ में “गुरुदक्षिणा” शीर्षक से एक स्थाई स्तम्भ प्रकाशित किया जाता है जिसके माध्यम से संस्थान अपने होनहार, विलक्षण प्रतिभा के धनी एवं लब्धप्रतिष्ठ पूर्व छात्रों के प्रयासों, उनकी उपलब्धियों तथा संस्थान के प्रति उनके योगदान इत्यादि से वर्तमान छात्रों, संकाय सदस्यों तथा परिसरवासियों को क्रमशः परिचित कराने का प्रयास करता है।



महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि “जीवन का आनंद स्वयं को जानने में है।” स्वयं का निरीक्षण करना, अपनी प्रतिभा का पता लगाना और अपनी उस विशेष प्रतिभा का निरंतर विकास करना, वास्तव में यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिये। यदि हम ऐसा कर लेते हैं, तभी सही मायने में हम सफल हो पायेंगे। वस्तुतः यदि हम सूक्ष्म निरीक्षण करें तो पाएंगे कि पारिवारिक संस्कार, गुरु के आदेश/निर्देश तथा शैक्षणिक परिवेश ही वे कारक होते हैं जिनकी छत्रछाया में व्यक्तित्व पल्लवित-पुष्पित होता है और एक सफल व्यक्ति का व्यक्तित्व अनावृत होकर उसे अपने परिवार, समाज और देश की सेवा के लिए प्रेरित करता है।

प्रस्तुत अंक में संस्थान के पूर्व छात्र श्री उमंग गुप्ता की अनुकरणीय जीवन-गाथा से पाठकों को परिचित करवाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है।

श्री उमंग गुप्ता, आईआईटी कानपुर के पूर्व-छात्र हैं जिनके शैक्षणिक तथा व्यावसायिक जीवन की यात्रा अद्भुत उतार चढ़ाव, आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली एवं स्पृहणीय सफलताओं तथा मानव-सेवा के प्रति उनके लगाव-समर्पण की गाथा है; एक ऐसी गाथा जिसमें व्यवसाय के प्रति उनकी कोई महत्वाकांक्षायें नहीं थीं फिर भी उन्होंने उद्यमिता का ऐसा अनुकरणीय मानक स्थापित किया है जिसने अपने पीछे इतनी लकीरें छोड़ी हैं, कि उनका अनुसरण करने में हर कोई गर्व का अनुभव कर सकता है; ऐसी गाथा जो केवल इसलिए उल्लेखनीय नहीं है कि आज वो जहाँ हैं, वहाँ वे कैसे पहुंचे बल्कि इसलिए भी है कि वे किस भाँति रहते हैं और अपनी सफलताओं और अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार आँकते हैं ?

श्री उमंग गुप्ता का जन्म पटियाला शहर में हुआ था। उनके माता-पिता समाज सेवा तथा राजनीति से जुड़े हुए थे। उनकी माता जी विधायक थीं जबकि पिता श्रम मंत्रालय में रह चुके थे। उनके माता-पिता ने बचपन से ही श्री गुप्ता के हृदय में राजनैतिक तथा सामाजिक सक्रियता के जरिये देश-सेवा की उत्कट भावना जाग्रत कर दी थी। ऐसे सकारात्मक वातावरण में श्री उमंग गुप्ता में युवावस्था से ही टेक्नालॉजी, डिजिटल संसार तथा हिन्दुस्तान से परे भी दुनिया को देखने, समझने और जानने की तीव्र ललक पैदा हो गई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में प्रवेश पाने के उपरान्त उन्होंने 1971 में यहाँ से रासायनिक अभियांत्रिकी में बी. टेक. की उपाधि प्राप्त की; उन्हीं के शब्दों में "There I learned computer programming on one of India's early mainframe computers, and from then on I fell in love with all things digital. I also became aware of a world outside India that I wanted to explore." अपनी इसी भावना से प्रेरित होकर संस्थान से बी. टेक. की उपाधि के उपरान्त अपने समय के अन्य शिक्षार्थियों की भाँति वे भी उच्चतर शिक्षा हेतु अमेरिका चले गये जहाँ उन्होंने 'केन्ट स्टेट यूनिवर्सिटी' सं.रा.अमेरिका से 1972 में एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त की।

श्री गुप्ता के कैरियर की शुरुआत वर्ष 1973 से आरंभ हुई। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी सेवाएं आई.बी.एम. के विपणन-प्रबंधन विभाग में प्रदान कीं जो लगभग 7 वर्षों तक जारी रही। आई.बी.एम. में उन्हें व्यापार की व्यापक, गहन और जमीनी समझ प्राप्त हुई। उन्होंने वहाँ जाना कि उनका अपना रुझान मूलतः ऐसे व्यवसायिक संस्थान को खड़ा करने की ओर था जो अपने स्वयं के उत्पाद तैयार करें। वस्तुतः उनके अंदर धीरे-धीरे अपनी खुद की व्यवसायिक कंपनी शुरू करने की भावना क्रमशः पनपने लगी थी।

इसी दौरान उन्होंने माइक्रोप्रोसेसर की खोज तथा भविष्य में उसकी व्यापक संभावनाओं, जिसका विश्व में तब तक छाये हुए मेन-फ्रेम कंप्यूटर उद्योग के लिए क्या अर्थ हो सकता था, पर एक रुचिकर लेख पढ़ा जो आगे चलकर उनके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रेरणासूत्र साबित हुआ एवं उनकी तीक्ष्ण व्यावसायिक और तकनीकी बुद्धि ने शनैः-शनैः छलांग लगानी शुरू कर दी।

आई.बी.एम. में सेवा के दौरान ही श्री उमंग गुप्ता का परिचय एक ब्रिटिश युवती 'रुथ' से हुआ जिनसे उनका प्रेम-संबंध परवान चढ़ा। श्री गुप्ता के लिए इस अर्थ में यह एक अत्यन्त दुविधा का समय था कि वे अपनी इच्छानुसार भारत में जाकर अपनी कंपनी शुरू करें अथवा मिस रुथ का पत्नी के रूप में वरण करके वहीं बस जायें। अन्ततः उनके रूमानी हृदय ने निर्णय में विजय पाई और उन्होंने मिस रुथ को वरीयता देते हुये उनके साथ विवाह करके अपना परिवार बसाया।

आई.बी.एम. में सेवा करने के पश्चात् श्री उमंग गुप्ता आई.बी.एम. की ही लगभग प्रतिद्वंदी एक शुरुआती कम्पनी सिलिकॉन वैली में आ गये।

वर्ष 1981 में वे स्वयं की एक सॉफ्टवेयर कम्पनी स्थापित करने के लिए

तत्पर हुये लेकिन कुछ महीनों तक अपनी कम्पनी के लिए वित्त-व्यवस्था संभव न हो पाने के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अन्ततः उनका सैण्डहिल रोड स्थित "रिलेशनल सॉफ्टवेयर" नामक कम्पनी से सामना हुआ। इस कंपनी के मालिक श्री लैरी एलीसन थे तथा उसमें 16 कर्मचारी कार्यरत थे। श्री उमंग गुप्ता इसके 17वें कर्मचारी बने और यही कंपनी आगे चलकर विख्यात ओरेकल कंपनी बनी। उक्त कंपनी में श्री उमंग गुप्ता ने माइक्रोकम्प्यूटर प्रोडक्शन विभाग के उपाध्यक्ष एवं महाप्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। ओरेकल कॉरपोरेशन का पहला बिजनेस प्लान लिखने का श्रेय श्री उमंग गुप्ता को ही जाता है। उन्हीं के शब्दों में "I learned a lot about starting and building a business from Larry, and I will forever be grateful for that- My entrepreneurial career over the next 30 years would not have been possible without the three years, I spent at Oracle learning my craft from one of the most successful entrepreneurs of our time" कहना न होगा कि ओरेकल कम्पनी में तीन साल सेवा करने के पश्चात् श्री गुप्ता ने यह कम्पनी छोड़ दी और 1984 में अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर स्वयं की कंपनी 'गुप्ता टेक्नॉलॉजीज' स्थापित की। इस प्रकार से अपनी कंपनी स्थापित करने वाले श्री गुप्ता ओरेकल कारपोरेशन के न केवल प्रथम एकजीक्यूटिव थे अपितु वर्ष 1993 में इस कंपनी को सार्वजनिक (पब्लिक) कंपनी बनाने वाले भी वे पहले व्यक्ति थे। 'गुप्ता टेक्नॉलॉजीज' एक क्रांतिकारी कंपनी थी तथा इसका सार्वजनिक निर्गम भी बेहद सुखियों वाला था। अतिशीघ्र इस कंपनी का मूल्यांकन 400 मिलियन डालर तक जा पहुंचा था। 'गुप्ता टेक्नॉलॉजीज' पीसी लैन्स के लिए SQL डेटाबेस सर्वर बनाने के उद्यम में थी। कम्पनी के SQL सॉफ्टवेयर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विन्डोज तथा SQL कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर का एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल भी शामिल था। लेकिन शीघ्र ही स्वयं ओरेकल एवं माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियाँ 'गुप्ता टेक्नॉलॉजीज' की जबरदस्त प्रतिद्वन्द्वी बनकर उसके समक्ष मानो दीवार के रूप में खड़ी हो गईं। इस बीच क्लाइट सर्वर टूल्स के क्षेत्र में ढेर सारे नये उद्यमियों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। ओरेकल ने जहाँ अपने सफल मेन-फ्रेम तथा मिनी-कम्प्यूटर डेटाबेस सॉफ्टवेयर को पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी) में कार्य करने लायक सिस्टम में बदल दिया था, वहीं माइक्रोसॉफ्ट स्वयं के विण्डो आधारित SQL सर्वर उत्पाद को लेकर बाजार में आ चुकी थी। इसी मध्य इंटरनेट भी ईजाद हो चुका था, जिसने क्लाइट-सर्वर व्यवसाय को पूरी तरह इंटरनेट आधारित बाजार में तब्दील कर दिया था। इन सब का समेकित परिणाम यह हुआ था कि श्री उमंग गुप्ता को अपने पेशेवर कैरियर में एक पराजित उद्यमी के रूप में अंततः न केवल अपनी कंपनी के स्वयं के शेयरों को बेचने हेतु विवश होना पड़ा अपितु अपनी कंपनी का नाम बदल कर कम्पनी से खुद को भी पृथक करना पड़ा। इसी समय उन्हें दूसरा गहरा आघात तब लगा जब जन्म से विकलांग उनकी दूसरी संतान 2 वर्षीय पुत्र की मृत्यु हो गई। कहना अनुचित न होगा कि इस घटना का श्री उमंग गुप्ता और उनकी पत्नी श्रीमती रुथ के जीवन पर गहरा

प्रभाव पड़ा। यह उनके लिए क्रूरतम घटना थी। वे यह समझने में असमर्थ थे कि यहाँ से आगे वे अब किस दिशा में जायें। 'गुप्ता टेक्नालॉजीज' में इस तरह से उनका योगदान कुल 11 वर्ष 4 माह तक रह पाया था।

हालाँकि इस मध्य अस्तित्व में आने वाली नयी कंपनियों एवं व्यवसायों के प्रबंधन बोर्ड में शामिल होने के लिए उनको लगातार आमंत्रण मिलते रहे परन्तु इसको स्वीकार करने के बजाय उन्होंने उस समय पत्नी रुथ, 18 वर्षीय पुत्री अंजली तथा 11 वर्षीय पुत्र काशी के साथ भ्रमण करना पसंद किया। तत्पश्चात् अब वे पुनः उच्च तकनीक के पेशे में प्रवेश करने के लिए उद्यत हुए, और उन्होंने स्वयं को सफलता के दूसरे पैमाने पर आजमाने का फैसला किया। "I vowed to myself that, if there was going to be a next time, I would build a **'Business to last'**; My experience at Gupta Technologies taught me the first and most important valuable lesson of my Silicon Valley career; **that technology is a ticket to the game but not the game itself**- वस्तुतः गहन विचार-विमर्श के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उचित संतुलन के साथ पुनः एक नई कंपनी खड़ी की जा सकती है। जिसका अन्यथा तात्पर्य व्यापार में किसी की अक्षमता आंकने या कठिन परिश्रम न करने का नहीं बल्कि यह था कि यदि सफलता पानी है तो वह किसी भी तरह परिवार की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

तदनुसार, उन्होंने 'कीनोट सिस्टम्स' नामक कंपनी में निवेश करना उचित समझा। हालाँकि इस दौरान अपने विवेकानुसार उन्होंने अन्य अनेक नयी शुरुआती कंपनियों में भी निवेश करना जारी रखा। उनके इस निर्णय की परीक्षा उक्त 'कीनोट सिस्टम्स' कंपनी में उनके निवेश से हुयी क्योंकि यह कंपनी बेहद सफल कंपनी साबित हुयी और उनकी सोच की इस प्रकार पूरी तरह परख हो गयी।

'कीनोट सिस्टम्स' सैन मैटियो में स्थित थी। इस कंपनी ने इंटरनेट वेबसाइट की कार्यक्षमता को मापने तथा इंटरनेट बैंकबोन में होने वाले विलम्ब के कारणों को पता करने की तकनीक विकसित की थी। यद्यपि सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स के क्षेत्र में 'कीनोट सिस्टम्स' का यह सॉफ्टवेयर अन्य कंपनियों द्वारा पेश किये गये तमाम सॉफ्टवेयर उत्पादों से बहुत भिन्न नहीं था लेकिन श्री उमंग गुप्ता ने तत्काल समझ लिया कि व्यवसाय जगत में केवल नये उत्पादों की खोज कर लेना ही सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होता बल्कि उसके साथ-साथ बिजनेस की सफलता के लिए विपणन के नए-नए तरीकों का इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी होता है। 'कीनोट सिस्टम्स' ने उनके नेतृत्व में अब अपने प्रतिद्वन्द्वियों सहित सारे विश्व में ई-कॉमर्स इंटरनेट वेबसाइटों की विश्वसनीयता और प्रत्युत्तर में लगने वाले वास्तविक समय को मापने का कार्य शुरू कर दिया था।

इसके लिये उन्होंने ग्राहकों से मासिक भुगतान लेने की पद्धति अपनाई थी। उद्यम का उनका यह तरीका इस कदर सफल रहा कि इसके पहले कि वे

जान पाते, उनकी कंपनी 'कीनोट सिस्टम्स' विश्व की पहली सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता (software as a service) के रूप में भली भाँति रूप से सुस्थापित हो चुकी थी। इस क्रम में उन्होंने यह ध्यान रखा कि 'गुप्ता टेक्नालॉजीज' की असफलता के पीछे जो भी कारक थे, वे 'कीनोट सिस्टम्स' के आड़े न आयें। वर्ष 1999 में उन्होंने 'कीनोट सिस्टम्स' के शेयरों का सार्वजनिक निर्गम पेश किया। जिसके साथ ही यह कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी बन गयी। किन्तु, व्यावसायिक उतार-चढ़ाव की श्रंखला में वर्ष 2000 इंटरनेट व्यवसाय के लिए एक काला अध्याय बनकर उपस्थित हुआ और सम्पूर्ण सिलिकॉन वैली अचानक धड़ाम से औंधे मुँह गिर गई। दुनिया भर में इस विधा की कंपनियाँ दिवालिया होने लगीं। 'कीनोट सिस्टम्स' भी इससे अछूती नहीं रही और यह बिकने के कगार पर पहुँच गयी। लेकिन उस समय न तो इसे कोई खरीददार मिला और न ही श्री गुप्ता ने कभी इसको बेचने के बारे में सोचा। इसके विपरीत 'कीनोट सिस्टम्स' को उन्होंने दुबारा खड़ा करने का निश्चय किया। उन्होंने तकनीक के नये सिस्टम ईजाद किये और अतिशीघ्र 4000 से अधिक बड़े व्यावसायिक घराने इसके ग्राहक बन गये। वर्ष 2013 तक इसकी राजस्व आय 125 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई तथा इसके लाभ का मार्जिन 20 प्रतिशत के पार पहुँच गया। बाद में "Your company's destiny is not your destiny" जैसे आदर्श को अपनाते हुये उन्होंने 'कीनोट सिस्टम्स' को एक प्राइवेट कंपनी 'थोमा ब्रावो' को बेच दिया। 'कीनोट सिस्टम्स' को उन्होंने वस्तुतः एक कंपनी की भाँति ही चलाया और अपने कैरियर में अपने पिता के आदर्श वाक्य "कोई विजय अंतिम नहीं होती और कोई पराजय विनाशकारी नहीं होती-अर्थात् हर असफलता और पराजय में ही नवसृजन का प्रादुर्भाव छिपा होता है" में सन्निहित संदेश को ही सदैव जिया।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता के क्षेत्र में श्री गुप्ता के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने वर्ष 1996 में उन्हें संस्थान द्वारा स्थापित "प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार" प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त श्री गुप्ता जी को देश-विदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है जिसमें सामाजिक सरोकार एवं परोपकार हेतु वर्ष 2000 में दिया गया "आशियाँ पैसेफिक फाउंडेशन पुरस्कार" शामिल है। अपने व्यापारिक कार्यकलापों के अतिरिक्त श्री गुप्ता ने 'पेनिनसुला कम्प्यूनिटी फाउंडेशन कैलीफोर्निया', संयुक्त राज्य अमेरिका के बोर्ड के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं। संप्रति, यह संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा कम्प्यूनिटी फाउंडेशन है।

श्री गुप्ता और उनकी पत्नी श्रीमती रुथ Peninsula Association of Retarded Children and Adults [PARCA] संस्था से न केवल काफी गहराई से जुड़े हुये हैं बल्कि इस संस्था को उन्होने 1 मिलियन डॉलर का दान भी दिया। यह वही संस्था है जिसने उनके दिवंगत पुत्र "राजी" की बहुत



श्री उमंग गुप्ता अपने परिवार के साथ

अच्छी तरह से देखभाल की थी। PARCA की देख-रेख में श्री गुप्ता जी ने अपने पुत्र के नाम पर “राजी हाउस” का निर्माण करवाया जिसका उपयोग विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए किया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से श्री गुप्ता का जुड़ाव कई दशक पुराना है। आप आई.आई.टी. कानपुर फाउंडेशन के सह-संस्थापक सदस्य हैं तथा PANIIT के ग्लोबल बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि PANIIT के वर्तमान सदस्यों की संख्या दो लाख से पार पहुँच चुकी है।

आपने संस्थान में सभी विभागों के संकाय-सदस्यों के निमित्त “**फैकल्टी चेयर**” की स्थापना की है साथ ही साथ उनके आर्थिक अनुदान से संस्थान में “distinguished lecture series”, पूर्व छात्रों के विविध कार्यक्रम एवं मेस कामगारों के हित की कई कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हो रही हैं। यही नहीं, श्री गुप्ता जी का आर्थिक अनुदान संस्थान के हितार्थ आज भी अनवरत रूप से प्राप्त हो रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुदक्षिणा के रूप में श्री उमंग गुप्ता तथा अन्य पूर्व छात्रों का सहयोग संस्थान के प्रति उनके अक्षुण्ण अनुराग का प्रमाण है और विश्व-पटल पर संस्थान की गरिमा को स्थापित करने के प्रति उनकी ललक से संस्थान की शिक्षण-पद्धति, शोध-स्तर में गुणात्मक परिष्कार हुआ है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर श्री उमंग गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुये उनके एवं उनकी पत्नी श्रीमती रूथ, उनके बच्चों अंजली और काशी के सुखमय और निरोगी जीवन की कामना करता है तथा अपेक्षा करता है कि श्री गुप्ता संस्थान से इसी प्रकार से अपना प्रगाढ़ संबंध सदैव जीवंत रखेंगे।

महत्त्वपूर्ण सीख: पैसे की असली शक्ति, इसे दान देने की शक्ति का होना है।
The real power of money is the power to give it away-
एन . आर . नारायण मूर्ति

गुरु सों ज्ञान जु लीजिए, सीस दीजिए दान।
बहुतक भौंदू बहि गए, राखि जीव अभिमान।।

गुरु से ज्ञान पाने के लिए अपना सिर भी काटकर अर्पित कर दिया जाए तो वह भी कम है, अर्थात् ज्ञान के लिए परम समर्पण जरूरी है। जो इसके विपरीत सोचते हैं, वे मूर्ख और अभिमानी होते हैं। उनका कभी उद्धार नहीं होता।

संत कबीरदास

प्रो. बि.वि. फणि, उस्मानिया विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक तथा भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता से विद्यावाचस्पति उपाधि के धारक हैं। संप्रति, वे भा.प्रौ.सं.कानपुर में औद्योगिक एवं प्रबंधन अभियांत्रिकी विभाग में वित्त, नवोत्पाद एवं उद्यमिता के प्राध्यापक हैं। उनके पास भा.प्रौ.सं.कानपुर के प्रथम सह-अधिष्ठाता, इन्वेंशन तथा इन्क्यूबेशन का अतिरिक्त प्रभार भी है। वर्ष 2006 से वे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) उद्यमिता अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता बोर्ड (NSTEDB) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DIT), सिडबी (SIDBI) उ.प्र.शासन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इत्यादि द्वारा पोषित आठ इन्क्यूबेशन केन्द्र सम्मिलित हैं, के प्रमुख हैं। आप सिंडीकेट बैंक उद्यमिता अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जो भा.प्रौ.सं.कानपुर में उद्यमिता के क्षेत्र में शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु सिंडीकेट बैंक द्वारा वित्त पोषित है, के भी प्रमुख हैं। भा.प्रौ.सं.कानपुर में उत्पन्न सभी प्रकार की बौद्धिक संपदा से संबंधित अनुरक्षण, प्रबंधन तथा व्यवसायीकरण की अद्यतन तकनीक से जुड़ी तमाम गतिविधियों की जिम्मेदारियां भी आप विगत दस वर्षों से निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश भर में फैले शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता क्षमता विस्तार के कार्य में लगी राष्ट्रीय उद्यमिता नेटवर्क परिषद (NEN) के भी विशेषज्ञ हैं। इन्क्यूबेशन तकनीक के क्षेत्र में अपने विशाल अनुभव के कारण प्रो. फणि अब एक ऐसे विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल, भा.प्रौ.सं. रोपड़, भा.प्रौ.सं. गांधीनगर, भा.प्रौ.सं. जोधपुर, भा.प्रौ.सं. गोहाटी, भा.प्रौ.सं. रुड़की इत्यादि शिक्षण संस्थानों को आवश्यकता पड़ने पर बराबर इनपुट प्रदान करते हैं और इन संस्थानों द्वारा अपने परिसरों में सतत इन्वेंशन परितंत्र के विकास में मदद भी करते हैं। आप अनेकानेक शुरुआती उद्यमों के प्रणेता एवं निदेशक के रूप में तथा वेंचर कैपिटल कंपनियों के सलाहकार मंडल में भी शामिल हैं।

प्रस्तुत हैं प्रोफेसर बि. वि. फणि से भेंटवार्ता के प्रमुख अंश

सुनीता : सर! संस्थान में SIDBI/SIIC कुछ अर्से से स्थापित है। आपके विचार से इसकी स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई है?

प्रो. फणि: देखिये सुनीता जी! हमारा संस्थान अपने छात्रों को तकनीकी शिक्षा की तमाम विधाओं में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करता है लेकिन अपने-आप में यह भी एक हकीकत है कि शिक्षा पूरी करने के उपरान्त जहाँ तमाम छात्र रोजगार/नौकरियों में लग जाते हैं, वहीं बहुत से छात्र ऐसे भी होते हैं जो स्वयं के व्यवसाय/उद्यम स्थापित करने में अभिरूचि रखते हैं और भविष्य में व्यवसाय एवं उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखते हैं। निश्चय ही यह उनके लिए एक नया संसार होता है जहाँ उन्हें उद्यमिता की विभिन्न जमीनी हकीकतों, चुनौतियों, समस्याओं तथा उसके प्रतिस्पर्धात्मक आयामों से रूबरू होते हुये जूझना पड़ता है। स्पष्टतः, वे इस प्रकार उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश की अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही उपर्युक्त परिस्थितियों में असहज हो सकते हैं। इन्हीं स्थितियों के मद्देनजर संस्थान द्वारा बहुत विचारपूर्वक एवं सुदूर लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये SIIC की स्थापना की गई है। मोटे तौर पर कहा जाय तो SIDBI/SIIC की स्थापना के पीछे निम्नांकित उद्देश्य सन्निहित हैं-

1-संस्थान के छात्र/पूर्वछात्र मूलतः रोजगार के इच्छुक होने के बजाय स्वयं



रोजगार प्रदान करने वाले अर्थात् रोजगार के सृजनकर्ता बनें, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना तथा उसकी पृष्ठभूमि तैयार करना।

2-संस्थान के अनेक संकाय सदस्य एवं शोधकर्ता अपने शोध/अन्वेषण-कार्य के दौरान जब-तब नयी तकनीकों को खोजते और विकसित करते हैं। तदनुसार ऐसी नव-विकसित/आविष्कृत तकनीक पर आधारित उनके नये उद्यमों में प्रकारान्तर से मदद करना जिन्हें वे अपने खुद के बलबूते स्थापित करना चाहते हैं अथवा उन अन्य उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना जो इसके लिए इच्छुक एवं तत्पर हों।

3-ऐसे उद्यमी जो संसाधन के रूप में इस संस्थान में परीक्षणों, इसकी प्रयोगशालाओं तथा इसके मार्गदर्शन आदि की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको इन सुविधाओं को सुलभ कराने में सहयोग प्रदान करना ताकि वे सफल उद्यमी बन सकें।

समग्र रूप से कहें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थापित SIDBI/SIIC कुल मिलाकर उद्यमिता के लिये, एक ऐसा माहौल/प्लेटफार्म देने के काम में लगा है जो राष्ट्र-निर्माण में नये आविष्कारों-प्रयोगों तथा संपदा सृजन के लिए अनुकूल हो। संपदा सृजन से मेरा तात्पर्य देश की आर्थिक समुन्नति तथा रोजगार से है।

सुनीता : सर! भारत के आर्थिक विकास की जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, उनकी पृष्ठभूमि में आपके अनुसार उद्यमिता के समक्ष किस प्रकार के अवरोध हैं?

प्रो. फणि: सामान्य तरह के अवरोध तो अमूमन हमारी अर्थव्यवस्था में बने ही रहते हैं, फिर भी भारत की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में हम उद्यमिता के समक्ष आने वाले अवरोधों को मुख्यतः निम्न प्रकार से मान सकते हैं

- नवीनतम प्रौद्योगिकी/तकनीक का अभाव
- वित्त व्यवस्था की सामयिक अनुपलब्धता
- समाजिक दबाव
- गतिशील पारिस्थितिक तंत्र (dynamic eco&system)

यदि हम सम्पूर्ण स्थिति पर गम्भीरता से विचार करें तो हमें भारत में कुछ विरोधाभास जैसी स्थिति दिखाई देती है। जहाँ तक हमारे देश की तकनीकी

क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, वह एक अर्से से देश को तकनीकी रूप से सक्षम एवं व्यापक कार्य-शक्ति सुलभ कराता आ रहा है लेकिन इसके बावजूद देखा जाय तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र आज भी बहुत कुछ आयातित तकनीक पर ही निर्भर है जबकि हमारे छात्र तकनीक के क्षेत्र में दुनिया भर में अपना अनवरत योगदान दे रहे हैं और वहाँ की प्रौद्योगिकी को समृद्ध कर रहे हैं। हालाँकि मैं बिना संकोच के कह सकता हूँ कि हमें उद्योगों एवं उद्यमिता के संदर्भ में यथासम्भव आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसी प्रकार एक क्षेत्र सम्यक परिमाण में वित्त की सामयिक अनुपलब्धता का है जो हमारी उद्यमिता के आड़े आता रहता है। हिन्दुस्तान में वर्तमान का सामाजिक एवं पारिस्थितिक तंत्र भी इसके समक्ष गम्भीर अवरोध है।

सुनीता: सर ! आपने उपर्युक्त कतिपय अवरोधों के बारे में तो बताया लेकिन कृपया इस पर भी प्रकाश डालें कि प्रासंगिक अवरोधों एवं बाधाओं के सापेक्ष भारतीय उद्योग कितने सफल हैं? तथा उनकी सफलता में किन-किन कारकों का योगदान है?

प्रो. फणि: मेरा अपना विचार है कि विपर्यय तथा अवरोधों की प्रश्नगत स्थिति के बावजूद हमारे देश में उद्योग एवं उद्यमिता कुल मिलाकर अपनी राह बनाने में सफल रहे हैं और चुनौतियों के बीच ही प्रगति पथ पर आगे बढ़े हैं, जिसके कई उदाहरण भी विद्यमान हैं। हमारे उद्योग आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और अपना दायरा बढ़ाते हुये निरन्तर विस्तार कर रहे हैं जिसे मात्र व्यवस्थात्मक गति देने की जरूरत है। इन सफल उद्यमियों तथा व्यावसायिक घरानों से हमारी यह अपेक्षा सर्वथा उचित है कि वे आगे आयेँ और अपने अनुभवों के आधार पर नवोदित उद्यमों के विकास में सार्थक सहयोग प्रदान करें ताकि वे भी देश के विकास, उसकी आत्मनिर्भरता तथा समृद्धि में योगदान दे सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तथा अपने देश की पहचान बना सकें।

सुनीता: सर! हमारा संस्थान एस.आई.आई.सी. [SIIC] के माध्यम से इस संदर्भ में किस सीमा तक अपना योगदान देने में सफल रहा है?

प्रो. फणि: मुझे संतोष है कि संस्थान के एस.आई.आई.सी. [SIIC] ने अपनी सक्षम तकनीक से और मानव संसाधन के माध्यम से भारत की उद्यमिता को यथासम्भव लाभ पहुंचाया है जिसमें प्रारंभिक चरण में मौजूद उद्यमिता को व्यवसायगत उचित मार्गदर्शन तथा संस्थान में पूर्ववर्णित सुविधाओं को वह उपलब्ध कराता आ रहा है एवं इस प्रकार उसे रोगग्रस्त होने से बचाने तथा निरन्तरता के साथ स्वस्थ स्थिति में आगे बढ़ाने में उसने संतोषजनक योगदान दिया है।

सुनीता: सर! क्या भारत सरकार की आर्थिक नीतियाँ एवं कार्यप्रणाली देश की उद्यमिता के कहीं आड़े आती हैं? इस संदर्भ में सुधार हेतु क्या आपके कोई सुझाव है?

प्रो. फणि: किसी भी देश की नीतियाँ अथवा कार्यप्रणाली उद्यमिता के दृष्टिकोण से एक स्थायी व्यवस्था में नहीं बांधी जा सकती बल्कि इसके विपरीत कोई देश निरन्तरता के साथ विकास पथ पर तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ की कार्यप्रणाली तथा नीतियों में समसामयिक परिवर्तन होते रहें अर्थात् वह देश की समय-समय की बदलती हुयी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप सामंजस्य रख सके। मेरे कहने का आशय है कि यह एक सतत् और

परिवर्तनशील प्रक्रिया है। हमारी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था तथा उद्यमिता को अनुदान, विशिष्ट योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, नाना प्रकार की राहत एवं छूट तथा सामयिक नीति परिवर्तन आदि के माध्यम से गतिशील बनाये रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा सक्रिय भागीदारी निभायी है। हालाँकि व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसे हर पल या किसी मामले विशेष में तात्कालिक रूप से नहीं बदला जा सकता। निस्संदेह यह एक शाश्वत तथा व्यवहारगत कठिनाई है लेकिन मोटे तौर पर हमारा देश परिवर्तित स्थितियों के साथ यथासम्भव अपना सामंजस्य बैठाता आ रहा है और इसी संदर्भ में अब संयुक्त उद्यमों अर्थात् सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिपाटी भी क्रमशः आकार लेते हुये गति पकड़ रही है।

सुनीता: सर! भारत के विकास में (SIDBI/SIIC) किस प्रकार सहयोग करता है?

प्रो. फणि: हम लोग उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यतः उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारी भूमिका केवल परिसर के अंदर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम परिसर के बाहर भी काम कर रहे हैं। वस्तुतः हम लोग शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। हम नवोदित उद्यमियों के लिए आदर्श स्थिति स्थापित करने का काम भी कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण, दिशा-निर्देशन तथा व्यावहारिक रूप में काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम लोग भारत सरकार की योजनाओं इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में भी काम कर रहे हैं।

सुनीता: सर! प्रबंधन के क्षेत्र में संस्थान के छात्रों की क्षमता का आकलन आप किस प्रकार करते हैं?

प्रो. फणि: विद्यार्थियों की तकनीकी कार्य-कुशलता एवं समस्याओं के निवारण हेतु उनकी क्षमता का संवर्धन प्रबंधकीय निपुणता के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उद्यमिता केवल तकनीक से जुड़ी हो बल्कि यह तो बहुविषयक क्रिया-कलापों का सामूहिक प्रयास है जिसके साथ प्रबंधकीय निपुणता का जुड़ाव उसकी सफलता की संभवानाओं को काफी कुछ बढ़ा देता है।

सुनीता: सर! आपको संस्थान की हिन्दी पत्रिका 'अंतस्' कैसी लगी? क्या सिडबी की आर्थिक नीतियों को राजभाषा हिन्दी के माध्यम से परिसरवासियों तक पहुंचाया जा सकता है?

प्रो. फणि: बिल्कुल, मेरा यह मानना है कि 'अंतस्' के माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक निश्चय ही पहुंचा जा सकता है। राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित 'अंतस्' पत्रिका का स्तर निश्चय ही सराहनीय है तथा मात्र कुछ समय से प्रकाशित होने के बावजूद भी इसने सर्वस्वीकार्यता के साथ-साथ अपना एक स्थान बनाया है। मैं पत्रिका की सफलता, उत्तरोत्तर प्रगति एवं इसके प्रकाशन में सहयोग देने वालों को अपना साधुवाद देता हूँ। मुझे यह बताते हुये भी अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम भी सिडबी के लिए अतिशीघ्र हिन्दी में भी वेबसाइट शुरू करने जा रहे हैं।

सुनीता: सर! आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

साहसी राजू

राजू अधिक पढ़ा-लिखा न होने पर भी काफी चालाक लड़का था। इतनी कम उम्र में इतना चालाक लड़का आज तक मैंने नहीं देखा।

राजू के घर के पास से ही गंगा नदी बहती थी। उसके समीप ही एक विशाल बरगद के पेड़ के हिस्से की एक डाली पर अपने रहने के लिए तीन का एक कमरा बनवा लिया था। क्योंकि गाँव की जमीन पर उसे ऐसी शांत जगह कोई और नहीं नजर आई थी। वह रोज सबेरे उठकर अपने कमरे में जाकर घंटों भगवान की आराधना करता था। सभी उस घर को राजू के पूजा-घर के नाम से जानते थे, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उस घर में घुस जाए। हालांकि मेरे लिए मनाही नहीं थी। अक्सर राजू मुझे अपने कमरे में ले जाता था। पेड़ की डाली पर चढ़कर वहाँ तक पहुँचना कोई मजाक नहीं था।

एक दिन पूजा समाप्त कर राजू जब लौट रहा था तभी अचानक बंगाली टोला घाट के समीप आकर खड़ा हो गया। बात यह थी कि एक नौजवान लड़की घाट के किनारे नहा रही थी और पास ही एक उजड़ू गंवार आदमी तैरना सीखने के बहाने हाथ-पैर फटकारते हुए उस पर छींटे उड़ा रहा था। बेचारी लड़की संकोचवश कुछ कह नहीं पा रही थी। यह नजारा देखकर राजू चट से नदी में कूद पड़ा। इसके बाद कमर से धोती खोलकर फंदा बनाया और उसके गले में फंसाकर एक झटका देकर उसे डुबकी खिला दी। एक बार नहीं, इसी तरह लगातार कई बार डुबकी खिला रहा था। इधर उस बेचारे की हालत दयनीय हो गई, उधर राजू, वन, टू, श्री गिनता रहा। जब पूरी सौ डुबकियाँ लगवा लीं तब पूछा-“कहिए जनाब! फिर कभी...?”


जिसे सांस लेना मुहाल हो उठा था, वह इस भयानक कांड से मुक्ति पाने के बाद चटपट बोल उठा-“नहीं हुजूर, अब नहीं। माफ कीजिए।”

“तो फिर हो जाओ नौ दो ग्यारह”, कहता हुआ वह ऊपर चला गया।

इसी के साथ एक दिन की घटी घटना और सुन लो-उस दिन शाम के समय राजू टहलने के लिए घर से बाहर निकला था। रास्ते में बरारी स्टेट हाई स्कूल के हेड पंडितजी से मुलाकात हो गई। उन्होंने देखते ही एक तरह से रोते हुए कहा- बेटा, कई दिनों से मैं तुमको खोज रहा था।”

राजू ने घबराकर पूछा-“क्या बात है मास्टर साहब? आप रो क्यों रहे हैं?”

उत्तर में अपनी पीठ दिखाते हुए पंडित जी ने कहा-“यह देखो बेटा, न लड़ाई, न झगड़ा, पुलिस के साहब ने मुझे बुरी तरह पीटा है। बात यह है कि उस दिन जमींदार के यहाँ पढ़ाने के लिए जा रहा था। रास्ते में पुलिस के साहब से मुलाकात हो गई, साहब को आते देखकर मैं जल्दी से एक किनारे हट गया। फिर भी साहब का पारा गरम हो गया। गाली देते हुए बोले-रास्ते से हटकर नहीं चल सकते? कहने के साथ ही उन्होंने बेंत मार दी। इसके बाद घोड़ा हांकेते हुए चले गए।” राजू ने कहा-“अच्छा मैं उनकी खबर लेता हूँ। शायद इस वक्त वह क्लब में बिलियर्ड देखने गये होंगे, लौटते समय उन्हें



शरतचन्द्र बंगला भाषा के अप्रतिम साहित्यकार थे। उनकी रचनायें समसामयिक कथावस्तु के बाद भी कालजयी हैं। उनकी रचनाओं में तत्समय की सामाजिक कुरीतियों, रुढ़ियों का मर्मस्पर्शी चित्रण देखने को मिलता है। उनके पात्र सामाजिक बंधनों एवं मर्यादाओं के बीच मानव मन की संवेदनाओं से सर्वदा इस तरह जीवन्त रहते हैं कि पाठकों का उनसे सहज तादात्म्य स्थापित हो जाता है और उनकी विकुलता के साथ वे द्रवित और उल्लास के साथ उसी भाँति उमंग से परिपूर्ण हो जाते हैं। शरतचन्द्र जी द्वारा रचित उनकी एक कहानी प्रस्तुत है...

इसकी सजा मिल जाएगी। आप अभी घर चले जाइए। मैंने उन्हें क्या सजा दी है, कल आपको मालूम हो जाएगा।”

पंडित जी को दिलासा देकर राजू सीधा मेरे पास आया। उस समय उसका मुँह क्रोध से लाल-भूभका हो रहा था। मुझसे कहा-“शरत! तू मेरे साथ चल अभी।” उसकी बात को अस्वीकार कर सकूँ, इतनी शक्ति मुझमें नहीं थी। फिर भी डरते-डरते मैंने कहा-“तू साहब को मारेगा राजू उसकी कमर में हमेशा पिस्तौल बंधी रहती है, हम लोग खाली हाथ रहेंगे-यह याद रखना।”

राजू ने कहा-“तू मेरे साथ चल, फिर देखना क्या करता हूँ।”

इसके बाद, मैं उसकी बातों का विरोध नहीं कर सका, चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। पहले हम आदमपुर घाट गए। आदमपुर घाट वहाँ का जहाज घाट था। हर समय वहाँ कई स्टीमर और नावें बंधी रहती थीं। अंधेरे में राजू चुपचाप एक बड़ी नाव पर चढ़ गया और फिर मल्लाह की नजर बचाकर रस्सी का एक बंडल उठा लिया। मैं किनारे पर एक जगह छिपा खड़ा था। मेरे करीब आकर उसने कहा-“अब चल?”

साहब का बंगला क्लब से लगभग एक मील दूर था। इतनी दूरी साहब को घोड़े पर चढ़कर पार करनी पड़ती थी। उसमें एक बुरी आदत यह थी कि वह कभी आहिस्ते से घोड़ा नहीं ले जाता था। सदैव तेजी से घोड़ा दौड़ाता चलता था।

साहब के बंगले और क्लब के बीच एक स्थान पर आकर हम दोनों छिप गए। जब रात कुछ अधिक घनी हो गई और यह अनुमान हो गया कि अब साहब के लौटने का वक्त हो गया है, तब जमीन से दो हाथ ऊपर उठाकर रस्सी को आमने-सामने के दो आम के पेड़ों में कसकर बांध दिया गया।

यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि रात घनी हो गई थी, इसलिए लोगों का आना-जाना लगभग क्या बिल्कुल बंद हो गया था। दो पेड़ों में रस्सी बाँधकर हम पेड़ के ऊपर जा छिपे। कुछ समय इसी तरह बैठे रहने के बाद सहसा घोड़े की टाप सुनाई देने लगी।

आवाज से ही भांप लिया कि साहब बिलियर्ड क्लब से लौट रहे हैं। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वह बहुत तेजी के साथ घोड़ा चला रहे थे। रस्सी से बाधा पाकर घोड़े के साथ सवार भी उलट गया। एक तो अचानक टोकर खाकर गिरा, दूसरे काफी ऊपर से, तीसरे शराब के नशे में चूर रहने की वजह से कितनी बुरी तरह घायल हुआ होगा-इसका अंदाजा पाठक खुद ही लगा सकते हैं। हजरत अभी उठकर संभल भी नहीं पाए थे कि ऊपर से शेर की तरह राजू उसके ऊपर उछलकर कूद पड़ा और लगा दनादन पीटने। मार के आगे नशा काफूर हो गया। राजू चुपचाप जितना जी में आया पीटता रहा। जब वह बिलकुल थक गया, तो चुपचाप उसकी कमर से पिस्तौल निकालकर खड़ा हो गया। इशारे से मुझसे कहा-चला। जल्दी से हम दोनों तरफ से रस्सी खोलकर नौ-दो-ग्यारह हो गये। आदमपुर घाट पर आकर रस्सी जहाँ की तहाँ रखकर पिस्तौल पानी में फेंक दी। फिर कहा- “अब घर चलो, उसकी खासी मरम्मत हो गई।”

अत्याचार उससे जरा भी बरदाश्त नहीं होता था। सदैव इसके विरुद्ध मरने मिटने के लिए वह तैयार रहता था। अपने जीवन में इस तरह के व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा था। वही राजू एक दिन चुपचाप न जाने कहाँ चला गया। आज तक किसी को उसका पता नहीं चला। आज भी जब उसकी छवि आँखों के सामने नाच उठती है तब दिल मसोसकर रह जाता हूँ। वह मेरा कितना अच्छा मित्र था-कह ही नहीं सकता। न जाने कितने देश-विदेश घूमा, कितने व्यक्तियों को देखा-लेकिन राजू की तरह साहसी और निर्दोष व्यक्तियों पर जुल्म न होने देने वाला बाँका लड़का आज तक कोई मुझे दिखाई नहीं दिया।

विचार करें

वर्षा की फुहारों से धरती में से अनेक पौधे फूट पड़े। दुर्भाग्य से सब पौधे आपस में ही लड़ पड़े और उनमें से हरेक अपने को ज्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी बताने लगा। विवाद बढ़ता गया। छः माह ऐसे ही लड़ते-झगड़ते व्यतीत हो गए। ज्येष्ठ का आगमन हुआ तो उसके ताप से सारे पौधे सूख गए और जब बिछड़ने की घड़ी आई तो उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने पूरी उम्र यों ही लड़ने-झगड़ने में व्यतीत कर दी। दुखी पौधों ने संकल्प लिया कि यदि पुनः अवसर मिला तो प्रेमपूर्वक रहेंगे। तब से पौधे हँसते-खेलते, सहयोग-सहकार से रहते हैं, मात्र इंसान ही इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाता।



कानपुर शहर के शायरों में श्री अंसार कम्बरी का नाम तो अव्वल है ही, ख्यातनाम शायर श्री कम्बरी जी स्वाभाविक इंसानी जज्बातों के सच्चे चितेरे होने के साथ-साथ शायरी जगत के चमकते सितारे भी हैं। आपने अपनी सुन्दर और मन को छूने वाली नज़्मों एवं गज़लों से न केवल हिन्दुस्तान बल्कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों में अपना तथा कानपुर शहर का नाम रौशन किया है।

अंतस् से अपने खास लगाव के कारण श्री कम्बरी जी ने अपनी रचनाओं को अंतस् में प्रकाशित करने हेतु सहर्ष अनुमति प्रदान की है। उन्हें हार्दिक साधुवाद;



श्री अंसार कम्बरी जी

प्यास

फिर नदी के पास लेकर आ गई
मैं न आता प्यास लेकर आ गई

जागती है प्यास तो सोती नहीं
और अपनी तीव्रता खोती नहीं

वो तपोवन हो या राजा का महल
प्यास की सीमा कोई होती नहीं

हो गये लाचार विश्वामित्र भी
मेनका मधुमास लेकर आ गई

तृप्ति तो केवल क्षणिक आभास है
और फिर संत्रास ही संत्रास है

शब्द-बेधी बाण, दशरथ की व्यथा
कैकेयी के मोह का इतिहास है

इक जरा सी भूल यूँ शापित हुई
राम का वनवास लेकर आ गई

प्यास कोई चीज मामूली नहीं
प्राण ले लेती है पर सूली नहीं

यातनायें जो मिली हैं प्यास से
आज तक दुनिया उसे भूली नहीं

फिर लबों पर कर्बला की दास्ताँ
प्यास का इतिहास लेकर आ गई

गज़ल

मुझपे वो मेहरबान है शायद
फिर मेरा इस्तेहान है शायद

उसकी खामोशियाँ ये कहती हैं
उसके दिल में जबान है शायद

मुझसे मिलता नहीं है वो खुलकर
कुछ न कुछ दरमियान है शायद

उसके जब्बों की कीमतें तै हैं
उसका दिल भी दुकान है शायद

मेरे दिल में सुकून पायेगा
दर्द को इत्मेनान है शायद

फिर हथेली पे रच गई मेंहदी
फिर हथेली पे जान है शायद

बात सीधी है और गहरी है
कम्बरी का बयान है शायद

ऋतुराज

चुपके मद्धम पदचारों से
तुम आये तो एहसास हुआ,
चहुँ ओर भरी भीनी सुगन्ध
नवजीवन का संचार हुआ।
स्वागत में सब हुए दीवाने
पुष्प खिले, कलियाँ मुसकाईं,
कोयल और पपीहा चहके
तरुणाई ने ली अंगड़ाई।
पीली चूनर ओढ़ के धरती
प्रिय को सोलह श्रंगार कराये,
प्रेम बयार में डूब, मदन रस
पीकर नयनों के बाण चलाये।
निष्काम भाव से सुप्त प्राणि के
रोम-रोम में नव-उद्दीपन,
हिमनद, झरने, वृक्ष लता
में व्याप्त हुआ अभिनव स्पन्दन।
कानन-कानन सतरंगी पुष्पों
को चूस रहे हैं भ्रमर मस्त,
नृत्य करें हर-पल पशु-पक्षी
पाकर तेरा वरद हस्त।
प्रातः की स्वर्णिम सूर्य किरण
में रूप-रंग कुंदन सा चमके,
स्वागत को तत्पर मृगनयनी
का सुन्दर आतुर मुख दमके।
मदमाते रूप सुहाने से
मिलने को सब बाँह पसारे,
ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन
जो आये हो तुम द्वार हमारे।।



गंगानारायण त्रिपाठी



क्या लिखूँ

मिलने को सब बाँह पसारे,
मैं भी कवि बनना चाहूँ,
मगर लिखूँ तो क्या लिखूँ...?
राम, श्याम, गौतम, नानक
और ईसा, कबीर, कुरान लिखूँ,
जाति-धर्म-भाषा और क्षेत्र में,
बँटता हिंदुस्तान लिखूँ।।
कलुषित हैवानों के पापों से
धरती लहलुहान लिखूँ, या
सत्य, अहिंसा और प्रेम का
मरता वह इन्सान लिखूँ।।
भ्रष्ट नपुंसक सरकारों का,
क्या झूठा यशगान लिखूँ, या
कायर, लोलुप, अंधानुकरण से,
भारत का होता अपमान लिखूँ
भूखे, चिथड़ों में, खुले गगन वालों के वास्ते
रोटी, कपड़ा और मकान लिखूँ या
या फाँसी के फंदे पर झूले,
गरीब, मजदूर, किसान लिखूँ।।
कल्पना लोक की परियों संग खेलूँ, या
यथार्थ का गान लिखूँ।
झूठ लिखूँ या सत्य लिखूँ
या फिर झूठा सत्य लिखूँ,
लिखूँ तो मगर क्या लिखूँ...! क्या लिखूँ! क्या लिखूँ!



बृजेन्द्र श्रीवास्तव, उत्कर्ष

हिंदी बनाम अंग्रेजी

दोस्तो ! आज मैं अपने इस लेख “हिंदी बनाम अंग्रेजी” के सन्दर्भ में अपने उद्गारों को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में हमारा देश दुनिया के समृद्धतम देशों में से एक है जहाँ लगभग 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। किन्तु इनमें से 25 भाषाओं को भारतीय संविधान ने संरक्षण प्रदान किया हुआ है। इन्हीं भाषाओं में एक हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। परन्तु यह भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है, जबकि हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी इसी भाषा को बोलती और समझती है। केवल भारत ही नहीं अपितु दुनिया के कई अन्य देशों में भी हिंदी बोली और समझी जाती है। जहाँ एक ओर हर भारतीय के लिए यह बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि भारतवर्ष इतनी सारी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है, वहीं दूसरी ओर बड़े खेद और क्षोभ का विषय है कि अंग्रेजी भाषा भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में उच्च स्थान रखती है, यह कैसा विचित्र असंतुलन?

प्रिय पाठको ! मेरी बात को अन्यथा न लें। अंग्रेजी के प्रति मेरा ये दृष्टिकोण किसी पूर्वाग्रह या द्वेष भावना से बिलकुल भी प्रेरित नहीं है। मैं समर्थक हूँ कि हिन्दुस्तान के हर आँगन में, हर भाषा समान रूप से पुष्पित व फल्लवित हो, कोई भाषा उपेक्षित न हो, किसी भाषा विशेष के प्रति राग या द्वेष से ग्रसित संकुचित मानसिकता न हो परन्तु अफसोस! यह सब व्यवहार में देखने को नहीं मिलता। किसी पर्व या आयोजन पर हम जज्बाती होकर राष्ट्र-प्रेम, राष्ट्र-भाषा, राष्ट्र-विकास और राष्ट्र-धरोहर को संरक्षित रखने जैसी शपथ तो लेते हैं; किन्तु जब इनको अंगीकार करने की बात आती है तो हमारा दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। राष्ट्रभाषा के संबंध में हमारा दोहरा मानदंड और मुखर होकर परिलक्षित होता है।

अंग्रेजी भाषा के सम्बन्ध में हमारे देशवासियों के मस्तिष्क में ये मिथ्या धारणा बैठ गयी है कि एक व्यक्ति का समग्र विकास तभी संभव है जब उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो। हमारे समाज में व्यक्ति को तभी शिक्षित और सभ्य होने का तमगा हासिल होता है, जब उसे अंग्रेजी आती हो। यही हाल अन्य विकासशील राष्ट्रों के सन्दर्भ में भी है। सामान्यतया अंग्रेजी भाषी राष्ट्रों को विकसित, शक्तिशाली, ज्ञान-विज्ञान से युक्त, उच्च प्रौद्योगिकी से परिपूर्ण माना जाता है। मैं, आप सभी शिक्षित युवाओं से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये समस्त बातें यथार्थता को छूती हैं? नहीं, कदापि नहीं।

दोस्तों अगर यह सब सही होता, तो चीन और जापान जैसे एशियाई राष्ट्र, जिन्हें अपनी भाषा और संस्कृति पर पूरा नाज है, आज पिछड़े होते। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों देश आर्थिक और सामरिक रूप से सुदृढ़ हैं और दुनिया की किसी भी चुनौती का प्रतिरोध करने की क्षमता रखते हैं। इससे तो यही साबित होता है कि दुनिया के विकास का दामन सिर्फ अंग्रेजी भाषा

ने नहीं थाम रखा है। वस्तुतः हमारा और हमारे देश का विकास हमारी अपनी भाषा में ही 100 फीसदी संभव है मेरा यह अटूट विश्वास है, आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ दृढ़ इच्छाशक्ति की। प्रिय देशवासियों ! इस लेख के माध्यम से आप सबसे मेरा मार्मिक आग्रह है कि अपनी मातृभाषा के प्रति पूरी निष्ठा व श्रद्धा रखते हुए उसके प्रचार व प्रसार को आगे बढ़ाएं तथा जनसाधारण को आश्वस्त करें कि आपकी तथा राष्ट्र की सच्ची एवं स्वाभिमानी प्रगति तभी संभव है जब हम सभी देशवासियों ने जिस प्रकार आपसी समझ को स्थापित करते हुए एक राष्ट्र-ध्वज को अंगीकृत किया है, उसी प्रकार हिंदी भाषा को भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कृत-संकल्प हों। ऐसी क्या विशेष बात है अंग्रेजी भाषा में जो हिन्दुस्तान में बोली जाने वाली 300 से अधिक बोलियों में नहीं पाई जाती है। आप अंग्रेजी जानते हैं अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए ललचाई इच्छा से अंग्रेजी भाषा की ओर न देखें। क्योंकि आपकी हिंदी भाषा से वह सब कुछ संभव है जो अंग्रेजी भाषा से। स्वागत है यदि आप अंग्रेजी भाषा पर अधिकार रखते हैं जहाँ आवश्यकता होती है, बोलते हैं किन्तु अपनी मातृभाषा और उसको बोलने वालों के प्रति उपेक्षा भरा नजरिया न रखें क्योंकि जब हम ही अपने राष्ट्र, उसकी भाषा और उसकी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा हर्गिज नहीं करेगा। महज राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्रीय आयोजन या हिंदी पखवाड़ा भर मना लेने से देश और उसकी भाषा का सम्मान नहीं हो जाता है। सम्मान और श्रद्धा तो हृदय से उत्पन्न होती है। हमें अपने राष्ट्र की गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति और उसकी भाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए। मत भूलो ‘हिंदी’ भाषा के उस गौरवशाली इतिहास को जिसने भारत के स्वाधीनता संग्राम में जान फूँकी और रेडियो स्टेशनों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना की वाहक बनी। प्रिय पाठको ! मेरे इस लेख से अगर किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई हों, तो मैं उसके लिए क्षमायाची हूँ। इसी आशा के साथ मैं अपनी लेखनी को विराम देता हूँ, कि यह लेख लोगों का हिंदी भाषा के प्रति नजरिया बदलने में कामयाब हो इसी प्रत्याशा के साथ!

जय हिंदी, जय भारत



विनोद यादव
सामुदायिक रेडियो

कौन?

कौन भरता है हवा...
पंछी के पाँखों में?

कौन बरसता है बूंदे बन...
तपती धरती की बांहों में?

कौन रंगता है सुर्ख लाल...
महताब के गुलाबों में?

ये किसकी खुशबू पसरी है...
जर्रा-जर्रा इन बागों में?

कौन टिमटिमाता है दिये...
स्याह आसमानों में?

ये ओस पर इबारत है किसकी...
मेरे कमरे के रोशनदानों में?

धौंकता है कौन, अविरल...
धौकनी मेरी सांसों में?

ये किसकी धड़कन, हर पल...
बसी मेरे मन-प्राणों में?

कौन आकर बुनता है खाब
मेरी रात के तानो-बानो में?

कौन है, जो है तो नहीं
पर है भी, मेरे अहसासों में?

प्रोफेसर भारत लोहनी
सिविल अभियांत्रिकी



एक पत्ता हूँ

एक पत्ता हूँ तूफानों के रुख को बदलता रहता हूँ
पानी की एक बूँद हूँ सागर की लहरों पे सवार रहता हूँ
एक साँस हूँ जो जिन्दगियाँ आबाद करती है
समय का एक पल हूँ जहाँ सदियाँ बदल जाती है
अनंत पे एक बिन्दु हूँ जहाँ तुम्हारी नजरें बरबस ठहर जाती हैं
दिगंत की एक लकीर हूँ जहाँ समय शून्य में सिमट जाता है
और अंत में,
एक कोशिका हूँ जिसमें अनगिनत पीढियाँ समायी हैं।

डॉ. राम मनोहर विकास



भटकन

सत्य, श्वेत-श्याम या है सापेक्ष, क्षणिक?
पूर्णत्व चिरंतर या है सीमित, भ्रमित?
प्रश्न ये है आज, कि प्रश्न किससे पूछूँ?
प्रणेता से दूर मैं, अस्तित्व कहाँ ढूँँ?
तर्क-वितर्क कितना प्रबल, प्रभावी?
भक्ति है षडयंत्र या दिशा गुणकारी?
विश्वास किसका करूँ गूढ़, दूभर राहों पर?
दिक्सूचक किसे करूँ इस जटिलमार्ग पर?
सुर्ख आँखें रो रहीं, आँसुओं से बिछड़कर,
लहरें डबडबा रहीं, किनारों से स्नेह कर।
प्रश्न ये है आज, कि प्रश्न क्या पूछूँ?
बवालों में मनवा डूबा, सुकूँ कहाँ ढूँँ?

प्रोफेसर समीर खांडेकर
यांत्रिक अभियांत्रिकी



सूर्यास्त

सूर्यास्त अम्बर में
 दमक रहा था, सूर्य जो नभ में,
 बना सिंदूरी थाल सा आज!
 किसने फेंकी नील गगन में,
 लाल सुनहरी चूनर साज!
 किसने फेंकी नील नभ में,
 धवल मेघ की तरुणी साज!
 चित्रकार है कौन गगन में,
 जो रंगों पर करता नाज़!
 अम्बर की सुन्दर छवि में,
 मोरों ने दिये पंख उतार!
 भ्रमित पपीहा नील गगन में,
 देख अम्बर का रूप अपार!
 आज सरित के सुरम्य तट में,
 चकवा-चकवी का जुड़ा समाज!
 खोया पपीहा नील गगन में,
 देख अम्बर का रूप अपार!
 आज गगन के रूप में,
 चातक चकोर बन जाऊँगा!
 लाल सुनहरी चूनर पर,
 मोती तकवाने आऊँगा!
 थाल लिए मोती का,
 जैसे चातक आता है!
 लाल सुनहरी चूनर का रंग,
 अंबर में खो जाता है!
 थाल सजाये मोती का,
 अम्बर मस्त हुआ है आज!
 देख न पायी निशा आज तक,
 सूर्यास्त का रूप अपार!

पूजा मिश्रा



प्रेम की तलहटी

प्यार के सागर में
 दोनों ने खूब अठखेलियाँ की थीं,
 हवा का स्पर्श और बूँदों का प्रहार
 एक लम्बे अरसे तक दोनों ने महसूस की थी।
 हाथ छूट गये थे
 जब वह लहर आकर उनसे टकराई थी
 वह तैरते हुए दूर किनारे पर निकल गयी थी
 और वह डूबता गया था....बस डूबता गया था,
 वह प्रेम की तलहटी थीं
 जहाँ ढेरों लार्शें बिखरी पड़ी थी
 एकटक, एक दूसरे को देखती हुई,
 निःशब्द.....!!

मनीष कश्यप
 छात्र



रिश्ते का दर्द

रिश्ते इतने सारे खो चुके हैं
 कि अब और बनाने से डरते हैं
 बसते तो वो सदा अपने दिल में हैं
 फिर भी क्यों यूँ दूर चले जाते हैं,
 लोग कहते है बात पुरानी हो गई
 फिर भी हाल ही की सोच के तडपते हैं,
 साथ छूटने में तो पल भी नहीं लगता
 फिर भी क्यों रिश्ते यूँ बनते रहते हैं,
 रिश्तों की डोर हम यूँ थाम कर चलते हैं
 कि टूटने के ख्याल से ही दहलते हैं,
 शायद इनसे परे होना अपने बस में नहीं
 यह जान कर भी वो सदा का दर्द बन जाते है
 हाय, रिश्ते इतने सारे खो चुके हैं
 कि अब और बनाने से डरते हैं



कंकल

गायत्री मंत्र

मेरे इस आलेखन का मन्तव्य है अन्यान्य लोगों के साथ उस दिव्य 'ऊँ' उद्बोध, जिसे वेदमूर्ति श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा सुप्रतिष्ठित गायत्री मंत्र की शक्ति एवं सनातन विज्ञान को पुनर्जीवित करते हुए प्रवाहित किया गया है, को साझा करना चाहती हूँ। मैं वर्ष 1998 के दिसम्बर माह में शांतिकुंज आश्रम, हरिद्वार (आचार्य के मिशन का मुख्यालय) गयी थी, जब मैंने पवित्र गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी एवं तब से निरन्तर इसका जप कर रही हूँ तथा उसे अन्य लोगों के साथ बाँट रही हूँ।


गायत्री मंत्र के इस सनातन विज्ञान को आचार्य जी द्वारा पुनर्जीवित करते हुए इसकी पहुँच जाति, वर्ग, लिंग अथवा धर्म के भेद से परे सभी के लिए सुगम कर दी गयी है। जिस प्रकार विख्यात पौराणिक ऋषि भगीरथ जी ने गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कराया था, उसी भाँति आचार्यजी ने भी शक्तिशाली गायत्री (मंत्र) की आध्यात्मिक शक्तियाँ हम सब तक विस्तीर्ण कर दी हैं। यह मंत्र जिसका अभ्यास कोई भी करे उसके गहन अंतस् को जागृत कर देता है और उसे विवेक, शांति तथा (परम) आनन्द से ओत-प्रोत कर देता है, उसमें ऐसी तरंगों का संचार कर देता है जो हमें परस्पर सद्भाव और शांति में रहना व दूसरों की सेवा करना सिखाती हैं तथा हमारी अन्तः शक्ति, बौद्धिक क्षमता एवं सृजनात्मक शक्तियों का स्फुरण कराती हैं।

चूँकि भारतवर्ष में हमने अपनी स्वयं की शक्तिशाली आध्यात्मिक विरासत को विस्मृत कर दिया है, अतः मुझे इस भाँति लिखने की उत्प्रेरणा हुयी है। वे सब जिन्हें अधिक जानने की जिज्ञासा है, अपने संज्ञानार्थ शांतिकुंज आश्रम हरिद्वार से संपर्क कर सकते हैं। इस लेख को जो भी पढ़ें, उनकी जानकारी के लिए अवगत कराना चाहूँगी कि श्री आचार्य श्रीराम शर्मा जी आई.आई.टी.कानपुर में 18 अप्रैल 1981 को पधारे थे तथा उन्होंने एल-7 में विज्ञान एवं अध्यात्म की synthesis पर एक व्याख्यान दिया था जो दीक्षित परिवार (श्री विमल दीक्षित तथा उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम दीक्षित) की निष्ठापूर्ण देखभाल में आध्यात्मिक ऊर्जा से सचमुच ओत-प्रोत हो गया है। उन्होंने उसी दिन टाइप-1 सुरक्षा कार्यालय के सन्निकट एक गायत्री मंदिर की नींव भी रखी थी।

अन्त में, मैं इस प्रार्थना के साथ अपने आलेख की इति करती हूँ कि भारतवर्ष की हमारी यह सनातन भूमि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः प्राप्त करे और सत्य, शांति, सद्भाव, अनुरक्ति एवं सद्बिबेक से जगमगाये।

आचार्य श्रीराम शर्मा के अममोल वचन

- * संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं—एक दुःख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्यत्व का विकास नहीं होता।
- * संपदा को जोड़-जोड़ कर रखने वाले को क्या पता कि दान में कितनी मिठास है?



- * जीवन में दो ही व्यक्ति असफल होते हैं—एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं।
- * मानसिक बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है, हृदय को घृणा से और मन को भय व चिन्ता से मुक्त रखा जाय।
- * मनुष्य कुछ और नहीं, भटका हुआ देवता है।
- * असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया।
- * शारीरिक गुलामी से बौद्धिक गुलामी अधिक भयंकर है।
- * असंभव कार्य केवल वे कर सकते हैं जो अदृश्य को भी देख लेते हैं।
- * मनुष्य की वास्तविक पूँजी धन नहीं, विचार है।
- * मनः स्थिति बदले, तब परिस्थिति बदले।
- * देश रचनात्मक कार्यों से समर्थ बनेगा।
- * सबसे बड़ा दिवालिया वह है जिसने उत्साह खो दिया।
- * वसुधैव कुटुम्बकम्।
- * समय, प्रतिभा, धन जैसे संसाधनों का सदुपयोग हमें समाज के उत्थान में करना चाहिए।
- * जहाँ नारी का सम्मान होता है, वह समाज समृद्ध होता है।



डॉ. अपर्णा धर
गणित एवं सांख्यिकी विभाग

क्या ईश्वर सर्वव्याप्त है ?

राहुल और कार्तिक हमेशा की तरह अंग्रेजी व्याकरण की कक्षा से ऊब रहे थे। राहुल ने ऊब से बचने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तक के अंदर टिनटिन कॉमिक्स डाइजेस्ट छुपा रखा था और उसे पढ़कर आनंद ले रहा था। राहुल का मित्र कार्तिक उसके बगल में बैठा था। यद्यपि वह भी कक्षा में ऊब रहा था किन्तु राहुल जैसा काम करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। कार्तिक इस बात से भयभीत नहीं था कि उसके शिक्षक उसे कॉमिक्स पढ़ते हुए देख लेंगे, अपितु वह ईश्वर से डर रहा था क्योंकि वह मानता था कि ईश्वर की नजर सदैव उस पर रहती है। राहुल के समान उसकी कक्षा के अधिकांश छात्र पढ़ाई में दत्तचित होने का स्वांग रचने में माहिर हैं, हालांकि मानसिक रूप से वे उस फिल्म के बारे में सोचते रहते हैं जो उन्होंने एक साथ मिलकर देखने की योजना बनाई है या वे दिवास्वप्न देखकर ही खुश हो जाते हैं। राहुल उस कक्षा का सबसे चालाक छात्र है क्योंकि वह अपनी आँखें खुली रखकर भी सोने में समर्थ है! कोई भी शिक्षक उसकी चालाकी को नहीं पकड़ पाता क्योंकि शिक्षक के पूछने पर बड़ी सफाई से वह सहमति में अपना सिर हिला देता है कि जो भी पढ़ाया गया है, वह उसकी समझ में आ गया है। चूंकि कार्तिक ईश्वर से बराबर डरता है इसलिए वह इस प्रकार के काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कार्तिक की माँ उसे अक्सर बताती रहती है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और वह हमारे द्वारा किये गये हर कार्य पर अपनी नजर रखता है। उसकी माँ उसे यह भी बताया करती है कि भगवान के पास हमारे सभी गलत कामों का लेखा-जोखा रहता है तथा उन्हीं कर्मों के अनुसार वह हमें दण्ड देता है। राहुल जब भी अपने शिक्षक को धोखा देने की कोशिश करता है, कार्तिक के मन में यही बात आती है कि राहुल ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति की उपेक्षा करके अपने आपको धोखा दे रहा है।

स्कूल की घंटी बजती है- “ टन टन...टन टन..” जो दस मिनट के अल्प मध्यावकाश का संकेत करती है। मध्यावकाश की समाप्ति के बाद अंग्रेजी भाषा के शिक्षक छात्रों को कविता पढ़ाने के लिए कक्षा में फिर से आने वाले हैं। मध्यावकाश के दौरान राहुल एवं कार्तिक लघुशंका से निवृत्त होने के लिए प्रसाधन जाते हैं। रास्ते में कार्तिक राहुल से कहता है कि शिक्षक को धोखा देना उचित नहीं है क्योंकि ईश्वर तुम्हारे कार्यों को देख रहा है। राहुल और कार्तिक के बीच ईश्वर के व्यवहार के तरीकों को लेकर बहस छिड़ जाती है किन्तु कार्तिक राहुल को अंत तक यह स्वीकार नहीं करा पाता है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। वे प्रसाधन में प्रवेश करते हैं। लघुशंका से निवृत्त होते समय राहुल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कराहट आयी। उसने कार्तिक से कहा, “अच्छा मित्र, तुम सोचते हो कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है! तुम्हारे कहने का मतलब है कि ईश्वर हमारी कक्षा के अंदर भी विद्यमान है?” क्षण भर के लिए कार्तिक चौंक गया, फिर भी उसने दृढ़ता से उत्तर दिया “हाँ, बिलकुल! मेरी माँ भी यही कहती है। मेरी माँ धर्मपरायण महिला हैं तथा मैं उन पर अटूट विश्वास रखता हूँ। ईश्वर निःसंदेह हमारी कक्षा में विद्यमान रहते हैं और हमारे किये गए हर कार्य पर उनकी नजर रहती है!” राहुल ने चुनौती दी: “यदि ईश्वर हमारी कक्षा में सच में विद्यमान हैं, तो उन्होंने जरूर देखा होगा कि मैंने अंग्रेजी व्याकरण की कक्षा में क्या किया है। अब हम फिर से शिक्षक की कक्षा में उपस्थित होने जा रहे हैं। केवल तुम जानते हो कि मैंने क्या किया है, और तुम यहाँ मेरे साथ हो। देखो! भगवान मेरे काम के बारे में शिक्षक को क्या बताते हैं तथा शिक्षक उनकी तरफ से मुझसे क्या कहते हैं। तब मैं निश्चित रूप से भगवान पर विश्वास कर लूंगा और जीवनभर किसी को धोखा नहीं दूंगा!” कार्तिक अब बेहद चिन्तित हो उठा। (हालांकि उसे विश्वास है कि ईश्वर वहाँ मौजूद है, और वह निश्चय ही शिक्षक को इस संदर्भ में कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा।)



“टन टन...टन टन..” घंटी की आवाज ने कक्षा शुरु होने की उद्घोषणा की। शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया। सब बच्चे खड़े हो गये और उनका अभिवादन किया। उन्होंने सभी से बैठने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने हाजिरी लेना शुरु कर दिया। शिक्षक के आव-भाव देखकर कार्तिक को कहीं से यह महसूस नहीं हुआ कि शिक्षक को राहुल की शरारत की कोई जानकारी है। शिक्षक ने हमेशा की तरह बच्चों के अनुक्रमांक पुकारते हुए उनकी हाजिरी लेना शुरु कर दिया। “अनुक्रमांक पैंतीस.....(कार्तिक)” “हाजिर सर.....” “अनुक्रमांक छत्तीस.....सैंतीस.....चालीस.....” “अनुक्रमांक इकतालीस.....(राहुल)” “हाजिर सर.....” । शिक्षक ने राहुल की ओर देखा, एक क्षण के लिए उसे घूरा और उन्होंने जानी-पहचानी मुस्कान के साथ कहा, “ राहुल, तुमने पिछली कक्षा में अपनी व्याकरण की पुस्तक के अंदर टिनटिन कॉमिक्स डाइजेस्ट छुपाकर रखी थी और उसे पढ़ रहे थे! “ राहुल यह सुनकर हक्का-बक्का रह गया। वह निःशब्द हो गया। वह अस्फुट स्वर में बोला, “लेकिन सर.....आपको कैसे पता चला?... ..नहीं सर.....क्षमा करें सर।” “बैठ जाओ और स्थिर हो जाओ” शिक्षक ने शांत स्वर में कहा, अब इसके बाद ऐसा दुबारा न करना।” शिक्षक की बात सुनकर कार्तिक भी भौंचक्का था, लेकिन उसने स्वयं को सन्हाला। वह इतना खुश था कि भगवान ने शिक्षक के माध्यम से उसकी बात कहकर स्वयं की व्यापकता को सिद्ध कर दिया। शाम को वह दौड़ा-दौड़ा अपने माँ के पास पहुँचा और उनसे सारी बात बताई। राहुल अपनी जिन्दगी में पहली बार करीब के मंदिर में गया और वहाँ पूजा की, उसने ईश्वर को वचन दिया कि इस तरह का छल अब वह कभी नहीं करेगा। उसी समय, कैटीन में अंग्रेजी के शिक्षक चाय की चुस्की लेते हुए अपने साथियों को वास्तविक बात बताते हुए ठहाका लगा रहे थे। वे बताने लगे कि किस प्रकार उन्होंने सुबह नाश्ते में मसाला दोसा खाया था जिससे उनका पेट खराब हो गया था और किस प्रकार कक्षा समाप्त होने के बाद पेट की मरोड़ खत्म करने के लिए प्रसाधन की ओर भागे थे, इसी बीच राहुल और कार्तिक वहाँ पहुँचे थे और संयोग से उन्होंने उनकी पूरी बात सुन ली थी और किस प्रकार कक्षा में ईश्वर के प्रति राहुल के विश्वास को उन्होंने पुष्ट कर दिया तथा अध्ययन के प्रति उसकी अभिरूचि पैदा कर दी ।

डॉ. टी. रविचन्द्रन
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग



अनुवाद: राजभाषा प्रकोष्ठ

कोशिश

कोशिशों में न कोई कमी कर,
हालात जैसे भी हों उनसे मत डर,
मुश्किलें जैसी भी हों उनसे लड़,
सब कुछ छोड़ मंजिल की ओर बढ़,
कोशिश कर! कोशिश कर!! कोशिश कर!!!

है आज घनघोर अंधकार, तो
वो भी दूर हो जायेगा,
सूरज की पहली किरण उगते ही,
सब तरफ उजाला छा जायेगा
फिर क्यूँ रुके कदम हिम्मत बनाये रख
आगे बढ़, मंजिल की ओर आगे बढ़
कोशिश कर! कोशिश कर!! कोशिश कर!!!

लोग बढ़ते हैं, थम जाते हैं
हिम्मत जुटाते हैं फिर पथ भूल जाते हैं
अच्छे काम में दुश्वारियाँ जरूर आती हैं
सहज मार्ग में काँटे बिछा जाती हैं
सफलता के लिए बस हिम्मत जरूरी है,
दृढ़ कदमों के पीछे वो स्वयं चली आती है,
मत घबरा, साहस संजोये रख,
आगे बढ़, मंजिल की ओर आगे बढ़
कोशिश कर! कोशिश कर!! कोशिश कर!!!

प्रणव
वित्त एवं लेखा अनुभाग



मौके

इस भाग-दौड़ की दुनिया में
कई बार मिले हैं मौके,
कुछ खोये, कुछ साधे,
तो कई बार मिले हैं धोखे,
ना कुछ हर्ष मुझे अब,
ना ही कोई शिकायत, गम,
बहुत उड़ा ली चिड़िया चिन्ता की,
ना करना अब नयनों को नम,
यह वक्त 'रवि'!
यूँ ही चलता जाएगा,
कुछ मौसम हैं जो बदलेंगे,
कल फिर कोई सावन आएगा।
किन्तु,
इन्तजार से अच्छा है,
पहले से घर, बाँध बना ले,
उस मौसम में
उम्मीदों के बादल बरसेंगे,
नदियाँ छलकेंगी, खुशियाँ बिखरेंगी,
लेकिन कीचड़ भी बिखरेगा,
आंधी-चक्रवात भी आयेंगे।
और यह वक्त 'रवि'!
यूँ ही चलता जायेगा।

रवि प्रकाश मीणा



मन का दर्पण

जैसे दर्पण के सामने कुछ भी रखा जाए वह उसे बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिम्बित करता है, उसी प्रकार जब आपका मन रूपी दर्पण बिल्कुल शान्त हो जाएगा, तो आप दूसरों के वास्तविक गुणों को इसमें प्रतिबिम्बित होते देख पायेंगे। यदि आप सदैव सबका भला करते रहते हैं और शान्त व ध्यानजनित अवस्था में रहते हैं, तो जो कोई भी आपके सामने आएगा उसका वास्तविक चरित्र आपके सामने प्रकट हो जाएगा।

श्री परमहंस योगानंद

यादों की रेल

आज शहर से वापस आते समय रेलवे क्रासिंग पर कुछ अधिक ही समय लग गया। खैर, अब तो वर्षों से आदत सी हो गयी है और हम सब इसके लिए तैयार भी रहते हैं। रेल की प्रतीक्षा करते-करते मैं सोचती रही, बचपन में कितना उत्साह होता था रेल देखने और रेल यात्रा करने का। याद आ गये वो दिन, गर्मियों में नानी के यहाँ जाने की साल भर प्रतीक्षा होती थी और फिर वो तैयारियाँ। आज के युवा वर्ग को तो ज्ञान नहीं होगा पर हम जैसे कुछ लोगों को याद होगी वो सुराही, होल्डाल, कुल्हड़ की चाय और पूरी-आलू वाली यात्राएं, वो उपन्यास लेकर खिड़की के पास बैठना, खिड़की खोलना-बंद करना और बाहर झांकना और इस प्रयास में कभी-कभी आँखों में कोयले का चला जाना। आज हम अधिक दूर की यात्रा कम समय में करते हैं, पहले कम दूरी की यात्रा अधिक समय में करते थे और गंतव्य पर पहुँचने पर दुख होता था, लगता था कि यात्रा थोड़ी और लंबी होती तो अच्छा था।

आजकल मेरी अधिकांश रेल यात्राएं शताब्दी या राजधानी से दिल्ली तक होती हैं। इन यात्राओं में वातावरण बिल्कुल अलग होता है। खाने, नाश्ते, सूप, जूस के बीच उलझे लोगों के मोबाइल पर बजती धुनें और गाने और फिर फोन पर लोगों की लंबी बातचीत, सामने लैपटॉप खोले कान में ब्लू-टूथ लगाये अपने में खोये लोग। समय तो बदलता ही है और पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इस यात्रा का भी अपना एक अलग आनंद है। प्रशंसनीय है भारतीय रेलें जो इतनी कमियों, भ्रष्टाचार के होते हुए भी इतनी लंबी दूरी की यात्राएं कराती हैं और अधिकांशतः उन्हें समय पर पूर्ण कर लेती हैं।

लीजिए, प्रतीक्षा समाप्त हुई, ट्रेन आ गई। अभी भी जाती हुई रेल देखना अच्छा लगता है। धीमी गति से जाती इस ट्रेन में आज कुछ अधिक ही भीड़ है। सामने से कुछ डिब्बे निकले, कुछ लोग आराम से उनकी छतों पर बैठे थे। कितनी दुर्घटनाएं भी हो गयी हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं मानते? शायद उनकी मजबूरी?

परिसर के अंदर आकर कुछ शांति सी मिली पर घर जाकर भी मन कुछ खिन्न सा था। मुझे याद आ गया था कि एक बार विदेश में कुछ चर्चा हो रही थी तो एक विदेशी मित्र ने हंसते हुए पूछा था क्या तुम लोग भी ट्रेन की छत पर बैठ कर यात्रा करते हो? हम लोग कुछ अवाक् से हो गये थे पर उसका पूछना अनुचित ना था, छतों पर बैठे लोग भी भारतीय ही हैं और वो विदेशी लोग जिनके यहाँ हर जीवन मूल्यवान है, साफ-सुथरी ट्रेनें समय पर चलती हैं, फिल्मों में ये दृश्य देखकर वे हम पर हँसेंगे ही।

मुझे याद आ गयीं विदेशों में की हुई कुछ यात्राएं। कुछ वर्षों पहले हम लोग जर्मनी में दामस्टार्ड में थे और हमारा बेटा बॉन में पढ़ता था। प्रायः हर सप्ताहांत ही हम बॉन आते-जाते रहते थे, राइन नदी के किनारे-किनारे की वह रेल यात्रा मुझे बहुत सुहानी लगती, सारा वातावरण ही बड़ा नैसर्गिक



लगता। यूरोप में और भी बहुत रेल यात्राएं हुईं। वहाँ की सुन्दर प्राकृतिक छटा और शानदार रेलों ने मन मोह लिया था पर धीरे-धीरे एकरसता सी लगने लगी, सब कुछ इतना व्यवस्थित और एक जैसा।

एक बार कहीं पढ़ रही थी कि हम भारतीयों को रोज जो छोटी-छोटी खुशियाँ मिलती हैं उसकी कुछ लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, अब बिजली ना आ रही हो और अचानक आ जाए, ट्रेन लेट हो और प्लेटफार्म पर बहुत देर से खड़े-खड़े.. आपको ट्रेन आती दिख जाए, लंबी यात्रा में आप गड़ढ़ों वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हों और थोड़ी सी अच्छी सड़क मिल जाए, किसी सरकारी दफ्तर में आपका काम रुका पड़ा हो और किसी दिन वो काम बिना कुछ लिए-दिए हो जाए, तो इन खुशियों से अन्य देशों के लोग वंचित ही हैं ना?

चाय बनाते-बनाते मुझे डरबन की एक रेल-यात्रा याद आ गयी। वहाँ रेल यात्राओं का इतना प्रचलन नहीं है। सुरक्षा कारणों से भी लोग रेल-यात्रा नहीं करते हैं। साल-डेढ़ साल हो रहे थे, हम रेल में बैठे भी नहीं थे। अब हम भारतीयों का रेल-प्रेम देखिये, हम 4-5 परिवारों ने तय किया कि एक छोटी सी रेल-यात्रा की जाये। वहाँ एक पुरानी रेल क्लूप से इन्चंगा तक जाती है और इन्चंगा स्टेशन पर एक छोटा सा मेला लगा होता है। सच मानिये उस ट्रेन में मित्रों के साथ हँसते-गाते, खाते-पीते हुए यात्रा का बहुत आनंद आया। हाँ, उस पुरानी ट्रेन में एक डिब्बे पर अभी भी लिखा था “काले और

धन की सार्थकता

राजा भोज धर्मशास्त्रों के अनुसार ही जीवन बिताने का प्रयास करते थे। वह इतने बड़े दानी थे कि कोई भी उनके घर से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राज्य का दीवान राजा की इस प्रवृत्ति से चिंता में पड़ गया। उसे लगा कि यदि राजा इसी प्रकार दान देते रहे, तो एक दिन राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। दीवान ने एक दिन राजा भोज के भोजन कक्ष की दीवार पर एक सूक्ति- ‘आपदार्थे धनं रक्षेत’ यानी ‘आपातकाल के लिए धन संभालकर रखना चाहिए’ लिख दी। राजा ने देखा, तो उसके नीचे लिख दिया- ‘श्रीमतां कुत आपदा’ अर्थात् ‘सक्षम लोगों पर आपदा कहाँ आती है?’

अगले दिन दीवान ने राजा की लिखी सूक्ति पढ़ी, तो फिर उसके नीचे लिख दिया- ‘दैवात् क्वचित् समायाति’ यानी ‘यदि दैवयोग से विपत्ति आ जाए तो...?’ राजा ने जब यह सूक्ति पढ़ी, तो उन्होंने उसके जवाब में लिखा- ‘संचितो अपि विनश्यति’ यानी ‘ऐसा भी समय आता है, जब संचित संपत्ति भी नष्ट हो जाती है।’ उसके बाद राजा ने दीवान से मिलने पर कहा, राज्य के हित में तुम्हारी चिंता अपनी जगह ठीक है, किन्तु धर्मशास्त्रों के अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि लक्ष्मी चंचला है। सार्थकता उसी धन-सम्पत्ति की है, जिसका उपयोग गरीबों-असहायों की सेवा के लिए किया जाता है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर निरंतर सद्कर्मों में इसका उपयोग करना चाहिए।



भारतीयों के लिए नहीं” (नॉट फॉर ब्लैक्स ऐन्ड इंडियंस) हम लोग उसकी फोटो ले रहे थे तो कुछ गोरे लोगों ने सफाई दी कि यह पुरानी बात है, इस पर ध्यान न दें। पर हमें वर्षों तक रंगभेद नीति से त्रस्त अफ्रीका की स्थिति का कुछ आभास तो हो ही गया था।

चाय का प्याला लेकर मैं बैठ गयी, टी.वी. चला दिया। चुनावी मौसम है और चटपटी खबरों की भरमार है। ये चुनाव 2014...क्या देश की स्थिति में कुछ बदलाव आएगा, ये काले बादल छँटेंगे? कुछ ईमानदार प्रयास भी हो रहे हैं, देखें क्या होता है अब तो हमारी भारतीय संस्कृति पर ही प्रश्न चिन्ह लग गये हैं, जिस सभ्यता और संस्कृति का गुणगान करते हम थकते नहीं हैं, पिछली कुछ घटनाओं ने उसी को तार-तार कर दिया, ऊपर से ये घटिया नेताओं के ऊल-जलूल वक्तव्य।

मैंने चैनल बदला, चुनावी रेल में बैठे यात्रियों से उनके राजनीतिक विचार पूँछे जा रहे थे। रेलें हमारे परिवेश और समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिंदी फिल्मों में भी रेलों की अपनी अलग महत्वपूर्ण भूमिका है और बहुत सुन्दर-सुन्दर दृश्य फिल्माए गये हैं। आपको याद है रेल का वह दृश्य और राजकुमार का वह डॉयलाग ‘आपके पाँव देखे, बहुत खूबसूरत हैं.....’ और आज धूम मचाती आई है ‘चेन्नई एक्सप्रेस’। तब और अब का अंतर भी स्पष्ट दिखाई देता है।

रेलों में फिल्माए कुछ और सुन्दर दृश्य याद आ रहे थे कि तभी जोर से कॉल बेल बजी और यादों की रेल के डिब्बों से निकलकर मैं वर्तमान के प्लेटफार्म पर आ गई।



दीपा चन्द्रा

उत्तर भारतीय संगीत में लय एवं ताल का महत्व

समस्त संगीत जगत में उत्तर भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा अपनी विशिष्टताओं के कारण यह विश्व में संगीत के सुप्रतिष्ठित प्रकारों में से एक है। इन विशिष्टताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है विविध लय तथा ताल के प्रकारों का समावेश। लय तथा ताल के विभिन्न प्रकारों का इतना वृहत् प्रयोग विश्व की अन्य संगीत विधाओं में दृष्टिगत नहीं होता और संगीत के अन्य प्रकारों की अपेक्षा वह इसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

गायन, वादन तथा नृत्य में लय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा भी गया है 'श्रुति: माता लय: पिता' अर्थात् संगीत जगत में स्वर को माता एवं लय को पिता का स्थान दिया गया है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को त्रुटि होने पर भी क्षमा कर देती है लेकिन पिता अपने कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन अवश्य करवाता है तथा क्षमा से विरत रहता है। सांगीतिक ग्रंथों में लय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – 'ताल में एक क्रिया एवं दूसरी क्रिया के बीच की विश्रांति का समय जो पहली क्रिया का ही विस्तार है, लय कहलाता है। अन्य शब्दों में यदि कहा जाय तो 'संगीत में बोलों अथवा क्रियाओं की एक निश्चित गति को लय की संज्ञा दी जाती है'। लय, संगीत की प्रस्तुति करने वाले विभिन्न कलाकार एवं श्रोताओं को प्रस्तुति के समय एक डोर में बांधे रखने का भी कार्य करती है जो सामंजस्य बनाये रखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लय मुख्यतः तीन प्रकार की होती है—विलंबित लय, मध्य लय तथा द्रुत लय। जिस लय की चाल बहुत धीमी हो उसे विलंबित लय, जिसकी चाल सामान्य हो उसे मध्य लय तथा जिसकी तेज़ हो उसे द्रुत लय कहा जाता है।

लय विभिन्न रस एवं भावोत्पादन में भी सहायक होती है। लय के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं। विलंबित लय करुण भाव की उत्पत्ति में, मध्य लय शांत, भक्ति एवं श्रृंगारिक भावों की उत्पत्ति में तथा द्रुत लय उद्वेग एवं वीर रस के भावों को बढ़ाने में सहायक होती है।

भारतीय संगीत में ताल का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पाश्चात्य संगीत में ताल के इतने विविध रूप देखने को नहीं मिलते हैं जितने कि भारतीय संगीत में। भरतमुनि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ नाट्यशास्त्र में ताल के विषय में कहा है कि संगीत में काल नापने के साधन को ताल कहते हैं अर्थात् सांगीतिक रचना के विभिन्न खण्डों को नापने के लिए विभिन्न तालों का निर्माण किया गया है। श्री प्रभुलाल गर्ग 'वसंत' जी के अनुसार—जिस प्रकार साहित्य में छंद की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संगीत में ताल की आवश्यकता होती है क्योंकि छंद से ही ताल निर्मित होते हैं।

“संगीत रत्नाकर” ग्रन्थ में ताल को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

तालस्तल प्रतिष्ठायामिति धायोर्धजि स्मतिः।

गीतं वाद्यम् तथा नृत्यं यतस्ताले प्रतिष्ठितम्॥

अर्थात् ताल शब्द तल धातु से बना है तथा जिसमें गीत, वाद्य-वादन एवं



नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं, उसे ताल कहते हैं। प्रतिष्ठा का यहाँ पर अर्थ है आधार देना या स्थिरता प्रदान करना। ताल को इस प्रकार से भी परिभाषित किया गया है – 'संगीत में व्यतीत हो रहे समय को मापने का वह साधन जो विभिन्न मात्राओं, विभागों, तालियों एवं खालियों के योग से बनता है।' संगीत में स्वर एवं शब्द को ताल के अनुशासन में बांधकर जब श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो श्रोता सुगमता से उस श्रवणप्रिय संगीत का आनंद उठा पाते हैं क्योंकि ताल एक ऐसा गुण है जो कलाकार एवं श्रोता को एक सूत्र में बांधने में सफल होता है। अतः कहा जा सकता है कि अनुशासित रूप में गायन, वादन एवं नृत्य की व्यवस्थित प्रस्तुति ताल के बिना असंभव है जो संगीत में ताल की महत्वपूर्ण उपयोगिता को दर्शाता है।

अनुशासन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह चाहे व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो अथवा सामाजिक, उसकी महत्ता सभी को स्वीकार करनी ही होती है। मनुष्य को बाल्यकाल से ही समय-समय पर अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है जिससे उसका जीवन कष्टरहित एवं व्यवस्थित हो सके। जिस प्रकार अनुशासन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार संगीत के लिए ताल अत्यंत महत्वपूर्ण है। पं. विजय शंकर मिश्र के अनुसार ताल, संगीत को अनियंत्रित होने से रोककर उसे एक निश्चित समय-सीमा में बांधता है। इसके माध्यम से ही गीत-संगीत को एक निश्चित समय-सीमा, परिधि में बाँध पाना संभव हो पाता है।

भारतीय संगीत में तालों की विशेष भूमिका रही है। ताल के बिना संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत के संगीत मनीषियों एवं प्राचीन विद्वानों की दृष्टि में ताल से रहित संगीत आरण्यक संगीत है जबकि तालबद्ध संगीत सामाजिक संगीत है। 'संगीत रत्नाकर' एवं 'नारदार्थ रागमाला' के अनुसार—जिस प्रकार शरीर में मुख और मुख में नासिका का महत्व होता है, उसी प्रकार संगीत में ताल का एक विशेष स्थान होता है।

उत्तर भारतीय संगीत के विभिन्न तालों की रचना अलग-अलग छंदों के अनुसार की गयी है। छंद पाठ में जिस प्रकार निश्चित स्थान पर वज़न देना होता है, ठीक उसी प्रकार ताल में भी अलग-अलग विभाग होते हैं जहाँ वज़न दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर कहरवा ताल में एक विभाग है जो चार मात्रा के बाद आता है परन्तु दादरा ताल में एक विभाग तीन मात्रा के बाद आता है। अतः जिस गीत में चार-चार मात्रा के बाद वज़न आता है, उसमें कहरवा ताल एवं जिसमें तीन-तीन मात्रा के बाद वज़न दिया जा रहा हो, उसमें दादरा ताल का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार सही ताल का चयन गीत को सुन्दर बनाता है एवं गलत ताल का चयन गीत को और भी खराब बना देता है।

कुछ प्रमुख तालों के नाम :

1. कहरवा
2. दादरा
3. झपताल
4. रूपक
5. चारताल
6. तीनताल
7. एकताल

संगीत में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न सामान्य लय :

1. एकगुन की लय/बराबर की गति
2. दुगुन की लय/बराबर की दो गुना गति
3. तिगुन की लय/बराबर की तीन गुना गति
4. चौगुन की लय/बराबर की चार गुना गति


निष्कर्ष यही निकलता है कि लय और ताल के बिना संगीत की कल्पना भी दुष्कर है। सही लय और सही ताल का चयन संगीत के आनंद को दुगुना कर देता है। लय और ताल तो भारतीय संगीत की आत्मा में ही बसते हैं। ताल और लय हमें संगीत में अनुशासन सिखाते हैं जो आगे चल कर हमारे जीवन में भी काम आता है।

डॉ. देवानंद पाठक
संगीत शिक्षक



बचपन में दी गई शिक्षा, संस्कार और नैतिकता किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिली औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम



मैं हारा नहीं हूँ

मिट्टी से बनी काया को
मैंने पाया है,
रक्त से सींचा जिसे
विचारों से सजाया है,
मैं हारा नहीं हूँ।

दुःखों को टुकड़ों में बाँटकर
शांति का बीज बोया है,
खामोशी को लाँघा है जिसने
वाणी में रस पिरोया है,
मैं हारा नहीं हूँ.....।

तल से आकाश को
मैंने मिलाया है,
कंटकों से भरे सफर को
पुष्पों से सजाया है।
मैं हारा नहीं हूँ.....।

सदियों के श्रम से
मैंने नवनिर्माण किया है,
पथिक को आशियाना
प्यासे को नीर दिया है।
मैं हारा नहीं हूँ.....।

फिर क्यों? माया में फँसकर
अस्तित्व के लिए खतरा बन जाऊँ,
माँ का आंचल सूना करके
आँखों का अश्रु बन जाऊँ।
मैं हारा नहीं हूँ.....।

नहीं ! मैं हारा नहीं हूँ
मुझे तो कड़वे घूँट पीना है,
सृष्टि प्रदत्त मानव रचित
इस जीवन को जीना है
मैं हारा नहीं हूँ..., मैं हारा नहीं हूँ... ।



भारत देशमुख

मेहनत की रोटी

एक घर के सामने सड़क बन रही थी
 गरीब मजदूरिन वहाँ काम कर रही थी
 मजदूरिन के घर का सारा बोझ उसी पर पड़ा था
 उसका नन्हा सा बच्चा उसके साथ ही खड़ा था
 उसके घर के सारे बर्तन सूखे पड़े थे
 दो दिन से उसके बच्चे भूखे खड़े थे
 बच्चे की निगाह सामने के बँगले पर पड़ी
 देखा! आई घर की मालकिन, हाथ में रोटी लिए खड़ी
 बच्चे ने कातर सी नजर मालकिन की तरफ डाली
 लेकिन मालकिन ने रोटी, पालतू कुत्ते की तरफ उछाली
 कुत्ते ने सूँघकर रोटी वहीं छोड़ दी
 और अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ दी
 कुत्ते का ध्यान रोटी की तरफ नहीं था,
 शायद उसका पेट पूरा भरा था
 ये देख कर बच्चा गया माँ के पास,
 भूखे मन में रोटी की लिये आस
 बोला-माँ! क्या, मैं यह रोटी उठा लूँ?
 तू जो कहे तो वो रोटी मैं खा लूँ
 माँ ने पहले तो बच्चे को मना किया,
 बाद में मन में ये खयाल किया कि-
 कुत्ता अगर भौंका तो मालिक उसे दूसरी रोटी दे देगा
 मगर मेरा बच्चा रोया तो उसकी कौन सुनेगा
 माँ के मन में खूब हुई कशमकश
 लेकिन बच्चे की भूख के आगे वो थी बेबस
 माँ ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया,
 बच्चे ने दरवाजे की जाली में हाथ घुसाया
 बच्चे ने डर से अपनी आँखों को भींचा
 और धीरे से रोटी को अपनी तरफ खींचा
 कुत्ता ये देखकर बिल्कुल नहीं चौंका
 चुपचाप देखता रहा जरा भी नहीं भौंका
 कुछ मनुष्यों ने तो बेंच दी सारी अपनी हया है
 लेकिन कुत्ते के मन में अब भी कुछ दया है।



रंजना सुनील श्रीवास्तव
 कनिष्ठ सहायक, परियोजना

कुछ नशा तो है तेरी बातों में

कुछ नशा तो है तेरी बातों में
 कि सुनता हूँ जब भी, मैं झूम सा उठता हूँ..
 कोई राज तो है तेरी आँखों में..
 कि देखता हूँ जब भी, न जाने कहाँ खो जाता हूँ..
 है बात कोई, जो तेरी पलकें मुझसे छुपाए..
 और एक मेरे लब हैं कि.. अनकही हर बात कह जाएं..

तेरी जुल्फों में बस मेरा, खो जाने का मन करता है..
 पल दो पल के लिए ही सही, तेरा हो जाने का मन करता है..
 अनजाने में इक दिन, छूकर गुजरा जब हाथ तेरा..
 तब माँग लिया मैंने भी खुदा से, सदा के लिए बस साथ तेरा..

तेरे कानों में जो जाए, वो आवाज सिर्फ मेरी क्यों न हों..
 तेरी बाहों में जो खो जायें, वो बाहें सिर्फ मेरी क्यों ना हो..
 तेरे चेहरे को जो निहारे, वो नजरें सिर्फ मेरी क्यों न हों..
 और तेरे दिल पे जो अपना दिल हारे, वो दिल सिर्फ मेरा क्यों न हो..

मेरी राहों से जो गुजरे, वो मुसाफिर हो तुम..
 मेरे हर लफज में जो छुपा है, वो दर्द हो तुम..
 मेरी आँखों में जो बसा है, वो सुहाना ख्वाब हो तुम..
 जिसे दूँढ़ता था हर गली, हर पल..
 मेरे उसी सवाल का शायद जवाब हो तुम..

भीड़ में कभी, जब खो जाऊँ मैं कहीं..
 मुझे तलाशते तुम भी, आ जाना फिर वहीं..
 थाम लेना तुम मेरा हाथ, और बिता जाना कुछ पल साथ..
 इतनी सी बस एक ख्वाहिश मैं अपने दिल में रखता हूँ..
 उसी घड़ी के इंतजार में शायद, मैं तेरी राह तकता हूँ..
 उसी घड़ी के इंतजार में शायद, मैं तेरी राह तकता हूँ..



केतन बग्गा, छात्र

कश्मीर के वृत्तांत

आई.आई.टी. दिल्ली की कैटिन में बैठा मैं समाचार पत्रों में देख रहा हूँ कि कल कश्मीर के विभिन्न भागों में क्या-क्या हुआ और क्या-क्या हो सकता है? कश्मीर की मिट्टी में पैदा हुआ मैं देख रहा हूँ कि मेरे देश के लोग कश्मीर के संबंध में कितना कम जानते हैं और अधुनातन भारत में किस भांति अनेक प्रकार के भ्रमपूर्ण वृत्तांत संचार साधनों में उपलब्ध हैं। मेरे मानस में कश्मीर के तीन युगों के वृत्तांत, एक के बाद एक, श्रावणी मेघों की भांति आ रहे हैं। ये युग हैं: आतंक-पूर्व का युग, आतंक का युग और आतंक के पश्चात् का युग।

मैं बहुत छोटा था जब दादी से ऐसा कुछ सुनता था, अशरफ! आज आसमान कुछ रक्तिम है जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर कहीं दूर कोई वध अथवा कोई अन्य अपराध हुआ होगा। दादी की बात का अर्थ था कि कश्मीर विश्व का एक ऐसा भू-भाग है जहां अपराध या हिंसा हो ही नहीं सकते। टी. वी. पर रामायण सीरियल देखकर छोटे बच्चे गलियों में धनुष-कमान खेलते, सीरियल के पात्रों की नकल करते और “जै श्री रामजी” कहते और शोर मचाते घूमते। सब ओर शांति, सहिष्णुता, धार्मिक उदारता का वातावरण था। अमरनाथ की यात्रा को जाने वाले साधुओं को हम बोलते थे: “बाबाजी! सीताराम”। हाँ, उन दिनों इतनी संख्या में लोग अमरनाथ नहीं जाते थे। हमारे गाँव के मुसलमान कहते थे: ‘अल्लाह सब हिंदुओं की रक्षा करे और उसके बाद मुसलमानों की।’ 1984 में (इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद कभी) प्रथम बार हमारे गाँव में सेना आई थी और हम सबने उसका स्वागत किया था। सेना के लोग सामाजिक कार्य करते थे और हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। उनसे, सिवाय हमजा दास के जो एक रेडियो गायक था और पाकिस्तानी कबायली था, कोई नहीं डरता था।

अचानक सब बदल गया। मुस्लिम बुढ़ियाओं का शाप लग गया “yeo gooeil” (तुझे गोली लग जाए)। हिन्दू महिलाएं चीत्कार कर उठीं “payoo kraay” (तू आग में जल जा)। आतंक की गाथा-एक अत्यंत दुखदाई, निराशा भरी, जटिल और शोक की गाथा है। 1990 में पहली बार हुर्रियत के अध्यक्ष, सैय्यद अली शाह जिलानी ने घोषित किया कि कश्मीर समस्या धार्मिक समस्या है। उन्होंने कहा: “मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी भारत के विरुद्ध लड़ रहा है वह धर्मयुद्ध लड़ रहा है।” कुछ काल बाद जमायते इस्लामी के दक्षिण कश्मीर के एक जनपद स्तर के नेता ने कश्मीरी योद्धाओं की Kalashnikov और AK47 की तुलना प्रोफेट मूसा की लाठी से करते हुए कहा कि इनमें असाधारण दिव्य शक्ति है। दिल्ली निवासी एक इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान ने तभी साफ किया था कि कश्मीर समस्या धार्मिक समस्या नहीं है। “आज़ादी” की बातें शुरू हो गई थीं। हम किशोर ऐसा समझते थे कि आज़ादी एक ऐसा बर्फ का गोला है जो आने वाली गर्मियों में आसमान से गिरने वाला है। हर वह मिलिटेंट जिस के पास AK47 है, एक नायक नज़र आने लगा था। अपनी सभाओं के बाद भारत के त्याग के संकेत के रूप में आतंकवादी कागज के भारतीय रूपों को जलाते और फेंकते थे जिन्हे बच्चे आइस्क्रीम खरीदने के लिए उठा लाते थे।

आज आतंक के पश्चात के युग में हम जहाँ कहीं जाते हैं, असुरक्षा और अनिश्चितता से भरे होते हैं। हमारी चर्चाओं के केंद्र में सदैव गए दिनों के विनाश, आतंक और भय की बातें होती हैं। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब भी कहीं आतंकवाद की कोई घटना घटित होती है, मेरी कश्मीरी अस्मिता मुझे व्यथित करती है। मुझे लगता है कि कश्मीरी होना जैसे एक स्नायु-रोग हो। मैं सोचता हूँ कि भारत के लोग कश्मीर के संबंध में कितना कम जानते हैं। इक़बाल का शेर याद करता हूँ:

जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना;
और, काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं।

(अर्थात् एक संकीर्ण मुसलमान सोचता है कि मैं अविश्वासी हूँ और अविश्वासी मानता है कि मैं मुसलमान हूँ।)

एक शोध के अनुसार कश्मीरी लोग जो कश्मीर के बाहर रहते हैं, अपने को कश्मीरी नहीं जताना चाहते। उन्हें सदैव-सर्वत्र यह आशंका रहती है कि उन्हें आतंकवादी कह कर फंसा न दिया जाए। 2008 और 2010 की पत्थरबाजी की घटनाओं और अफजल गुरु की फांसी के बाद प्रतिक्षण एक भय छाया रहा है कि आतंकवाद बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान से अमरीका के वापिस जाने के बाद कश्मीर में आतंकवादी सक्रिय हो सकते हैं।

कश्मीर का भविष्य भारत सरकार के अभिगमों पर निर्भर है। अधिक सदाशयता के साथ संवेदनात्मक और मानवतावादी नीतियों की आवश्यकता है। अपनी दादी के दिनों के कश्मीर की स्मृति के साथ, अंत में मैं Jude Ogunade की एक कविता से उद्धृत करना चाहता हूँ: “विश्व में शांति हो। हम सब शांति, न कि युद्ध देखें। शांति! हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे द्वार पर आओ। शांति! हम भिक्षा मांगते हैं कि हमारे बीच उतरो। शांति! हम तुम्हें चाहते हैं, हमें घेर लो। सदैव शांति हो, शांति कभी समाप्त न हो, शाश्वत शांति हो, रण सदैव के लिए समाप्त हो जाए।”

मो. अशरफ भट्ट
भूतपूर्व शोध छात्र



मैं जीवज हूँ

युगों-युगों से
बिना थके, बिना रुके,
बिना निद्रा का वरण किये,
एक दम सजग,
निर्बाध गति से,
निराकार रूप में गतिमान हूँ,
मैं चलता रहता हूँ निरंतर,
मैं जीवज हूँ।

टूटती है सांसों की लय भी,
दिल की धड़कन भी रुकती है
वेदना हृदय की आँसू बन
दृग कोरों से बह जाती है
अपनों के इंतजार में ही
विस्मित आँखें पत्थर बन जाती हैं
अंततः जिंदगी भी थम जाती है
पर मैं चलता रहता हूँ निरंतर
मैं जीवज हूँ।

तूफानों की गति रुकती है,
प्रलय की चाल भी थमती है,
नदी समुन्दर में मिलकर
अपना आकार खो देती है,
कलानिधि और दिवाकर भी
थककर शयन करते हैं
पर नियति है चलना,
मैं चलता रहता हूँ निरंतर
मैं जीवज हूँ।

कोई रूप नहीं,
कोई वेश नहीं,
राग नहीं, कोई द्वेष नहीं
सुख-दुःख, हर्ष, विषाद से ऊपर
हर दम निडर,

दीन दुनिया से बेखबर
न कोई ओर न कोई छोर
शांत चुपचाप न कोई शोर
न पीछे मुड़ना
न निहारना दायें-बाएं
अपनी ही धुन में सिर्फ आगे की ओर
मैं चलता रहता हूँ निरंतर
मैं जीवज हूँ।

कितनी सदियाँ आईं
और कितनी चली गईं
असंख्य जीव, जंतु, दानव, मानव
आये ठहरे और चले गये
सब रुकते हैं, सभी रुके, सभी थके
पर समय-चक्र कभी रुकता नहीं
मैं अजर हूँ, अमर हूँ
सार्व भौम शाश्वत हूँ
अदृश्य हूँ पर विद्यमान हूँ
समस्त प्राणिमात्र में
संचार करता हूँ प्राण का
इसलिए मैं चलता रहता हूँ निरंतर
जीवन चलने का नाम है
मैं जीवज हूँ।

डॉ. राम नरेश त्रिपाठी 'मयूर'



रजाई

कुछ बातें होती हैं
ढोल पर पहली थाप जैसी
अँधेरे को चीरती
हाथों से टटोलती
आगे बढ़ती हैं।

उनके पैर अन्दर होते हैं
रजाई में,
आँखें बाहर निकालकर
देख लेती हैं,
कर लेती हैं तपतीश
और तसल्ली जब हो जाये
तो ओढ़ लेती हैं
रजाई को खोल जैसे।

अन्दर भी सिकुड़ी ही होंगी !
अपनी पूँछ को
जीभ से मिलाती
सिमटी हैं देखो !

हाँ! अब इतना है लेकिन-
कि ठिटुरती नहीं हैं
वो नंगी बातें।
कुछ बातें होती हैं...



निशांत सिंह
छात्र

मैं कौन हूँ?

मैं कौन हूँ
 मैं अभी इस शरीर के अंदर हूँ,
 इस जन्म से पहले भी मैं था,
 और इस जन्म के बाद भी मैं, मैं ही रहूँगा।
 इस जन्म में मेरा नाम 'क' है,
 पूर्व जन्मों में भी मैं कई नामों से जाना गया हूँ।
 आगे के जन्मों में भी मैं अनंत नामों से जाना जाऊँगा।
 यह यात्रा आदि हीन व अन्त हीन है।
 यह शरीर मैं नहीं पर अभी यह शरीर मेरा है।
 ऐसे असंख्य शरीरों को अपना बना कर,
 उनका अंत मैं देखता हुआ आ रहा हूँ।
 इस वर्तमान शरीर के क्षय होने पर,
 मैं अपनी अनंत यात्रा के दूसरे पड़ाव में पहुँचूँगा।
 सच में, मेरा कोई नाम वास्तव में है ही नहीं,
 'क' मेरे इस शरीर व मेरी युति की संज्ञा मात्र है,
 इस पड़ाव के बाद न 'क' रह जायेगा,
 न ये शरीर,
 पर मैं रहूँगा,
 मैं था, मैं हूँ, और मैं रहूँगा।

बी. एम. शुक्ला
 अभियंता



धर्म

मानव समाज से धर्म पृथक कर लो तो क्या रह
 जाएगा—कुछ नहीं, केवल पशुओं का समूह।

विवेकानंद



एक खोया गाँधी

कठिन ही सही, सच की राह सीधी तो है,
 झूठ-सी न टेढ़ी-मेढ़ी, अंत में मगर जीतती तो है।

छुपा क्या छुपायेगा, बात वही गूँजनी तो है,
 इधर-उधर बहका तू, आखिर वही स्वयं सुननी तो है।

देख रहा तू क्या, जुर्म का तू भी भागी तो है
 खामोश हो बैठा सुन, जमीर की 'एहसास' बोली तो है।

गलत काम न कर, न सोच, ये करनी फलनी तो है
 आज नहीं तो कल, सजा उससे ज्यादा मिलनी तो है।

ये सोचकर न रुक, कभी हिम्मत मेरी टूटनी तो है
 ले प्रण संभाल हौंसला, जो ठाना वो होनी तो है।

इंकार है क्यों करता, मन की, सबको अपने करनी तो है
 बस तू अपने कदम बढ़ा, एक से जन्मी नई पीढ़ी तो है।

खिलाफ तेरे ये जमाना, सर-ऊँचा, चलनी आँधी तो है
 तुझ में छुपा जो-एक, आज का खोया गाँधी तो है।

कह दिया अच्छा-बुरा, जन्मा यहीं मैं, माटी तो है
 आओ मिल बदलें देश, जरूरत तेरी भी, मेरी भी तो है।

- जय हिंद



डॉ. कान्तेश बालानी
 पदार्थ विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग

21वीं सदी का यक्ष संवाद

21वीं सदी के आरम्भ से ही स्वर्ग के दरवाजे पर प्रवेशार्थियों की निरन्तर रेलम-पेल चलने लगी थी। सभी देश अपने नागरिकों को स्वर्ग में प्रवेश दिलाने के लिए हर तरह की तिकड़म भिड़ाने में लगे थे। दरवाजे पर ऐसी अराजकता देखकर ईश्वर को गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रवेश द्वार पर एक महाकाय यक्ष को ड्यूटी पर लगा दिया। उन्होंने उसे जिम्मेदारी सौंप दी कि प्रत्येक देश के आगंतुक प्रतिनिधि से भली-भाँति रूप से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही वह उसे स्वर्ग में प्रवेश देने के लिए स्वीकृति प्रदान करे। यक्ष ने सभी देशों के प्रतिनिधियों को सर्वप्रथम अपने-अपने आवेदनपत्र बाहर ऑफिस के नियत काउंटर पर जमा करने को कहा तथा निर्देशित किया कि संबंधित देश के प्रतिनिधि यक्ष के समक्ष केवल पुकार लगने पर ही इंटरव्यू देने के लिए हाजिर हों। इसके बाद बारी-बारी से हर देश के प्रतिनिधि की पुकार होने लगी और वे यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हाजिर होने लगे। दुर्भाग्यवश अब तक किसी भी देश का प्रतिनिधि इंटरव्यू में यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे पाया था। इस तरह धीरे-धीरे वर्ष 2014 आ गया। अब अगले नम्बर वाले देश की पुकार हुई और पुकार करने वाले की बुलन्द आवाज सुनाई दी, “इण्डिया! दैट इज भारत, हाजिर हो।”

पुकार सुनकर यक्ष सतर्क हुआ। उसे महाभारत काल के अपने पूर्वज यक्ष का दृष्टान्त स्मरण हो आया जब भारत के ही धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्कालीन यक्ष के सभी प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर देकर अपने सभी मृत भाईयों को पुनः जीवित करा लिया था। यक्ष सोचने लगा कि क्या भारत का प्रतिनिधि इस मर्तबा भी उसके प्रश्नों का समाधान कर सकेगा? वह विचारमग्न होकर भारत के प्रतिनिधि का इंतजार करने लगा। तभी कक्ष का पर्दा उठा और एक सादे वेशधारी साधारण से व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश करते हुए उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया। यक्ष ने उसे कुर्सी पर बैठने का संकेत किया।

यक्ष ने भारत के आगंतुक प्रतिनिधि से कहा “मैं तुम्हें भारत कहकर ही संबोधित करूँगा। क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हो?”

भारत ने स्वीकृति में विनम्रतापूर्वक अपना सिर हिला दिया।

यक्ष- भारत! पहले किसी समय तुम्हारे यहाँ के एक पूर्वज, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरे पूर्वज यक्ष का संवाद हुआ था। क्या भारतवर्ष में अब भी धर्मराज हैं या उनकी परम्परा है?

भारत- श्रीमन! मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता लेकिन धर्मराज किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद होंगे।

यक्ष ने प्रश्न किया, “भारत! तुम्हारे देश को आजाद हुए 66 वर्ष गुजर गए हैं। आजाद होते समय तुमने देशवासियों को न जाने कितने सपने दिखाए थे। तुम्हारे देश का संविधान भी सन् 1950 में लागू हो गया था। हर चुनाव में तुम्हारे सत्तालोलुप राजनैतिक दल आम जनता को न जाने और कितने नये सपने दिखाते हैं और उन्हें पूरा करने का वादा करते हैं। तुम्हें लगता है



कि उनके ये वादे जमीनी होते हैं अथवा उन्हें पूरा करने की वे सचमुच मंशा भी रखते हैं?”

भारत- हे यक्ष! आपने बहुत सही सवाल उठाया है। मैं समझता हूँ कि देश के आजाद होने के बाद से ही सत्तासीन व्यक्ति क्रमशः दिग्भ्रमित होने लगे और धीरे-धीरे अनजाने अथवा जानबूझकर भाई-भतीजा वाद और वंशवाद को पोषित करने लगे। निश्चय ही इससे सत्ता के आधारभूत स्तंभों ने अपना आधार खो दिया। आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में शासकों के मन में कहीं न कहीं देश को आधारभूत रूप से सुदृढ़ करने का मंतव्य विद्यमान था लेकिन भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी उत्तराधिकार में किसी न किसी प्रकार अपने वंशज को सत्तासीन करने के स्वार्थ ने उनकी नैतिकता को नष्ट कर दिया। परिणामस्वरूप, कुटिलता के तमाम तरीके उनके चरित्र के स्थायी अंग बन गये और देश में सुशासन के बजाय चतुर्विध कुशासन, दायित्वहीनता, भ्रष्टाचार एवं चारित्रिक अधःपतन व्याप्त हो गया। मैं इसे देश का दुर्भाग्य ही कहूँगा कि आजादी के बाद देश को एक नये सुशासन रूपी रामराज्य की स्थापना का सुअवसर मिला था जो शासकों ने इस तरह अनायास गाँव दिया। उनके वादों के बारे में कुछ न कहना ही ठीक है।”

यक्ष को भारत के इस उत्तर पर अतीव हर्ष हुआ। वह सोचने लगा कि क्या भारत उसके तमाम प्रश्नों का इसी भाँति समाधान कर सकेगा?

यक्ष ने आगे पूछा- भारत! तुमने विश्व का सबसे वृहद् लिखित संविधान बनाया लेकिन मात्र 66 वर्षों के दरम्यान ही तुमने उसमें 118 संशोधन कर डाले। क्या तुम्हारे संविधान रचयिताओं की दूरदृष्टि इतनी भी नहीं थी कि वे निकट भविष्य में होने वाले संशोधनों की संभाव्य जरूरत की परिकल्पना कर सकें?

भारत- मान्यवर! भारतवर्ष का कितना सौभाग्य था कि आजादी के समय भारत में विद्यमान 500 से अधिक रियासतों को एक दूरदर्शी एवं सशक्त मंत्री ने अपने अनथक प्रयासों से एक में विलय कर दिया लेकिन उतना ही दुर्भाग्य था कि नये शासकों ने देश में राज्यों का पुनर्गठन भाषा एवं क्षेत्रवाद के आधार पर कर दिया जो कदाचित एक अराजक अदूरदर्शिता ही कहीं जा

सकती है। इसका परिणाम यह हुआ कि देश अपने मूल में कभी एक राष्ट्र बनने की ओर उन्मुख नहीं हो सका और विभाजनकारी शक्तियाँ देश को अप्रत्यक्षतः विखण्डित करने में प्रयासरत हो गयीं। पुनः राजनैतिक दलों ने अपने संकीर्ण स्वार्थों की प्रतिपूर्ति हेतु धार्मिक तथा जातिगत आधारों पर भी समाज को बाँटने एवं उनमें पारस्परिक खाइयों को पैदा करना शुरू कर दिया। मुझे स्वयं ही आज सिहरन होती है जब मैं अपने देश का यह परिदृश्य देखता हूँ। आप समझ सकते हैं कि संविधान में किन कारकों के फलस्वरूप इतने संशोधन किये गये हैं।

यक्ष- भारत! यह बताओ कि तुम्हारी संस्कृति में नारी को पूज्य मानते हुए उसे समाज में सदैव अत्यन्त उच्च स्थान दिया गया है। तब भी तुम्हारे उसी देश में नारी की इतनी अमर्यादा, उसके साथ इतना अनाचार और अत्याचार? क्या तुम उसको न्याय देने में इस कदर अक्षम हो गए हो?

भारत- महोदय! ऐसा नहीं है। हम निरन्तर इस संबंध में ध्यान रख रहे हैं, हमने कठोर कानून बनाये हैं और उन्हें लागू करने को प्रतिबद्ध हैं। दुर्भाग्य से शासक और शासन, दोनों ही एक दूसरे की सेवा में बेतरह मशगूल हो गये, नतीजतन आम जनता बिना मुखिया के उस परिवार की तरह हो गयी जिसमें सभी कुमार्गी हो चले हैं और घर की महिलायें आज असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए अभिशप्त हैं।

यक्ष जो भारत के दूसरे उत्तर से भी संतुष्ट था, को सहसा भारत पर आक्रामक होने का अवसर मिल गया। उसने कहा, हे भारत! यदि किसी देश में कानून का रक्षक ही उसका भक्षक बन जाये तो कठोर से कठोर कानून भी सार्थक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसी के साथ तुम्हारे देश में अनाचारियों को सत्तासीन व्यक्तियों का इस कदर संरक्षण, वह भी अनवरत मिला हुआ है।”

भारत ने स्वयं को पहली बार कुछ असहज महसूस किया क्योंकि प्रासंगिक स्थिति सचमुच पीड़ादायक थी। उसने यत्नपूर्वक उत्तर दिया, “श्रीमन! हमारे यहाँ न्यायपालिका अत्यन्त प्रभावशाली है और हमारा सर्वोच्च न्यायालय निरन्तर जागरूक है। वहाँ सबको न्याय मिलता है”

यक्ष ने जैसे फुफकार मारी, “भारत! व्यर्थ का प्रलाप मत करो। तुम्हारी सरकार स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पलटने, उन्हें अपने अनुकूल बदलने तथा गलत कार्य करने वालों को बचाने में लगी रहती है। ऊपर से विडम्बना यह कि अब तो तुम्हारे न्यायतंत्र पर भी तुम्हारी जनता जब-तब सवालिया निशान लगाने लगी है। वह तो भला हो तुम्हारे सर्वोच्च न्यायालय, न्याय के अलमबरदार न्यायाधीशों तथा कुछ संवैधानिक संस्थाओं का जो व्यवस्था को पटरी पर बनाये रखने का चिर-परचम लहराये हुये हैं वरना तुम्हारा देश तो कब का रसातल के गर्त में चला गया होता। अरे, मैं तुम्हारे देश और उसके कर्णधारों के बारे में क्या-क्या तथा कहाँ तक बताऊँ? खैर यह बताओ कि तुम्हारे यहाँ रोज, नित नये घोटालों का पर्दाफाश होता रहता है, मंहगाई आसमान पर है, आम आदमी का जीना मोहाल है, देश की

सुरक्षा भगवान भरोसे है, घोटालों के मद्देनजर फौजियों के अस्त्र-शस्त्र भी विश्वसनीय नहीं रहे हैं, तो फिर तुम्हारा भारत आखिर किस प्रकार अपने को विश्व का महान और अग्रणी देश कहलाने की आकांक्षा रखता है?”

भारत- महानुभाव! हमारे देश ने बड़ी तरक्की की है। आई० टी० एवं सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में यह सारे विश्व में विशेष स्थान रखता है। अमेरिका जैसे देशों के सर्वोच्च पदों पर आज भारतीय ही विद्यमान हैं। उन्हीं की बदौलत अमेरिका आज विश्व की महाशक्ति है। हम चिकित्सा क्षेत्र में सबसे आगे हैं। हमारी कुशल उद्यमिता संसार में संख्या की दृष्टि से सबसे वृहद् तथा युवा है। हम प्रगति के नित नये आयाम स्थापित कर रहे हैं। भला किस प्रकार हम संसार में महाशक्ति नहीं बन सकेंगे?

यक्ष ने जोर का ठहाका लगाया, “भारत! क्या खूब कहा तुमने। तुम आई. टी. सॉफ्टवेयर में अपने को सबसे आगे कहते हो? इसमें तुम्हारी सरकार का भला क्या योगदान है? यह तो तुम्हारे निजी क्षेत्र की अपनी उद्यमिता का प्रतिफल है। तुम्हें अमेरिका जैसे देशों में भारत के लोगों का शिखर पर बैठना सुहाता है लेकिन क्या यह तुम्हारी अपनी प्रतिभा का पलायन नहीं है जो अपने परिवार और देश को छोड़कर अन्यों की शरणागत होकर उन्हें शिखरस्थ किये हुए है? तुम उन्हें अवसर देने, उन्हें रोक सकने तथा उनकी प्रतिभा का सदुपयोग करने में नितान्त अक्षम हो। चिकित्सा क्षेत्र में तुम्हारी स्वयं की शोध संसार के अग्रणी देशों के सामने कहाँ ठहरती है? तुम नवीन खोजों व शोधों में कितना खर्च करते हो? तुम उत्पादन में मात्र उधार की तकनीक का प्रयोग करते हो। तुमने अब तक भला स्वयं से कितने युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू जहाज आदि बनाये हैं? हाँ, तुमने अन्तरिक्ष कार्यक्रम में अवश्य अच्छी छलांग लगायी है।”

भारत-मान्यवर! ऐसा नहीं है। हम अपने देश के हर राज्य में आई.आई.एम., आई.आई.टी. तथा एम्स (AIIMS) खोलने जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप हमारे देश में पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से समर्थ व होनहार लोगों की उपलब्धता हो जायेगी और हम अपने देश को आगे ले जाने में सफल होंगे।

यक्ष-भला किस प्रकार? तुम्हारे वर्तमान संस्थानों में ही पर्याप्त संख्या में फैकल्टी उपलब्ध नहीं हैं और इतने बड़े पैमाने पर इनके विस्तार की सोच रहे हो? प्राइवेट सेक्टर में तो तुमने इतने सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों का जंगल फैला दिया है जिनमें शिक्षा के स्तर के बारे में कुछ न कहना ही उचित है। उनसे निकले छात्रों में से कितने को तुम रोजगार दे सके हो? तुम तो बस बेरोजगारों तथा क्लर्क लायक लोगों की ही फौज खड़ी करते जा रहे हो। कभी सोचा है कि व्यवहारिक रूप से इन समस्याओं से कैसे निपटोगे?

भारत का अब जैसे गला सूख रहा था उसने घबराकर कहा,

“मान्यवर! क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है?” यक्ष ने उसे पानी

दिलवाया। पानी पीकर भारत थोड़ा स्थिर हुआ। फिर बोला, “श्रीमानजी! हमारी जनता अब जाग्रत हो गयी है। भ्रष्टाचारियों की पोल-पट्टी लगातार खुलने से उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में नवचेतना जाग्रत हो गई है। सरकार भी भ्रष्टाचार को रोकने हेतु दृढ़प्रतिज्ञ दिखाई देती है और कठोर कानून लागू करने पर आमादा है जो भविष्य के लिए शुभ प्रतीत होता है।”

यक्ष- भारत! क्या शुभ प्रतीत होता है? जानते हो, यह तो शासन की नैसर्गिक जिम्मेदारी है। देश यूँ ही महान नहीं बन जाते। तुम्हारे भारत में पहला साम्राज्य चाणक्य ने स्थापित कराया था और टुकड़े-टुकड़े राज्यों को एक इकाई में पिरोया था। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात थे। उन्होने सुशासन की स्थापना के लिए क्या कुछ नहीं किया लेकिन उसमें उनके महान सदुद्देश्य निहित थे। वहाँ निर्दोष का कभी बाल-बाँका भी नहीं होता था। स्मरण रहे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी सम्पूर्ण संसार के लिए न केवल अनुपम धरोहर है वरन् उसकी सदा-सर्वदा प्रासंगिकता भी बनी रहती है। यह भी स्मरण रहे कि चाणक्य स्वयं किस वेशभूषा में रहते थे और उनके क्या आदर्श थे? जबकि तुम्हारे आज के शासक.....
..... यक्ष ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया।

भारत की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे होने लगी। वह कुछ न बोल सका। उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था भी नहीं। फिर भी उसने संबल जुटाया और बोला, “महोदय! देश की कुव्यवस्था सुधारने के लिए हम बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं। मैंने पहले जैसा अर्ज किया है, हमारी सरकार न केवल कठोर कानून बना रही है बल्कि उन्हें कठोरता से लागू करने के लिए भी उद्यत है। हमें उम्मीद है, इसके सुपरिणाम शीघ्र आयेंगे।”

यक्ष आक्रोशित हो उठा, “तुम क्या बार-बार नये कानून बनाने और उन्हें लागू करने की बात करते हो। तुम्हारे यहाँ तो पहले से ही कानूनों का जंगल है। हर किसी चीज पर तुम्हारे यहाँ कानून बनाना, फिर उसकी इतिश्री कर देना तुम्हारी सरकार की आदत में शुमार है। यह तो महज कानूनों के महासमुद्र में कुछ लहरें बढ़ा देने की तरह है। तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम्हारे यहाँ कितने कानून हैं और उनमें क्या व्यवस्थाएँ हैं। अच्छा यह बताओ कि तुमने ढेर सारे श्रम कानून बनाये हैं, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अधिनियम, बोनस अधिनियम आदि-आदि। हर कानून में तुमने मजदूरी की अलग-अलग परिभाषायें दे दी हैं जिसके फलस्वरूप कर्मचारी को अपने मजदूरी के दावों में कितनी दिक्कतें आती हैं? इसी तरह तुमने कर्मचारी की भी अलग-अलग परिभाषायें गढ़ दी हैं लेकिन कहीं भी ‘श्रमिक’ शब्द को परिभाषित नहीं किया।”

भारत पसीने से तरबतर हो गया। उसने कहा, “श्रीमान जी! ऐसा नहीं हो सकता, कृपया मुझे दो मिनट का समय दें।” इतना कहकर उसने जल्दी से

अपने साथ लाई हुई किताबें पलटों। वह जैसे घनचक्कर हो गया था। उसने घबराहट में अपना माथा पकड़ लिया।

वह आगे बोला, “हे यक्षश्रेष्ठ! हमारा देश अध्यात्म और योग में विश्व-शिरोमणि रहा है। आज भी सारा संसार इस क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए हमारे समक्ष झोली फैलाये रहता है। हमारा देश सदा से तपोभूमि एवं देवभूमि रहा है। यहाँ के महान संत दुनिया भर में अध्यात्म को फैला रहे हैं। यहाँ साक्षात् ईश्वर भी अवतरित होकर प्रसन्न होते हैं।

यक्ष उत्तेजित हो गया। उसने कड़क कर कहा-क्या बकवास करते हो। तुम किसी समय सचमुच अध्यात्म और योग में विश्व के सिरमौर थे। लेकिन आज क्या हालात हैं? दुनिया भर में तुम्हारा एकमात्र देश है जहाँ सम्पूर्ण समाज का बारम्बार इतना पतन हुआ और उसमें अनाचार एवं अधर्म का आचरण इस कदर व्याप्त हुआ कि अन्ततः अधर्म के विनाश व धर्म के पुनर्स्थापन हेतु खुद ईश्वर को ही तुम्हारे देश में अवतार लेने के लिए बाध्य होना पड़ा जैसा कि तुम्हारे रामचरित मानस और गीता में भी वर्णित किया गया है। तुम्हारे आज के संतों में से कुछ भले ही सच्चे संत हों, परन्तु ज्यादातर तो बस अपनी दुकानें चला रहे हैं और आम जनता को मूर्ख बनाकर उसे ठग रहे हैं। इन तथाकथित संतों ने तो तुम्हारे देश के सभी उच्च आदर्शों और मानदण्डों की मानों लुटिया ही डुबो दी है।

भारत का पूरा शरीर काँपने लगा। उसने हाथ जोड़कर यक्ष से निवेदन किया, “मान्यवर! मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कृपा करके कुछ समय दीजिये। मैं अगली बार अच्छी तरह तैयार होकर आपके समक्ष उपस्थित होऊँगा।”

यक्ष ने तथास्तु कहते हुये कहा, “ठीक है। लेकिन अगली बार तुम्हें धर्मराज के साथ आना होगा।” तत्पश्चात् उसने द्वारपाल को आवाज दी, “ऑफिस और स्वर्ग का द्वार तुरंत बन्द करो और ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर अविलम्ब नोटिस लगाओ कि स्वर्ग में प्रवेश हेतु इंटरव्यू तत्काल प्रभाव से मुलतवी किये जाते हैं। इंटरव्यू का अगला दौर 01 जनवरी 2051 के उपरान्त किसी समय आरंभ होगा जिसकी सूचना यथासमय स्वर्गलोक की ऑफिसियल वेबसाइट तथा स्वर्गलोक के प्रवेश द्वार पर स्थित ऑफिस के नोटिस बोर्ड के माध्यम से दी जायेगी।”

वी.पी.गुप्ता, श्रम सलाहकार



वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति

विकास एक बहुआयामी प्रत्यय है। दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास, उनके संचालन, विश्लेषण और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक ने जो प्रमुख मानक अथवा आधार अपनाया है, वह उस देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) है जिसके आधार पर विश्व के हर देश की अर्थव्यवस्था को निम्न आय, मध्य आय (निम्न-मध्य अथवा उच्च-मध्य आय) तथा उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। तदनुसार ही प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वर्ष 2009 में चार प्रकार के समूह बनाये गए थे: निम्न आय वाले देश जिनकी आय \$995 अथवा उससे कम है; निम्न-मध्य आय वाले देश जिनकी आय \$996-\$3,945 के बीच है; उच्च-मध्य आय वाले देश जिनकी आय \$3,946-\$12,195 के बीच है; तथा उच्च आय वाले देश जिनकी आय \$12,196 अथवा उससे अधिक है। इनमें से उन देशों जिनकी आय निम्न तथा मध्य थी, को विकासशील देशों के रूप में माना गया। तालिका - 1 के अनुसार भारत एक निम्न-मध्य आय वाले देश के रूप में आँका गया तथा श्रीलंका, चीन (भारत से ऊपर) एवं पाकिस्तान को भी इसी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। लेकिन ब्राजील जो भारत के समान उदीयमान अर्थव्यवस्था वाला तथा विकासशील देश है, को इसके बावजूद भी उच्च-मध्य आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया। यदि हम भारत अथवा श्रीलंका जैसे देशों की तुलना नार्वे जैसे उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से करें, तो ज्ञात होता है कि दोनों की आय में तुलनात्मक रूप से काफी बड़ा अंतर है। स्पष्टतया नार्वे की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 70 गुना अधिक दृष्टिगोचर होती है। इसी तरह का अन्तर उच्च आय वाले देशों के मध्य भी दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि नार्वे को लिया जाये, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में उसकी प्रति व्यक्ति आय 1.8 गुना से भी अधिक है।

तालिका - 1
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (वर्तमान यूएस\$)

देश	2006	2007	2008	2009
ब्राजील	4,850	6,140	7,490	8,040
चीन	2,050	2,490	3,060	3,590
भारत	1,350	1,540	1,780	1,180
श्रीलंका	850	990	1,080	1,990
पाकिस्तान	790	860	950	11,020
नार्वे	68,190	76,840	86,670	86,440
डेनमार्क	51,830	54,420	58,550	58,930
यूएसए	45,410	46,890	48,190	47,240

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हमेशा आवश्यक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सापेक्षिक मूल्यों में जब तब जो भी अंतर हों, वे मुद्रा की कथित विनिमय दर में भी परिलक्षित हों। विश्व बैंक द्वारा उपर्युक्त विनिमय दर मूल्यांकन प्रणाली के विकल्प के रूप में क्रय शक्ति सममूल्यता सकल राष्ट्रीय आय (PPP GNI) नामक तुलनात्मक पद्धति का भी उपयोग किया जाता है। वास्तव में इस पद्धति में PPP GNI वह सकल राष्ट्रीय आय है जिसे क्रय शक्ति सममूल्यता दर (PPP) का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में परिवर्तित किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत किसी देश के GNI पर एक अंतर्राष्ट्रीय डॉलर की क्रय शक्ति उतनी ही हो जाती है जितनी कि स्वयं सं.रा.अमेरिका में उसके अपने डॉलर की होती है। इस प्रकार उल्लिखित देशों में अंतर्राष्ट्रीय डॉलर से उतनी ही मात्रा में सेवाओं एवं वस्तुओं को खरीदना सहज हो जाता है, जितना सं.रा.अमेरिका में एक यू.एस.डॉलर से। इसी प्रकार विभिन्न देशों के मध्य मूल्य एवं विनिमय दर की विसंगतियों के बारे में उनके पारस्परिक आर्थिक संचय (economic aggregates) को आधार बनाकर उत्पादन के भौतिक स्तर

का जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसमें PPP का ऐसा उपयोग PPP में किये जाने वाले परिवर्तन को आसान बना देता है। तालिका-2 के अध्ययन से पता चलता है कि विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति की आय क्रय शक्ति का अधोमूल्यन नार्वे एवं डेनमार्क जैसे उच्च आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय की क्रय शक्ति के अधिमूल्यन के सापेक्ष कितना है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2006 में भारत की प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति सममूल्यता सकल राष्ट्रीय आय (PPP GNI) उसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के मुकाबले 3 गुना थी। इसका परोक्ष अर्थ यह है कि सं.रा.अमेरिका के बनिस्बत भारत में कीमतें बहुत कम हैं लेकिन इससे विभिन्न देशों के बीच उनकी वस्तुओं और सेवाओं में मौजूद गुणात्मक अंतर का पता नहीं लगता।

तालिका - 2
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के सापेक्ष प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति सममूल्यता
सकल राष्ट्रीय आय का अनुपात

देश	2006	2007	2008	2009
ब्राजील	1.8	1.6	1.4	1.3
चीन	2.3	2.2	2.0	1.9
श्रीलंका	2.9	2.7	2.5	2.4
भारत	3.0	2.9	2.8	2.8
पाकिस्तान	3.0	3.0	2.7	2.7
नार्वे	0.8	0.7	0.7	0.6
डेनमार्क	0.7	0.7	0.7	0.6
यूएसए	1.0	1.0	1.0	1.0

अब सवाल उठता है कि क्या घनी आबादी वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय अनिवार्यतया कम होती है? जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाये तो चीन विश्व में पहले जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2009 के मध्य में चीन की आबादी भारत की 1.15 गुना थी लेकिन उस समय भी भारत के मुकाबले चीन की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भारत से 3 गुना थी। इसी प्रकार ब्राजील के मुकाबले यद्यपि यू.एस.ए. की आबादी 1.6 गुना अधिक थी परन्तु उसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ब्राजील से 5.9 गुना ज्यादा थी। इसके ठीक उलट पाकिस्तान की जनसंख्या तो श्रीलंका से 8.35 गुना अधिक थी लेकिन श्रीलंका के सापेक्ष उसकी प्रति व्यक्ति आय महज आधा थी अर्थात् श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से 2 गुना अधिक थी। जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से नार्वे एवं डेनमार्क जैसे उच्च आय वाले देशों के मध्य भी यही स्थिति देखने को मिलती है। उल्लेखनीय रूप से वर्ष 2009 में नार्वे की आबादी डेनमार्क की आबादी से 1.14 गुना अधिक होने के बावजूद नार्वे की प्रति व्यक्ति आय डेनमार्क से 1.5 गुना अधिक थी।

विकास का मूल्यांकन ग्रामीण आबादी के अनुपात के आधार पर भी किया जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक होने का सीधा परिणाम यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं मत्स्य पालन आदि के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं और जो नियोजन की अधिकता, प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि व्यवसाय में लगे ग्रामीण समुदाय के मध्य खाद्यान्न आपूर्ति की प्रचुरता आदि समस्याओं से अधिकांशतः ग्रस्त रहते हैं, के संदर्भ में सरकार के समक्ष उनकी समुचित आय सुनिश्चित करने एवं तदनुमित्त सब्सिडी की व्यवस्था, मौसमी बेरोजगारी तथा न्यूनतर कर संग्रहण जैसी समस्यायें उठ खड़ी होती हैं। वर्ष 2008 में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक श्रीलंका में 84.9% था जबकि यह भारत में 70.5% एवं पाकिस्तान में 63.8% के स्तर पर था। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात चीन में भी काफी अधिक 56.9% है। इसके विपरीत ब्राजील जिसे भारत, चीन तथा रूस के समान विकासोन्मुखी देश के रूप

में वर्गीकृत किया गया है (यह चारों देश BRIC देशों के नाम से भी विख्यात है), की ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात मात्र 14.4% है। तथापि उसकी तुलना दुनिया के उच्च आय वाले देशों जैसे यू.एस.ए (18.3%) एवं डेनमार्क; 13.3%) से की जाती है।

इसी से जुड़ा विषय भू-क्षेत्र पर जनसंख्या के पड़ने वाले भार (प्रति वर्ग किलोमीटर भू-क्षेत्र पर जनसंख्या के घनत्व) से संबंधित है जो लोगों के जीवन स्तर, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा शहरी और ग्रामीण- दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे विकास के अन्य मानकों को निर्धारित करता है। भू-भाग के लिहाज से संसार में चीन, सं.रा.अमेरिका तथा ब्राजील के बाद भारत के पास सबसे बड़ा भू-क्षेत्र है जबकि 8 देशों के समूह में सबसे कम भू-भाग श्रीलंका एवं डेनमार्क के पास है। इससे परे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वोच्च स्थान रखने के बाद भी चीन का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व (383.4) का केवल 1/2 है। इससे हटकर यदि इस संदर्भ में विचार किया जाये तो ब्राजील (22.7) की तुलना केवल सं.रा.अमेरिका (33) एवं नार्वे (15.7) से ही किया जाना संभव है। जनसंख्या घनत्व के लिहाज से भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पर जबकि श्रीलंका (311.9) एवं पाकिस्तान (215.5) उसके बाद आते हैं। इसके फलस्वरूप देश में मकान और स्वच्छता जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना भारत के लिए एक बड़ी और स्थाई चुनौती बनी हुई है। इससे परे जब आबादी के दबाव को झेलने की बात आती है तो हाल के वर्षों में उतनी ही दर से आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद ब्राजील तथा चीन भारत की बनिस्बत कहीं अधिक लाभ की स्थिति में पहुँच जाते हैं। तथापि आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के नगरों में न केवल अत्यधिक भीड़-भाड़ है और वहाँ जल निकासी तथा जलापूर्ति जैसी बुनियादी नागरिक व अन्य सुविधाओं का अभाव है, बल्कि हिन्दुस्तान के ग्रामीण इलाकों में विशाल अतिरिक्त जनसंख्या भी बसती है जो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी जमीनों पर ही निर्भर हैं और अपने भौगोलिक क्षेत्र को विकसित करने अथवा उनसे इतर गतिविधियों के अवसरों से वंचित है।

अधिक जनसंख्या का मतलब यह कदापि नहीं है कि उसके परिणामस्वरूप वहाँ अनिवार्य रूप से विशाल श्रम शक्ति भी उपलब्ध हो जाये। उल्लेखनीय रूप से मानव संसाधन के उपयोग की दृष्टि से जहाँ अधिक जनसंख्या किसी देश के लिए वरदान साबित हो सकती है वहीं दूसरी ओर वह उत्पादकता के साथ उसे रोजगार एवं भोजन सुलभ कराये जाने के संदर्भ में अभिशाप भी साबित हो सकती है। सामान्यतया समग्र श्रम शक्ति में 15 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के लोग आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या की परिभाषा को पूरा करते हैं तथा विनिर्दिष्ट अवधि में वस्तुओं के उत्पादन, सेवाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करते हैं। इसमें कार्यरत एवं बेरोजगार, दोनों तरह के लोग सम्मिलित हैं। हालाँकि सशस्त्र सेनाओं तथा मौसमी या अंशकालिक श्रमिकों के समूहों के बारे में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में प्रचलित व्यवहार भिन्न-भिन्न हो सकता है फिर भी सामान्य श्रम शक्ति में आम तौर पर सशस्त्र सेनाओं, बेरोजगारों, तथा पहली बार रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को माना जाता है किन्तु अनौपचारिक क्षेत्रों यथा गृहकार्य में लगे लोग तथा अन्य अवैतनिक देख-रेख करने वाले व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। देखा जाये तो भारत, पाकिस्तान एवं श्रीलंका की जनसंख्या में उनकी श्रम शक्ति का हिस्सा सबसे कम है (वर्ष 2008 में क्रमशः 39-5%, 33-6% एवं 41-1%) अर्थात् यहाँ काम करने की उम्र से कम और ज्यादा आयु वाले लोगों की जनसंख्या का अनुपात चीन (58.6%) की तुलना में बहुत अधिक है जहाँ जनसंख्या एवं श्रम शक्ति दोनों का ही अनुपात सर्वोच्च है। अन्य देशों में श्रम शक्ति उनकी जनसंख्या का लगभग 50% है।

GNI या GDP वृद्धि को सहायक एवं सेवा क्षेत्र के संयुक्त विकास के जरिये प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ज्यों ही अर्थव्यवस्था कृषिय अर्थव्यवस्था के रूप में अस्तित्वहीन होने लगती है, उसमें फिर कृषि, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन जैसे उप-क्षेत्रों के जरिये होने वाले प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक नहीं रह जाता है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र का योगदान अधिकाधिक होने लगता है, तो द्वितीयक क्षेत्र की महत्ता उसी भाँति नजरअंदाज होने लगती है, भले ही संबंधित देश विकसित हों या विकासशील। द्वितीयक क्षेत्र का व्यापक अंग अभिनिर्माण है जिसे किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। तत्क्रम में ही जब घरेलू उद्योगों के लिए आवश्यक यंत्र एवं उपकरण आदि उपलब्ध कराने की बात आती है तो अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों के लिए अभिनिर्माण से संबंधित जरूरी सामान के गैर जरूरी आयात पर खर्च होने वाली बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को सहज में बचाया जा सकता है।

विश्व बैंक द्वारा कृषि, उद्योग तथा सेवा के तीन क्षेत्रों से संबंधित GDP वितरण के आँकड़े (वस्तुपरक मूल्य के आधार पर) प्रकाशित किये जाते हैं। कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्द्धित वानिकी, आखेट एवं मत्स्याखेट के साथ-साथ फसलों की उपज तथा पशुधन उत्पादन शामिल होते हैं जबकि औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य खनन, अभिनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल तथा गैस आते हैं। इससे हटकर सेवा क्षेत्र में मूल्यवर्द्धित थोक एवं खुदरा व्यापार (होटल एवं रेस्टोरेन्ट सहित), यातायात, शासकीय वित्तीय, व्यावसायिक तथा वैयक्तिक सेवायें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रियल इस्टेट की सेवायें आती हैं जिनमें अवगणित (इम्प्यूटेड) बैंक सेवा

प्रभार, आयात शुल्क तथा राष्ट्रीय संकलनकर्ताओं द्वारा चिन्हित सांख्यिकीय विसंगतियों, साथ ही पुनर्निर्धारण (re-scaling) से उत्पन्न विसंगतियों भी सम्मिलित हैं।

दुनिया में केवल नार्वे तथा चीन ही ऐसे देश हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्र की व्यापकता (वर्ष 2007 में क्रमशः 42.8%: तथा 47-3%) देखने को मिलती है जबकि यू.एस.ए., भारत, ब्राजील, पाकिस्तान, श्रीलंका व डेनमार्क (क्रमशः 21.4%, 29.1%, 27.3%, 26.9%, 29.9% तथा 26.4%) के संदर्भ में यह तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता। विश्व के अधिकांश देशों का आर्थिक विकास सामान्यतया सेवा क्षेत्र से ही संचालित दिखाई पड़ता है जिसका अर्थ यह है कि विनिमय दर के उतार-चढ़ाव तथा विश्व आर्थिक स्वास्थ्य के संदर्भ में उनकी संवेदनशीलता अत्यधिक है। जहाँ तक यू.एस.ए. और डेनमार्क का सवाल है, सेवा क्षेत्र पर उनकी निर्भरता तो इस कदर है कि उनका प्रतिशत क्रमशः 77.3 एवं 72.4 तक जा पहुँचा है।

अन्ततः, किसी भी देश का विकास अक्सर आय के समान वितरण के पैमाने पर भी परखा जाता है ताकि देश की अधिकांश जनसंख्या आय के नाममात्र के अल्पांश पर निर्भर न रहे। फिर भी अमूमन यह देखा गया है कि तमाम देश विकसित तो हो रहे हैं लेकिन उनकी कुल राष्ट्रीय आय का मोटा हिस्सा वहाँ का एक छोटा संवर्ग ही झटक लेता है जबकि आबादी के बड़े हिस्से के लिए वहाँ की कुल राष्ट्रीय आय का आनुपातिक रूप से बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही बच पाता है। आज विश्व में अधिकांश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ, जिनमें ब्राजील सर्वोच्च स्थान पर है, आय के अत्यधिक असमान वितरण के साथ ही आगे बढ़ रही हैं। उदाहरणार्थ ब्राजील की निम्नतम 40% आबादी को अपने हिस्से में राष्ट्रीय आय का न्यूनतम अर्थात् केवल 9.4% हिस्सा मिल पाता है जबकि आबादी के सर्वोच्च 20% लोगों का वहाँ की कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्ज़ा है। यही स्थिति चीन की भी है जहाँ जनसंख्या के सबसे निचले 40% लोगों के पास उसकी कुल राष्ट्रीय आय का मात्र 15% हिस्सा पहुँच पाता है। इस लिहाज से भारत तथा पाकिस्तान की स्थिति कुछ बेहतर है जहाँ आबादी के निम्नतम 40% लोगों को उनकी कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 19.4% तथा 21.9% हिस्सा मिल रहा है। भारत, श्रीलंका एवं पाकिस्तान में सर्वोच्च 20% की आबादी अपनी राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा पाती है। यह देखना भी दिलचस्प है कि विकसित देशों में उनकी आय सदा ही समान रूप से वितरित नहीं होती। उदाहरण के तौर पर सं.रा.अमेरिका में आय के वितरण की स्थिति भारत के समान ही है। हालाँकि 8 देशों के आर्थिक समूह में आय का सबसे अच्छा समान वितरण नार्वे तथा डेनमार्क में दिखाई पड़ता है।

निष्कर्ष के तौर पर भारत निश्चय ही एक ऐसा विकासशील देश है जहाँ इसकी प्रति व्यक्ति आय अन्य विकासशील देशों के समान हैं। भारत की त्रासदी यह है कि यहाँ का भू-क्षेत्रफल अनेक उदीयमान देशों से यद्यपि कम है किन्तु इसके विपरीत वहाँ की आबादी अभी भी अनपेक्षित दर से बढ़ रही है और सीमित संसाधनों के साथ आबादी के आधिक्य के फलस्वरूप उपलब्ध अतिरिक्त श्रम को अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अन्यत्र खपाने के अवसर लगभग अनुपलब्ध हैं। इससे परे सेवा-क्षेत्र पर अत्यधिक जोर एवं औद्योगिक क्षेत्र के प्रति प्रत्यक्ष उदासीनता के परिणामस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव तथा आवश्यक उपकरणों एवं मशीनों के आयात पर अतिनिर्भरता के कारण भी भारत की अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता निरन्तर बनी रहती है जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़त के रूप में भारत को जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसका लाभ उसकी आबादी के बड़े हिस्से तक नहीं पहुँच पाता। इस प्रकार उपर्युक्त तमाम तथ्यों की समीक्षा के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि आने वाले लम्बे काल तक बेरोजगारी और गरीबी की रूग्ण समस्या भारत में इसी भौति बनी रहेगी।



सुरजीत सिन्हा
मानविकी एवं समाजिक विज्ञान विभाग

कठ-पुतली है या जीवन है जीते जाओ सोचो मत
सोच से ही सारी उलझन है जीते जाओ सोचो मत ।

लिखा हुआ किरदार कहानी में ही चलता फिरता है
कभी है दूरी कभी मिलन है जीते जाओ सोचो मत ।

स-आभार : निदा फ़ाज़ली

अपनी भाषा में लिखने, बतियाने का मजा ही कुछ और है, तिस पर भी हम तो ठहरे यू.पी. वाले, तुलसी और रहीम की परम्परा के, तो साहित्य तो हमारे जेहन में बसता है। गंगा जमुनी तहजीब में हिंदी भाषा की छटा अलग ही निखरती है। हिंदी साहित्य में जितने रत्न यहाँ गढ़े गए हैं, उतने संभवतया कहीं नहीं होंगे, अतएव ऐसी समृद्ध साहित्यिक परंपरा को सुचारु रूप से रखने एवम् आगे बढ़ाने के लिए ही हिंदी साहित्य सभा अपने कर्मठ एवम् उत्साही सचिवों के साथ साहित्यिक कार्यों में जुटी हुई है। इसी क्रम में, कहना न होगा कि “अंतस्” ने सभा की साहित्यिक प्रतिभा को एक विस्तृत मंच प्रदान किया है, संस्थान की हिंदीभाषी जनता के सामने अपनी रचनायें प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। समय के साथ हिंदी साहित्य सभा और राजभाषा प्रकोष्ठ के सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए हैं, आशा है कि आगे भी परस्पर साथ कार्य करते हुए रचनात्मक सुजन करते रहेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हिंदी कक्षाओं का आयोजन निर्बाध रूप से हुआ, और उनमें विद्यार्थियों की उपस्थिति उत्साहजनक रही।

हिंदी साहित्य सभा और राजभाषा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पखवाड़े और काव्यांजलि का आयोजन हुआ और कहना न होगा कि दोनों ही कार्यक्रम पूर्णतया सफल रहे। ‘काव्य संध्या’ में श्रोताओं की साल दर साल बढ़ती उपस्थिति हमारे लिए शुभ संकेत है।

बात की जाये गैलेक्सी की तो इस बार की गैलेक्सी में काफी कुछ नयापन रहा। शब्दरंग और किरदार जैसे नए आयोजन होने से कार्यक्रम स्तरीय और सफल भी रहा। वहीं सभा के अपने Cy,x "Nan", जिसे कि हम वर्चुअल चौपाल भी कह सकते हैं, ने संस्थान के कवियों एवम् लेखकों को इन्टरनेट पर एक मंच उपलब्ध कराया है जहाँ वे अपनी रचनायें दे सकते हैं, साथ ही साथ “किरदार” के प्रथम संस्करण का संपादन हो चुका है, ये कहानियाँ सभा के अपने यू-जनइम चैनल (<http://www.youtube.com/hindisahityasabh>) पर उपलब्ध हैं।

वहीं हमारे बहुप्रतीक्षित मुखपत्र “निर्वाक” का प्रथम अंक शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है जो मुख्यतया कैंपस और वर्तमान राजनीति से जुड़े मुद्दों को समर्पित होगा।

जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है।

वो कुछ और ही होगा, पर कलमकार नहीं है....

बस ध्येय यही है कि हमारी पहुँच अधिकाधिक हो और हमारे इन प्रयासों से कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकें तो हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती रहेगी। साथ ही संस्थान के जाने-अनजाने कवियों की अनमोल कृतियों के एक ही अंक में संग्रहण की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका प्रकाशन वार्षिक होगा। आशा है कि अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ तक ये कार्य भी पूर्ण हो जायेगा और भी कई योजनायें जेहन में हैं, जिन पर विचार-विमर्श एवं क्रियान्वन होना बाकी है। अंत में, हिंदी साहित्य सभा अपने कर्मशील सचिवों को सभा के प्रति उनकी निष्ठा के लिए धन्यवाद देती है, साथ में “अंतस्” के कुशल संपादन के लिए राजभाषा प्रकोष्ठ को शुभकामनायें प्रेषित करती है।

धन्यवाद,
समन्वयक
हिंदी साहित्य सभा



प्रेरणात्मक विचार

शिक्षा का चरम लक्ष्य यही है कि विद्यार्थी यह सोचने लगे, “मैं समाज और देश के लिए क्या कर सकता हूँ?”

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की समस्या

समाज का स्तरीकरण, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या जाति पर अथवा आर्थिक आधार पर, प्रायः अल्प विकसित समाज एवं देशों के लिए पीड़ा का कारण बना रहता है। हमारा राष्ट्र धर्म, संस्कृति और भाषाओं के क्षेत्र में जहाँ एक विलक्षण वैविध्य प्रदर्शित करता है, दुर्भाग्यवश, वहीं वह चरम आर्थिक असमानता का भी एक जीता-जागता उदाहरण है। भारत विकास के क्षेत्र में एक जगमगाता देश कहलाता है क्योंकि यहाँ 1.2 अरब लोग निवास करते हैं और इसी कारण जब इसका एक मामूली सा अंश भी थोड़ा-बहुत समृद्ध होता है, तो मात्र थोड़ी सी तरक्की भी कुल मिलाकर अत्यधिक प्रभावशाली दिखने लगती है। निस्संदेह, अपने उच्च-मध्य आय वर्ग जिसकी क्रय शक्ति संपूर्ण यूरोप के लोगों के बराबर ही ठहरती होगी, के साथ-साथ विश्व के सबसे धनाढ्य 100 लोगों की सूची में अनेक भारतीयों के भी सम्मिलित होने पर हम गर्व महसूस करते हैं, हालाँकि यह उपलब्धि हमें भारी कीमत चुकाने के बाद हासिल हुई है। इस दावे के ठीक उलट विश्व में कुपोषित बच्चों की सर्वाधिक संख्या तथा विश्व बैंक द्वारा आधारभूत आजीविका के लिए नियत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी भारत में सबसे अधिक होने का विशिष्ट तमगा भी उसे मिला हुआ है। वास्तव में, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उस मानक जो जीविका के लिहाज से बेहद जरूरी है, से भी कहीं नीचे है।

इतिहास गवाह है कि इस प्रकार की भयंकर आर्थिक असमानताओं के परिणाम न केवल निर्धन बल्कि मध्य एवं उच्च तबकों, यहाँ तक कि पूरे समाज के लिये बेहद भयावह होते हैं। क्रय शक्ति तथा आर्थिक शक्ति का यह भीषण अन्तर समाज में भुखमरी और दासत्व का मानो एक अनुबंध तैयार करता है। इस प्रकार की स्थितियाँ अपरिहार्य रूप से व्यापक सामाजिक विस्फव एवं समाज के विभाजन का कारक बन जाती हैं, हालाँकि उपर्युक्त परिस्थितियाँ एक चरम स्थिति का भान देती हैं। निस्संदेह, विगत अनेक दशकों में भारत एक गतिशील जनतंत्र के रूप में जगमगाया है किन्तु अतीत के सैकड़ों वर्षों की उथल-पुथल के भीषण उदाहरणों से उसका कोई साम्य नहीं है। समस्यायें तो निश्चित रूप से हैं लेकिन उस प्रकार की अधोगति जैसी तो कदापि नहीं जहाँ दासत्व जैसी प्रथाओं को प्रश्रय दिया जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के तमाम क्षेत्रों और व्यवसायिक पद्धतियों में ऐसी स्थितियाँ अब सचमुच विद्यमान दिखाई देती हैं। हम यहाँ एक व्यवसाय विशेष की ऐसी ही व्यवस्था का उल्लेख करने जा रहे हैं इस समस्या की भयावहता को लिपिबद्ध करने अथवा इसके बारे में प्रलाप करने का लक्ष्य कदापि नहीं है बल्कि इसके विपरीत हमारा प्रयास तो बस इतना है कि हम समस्या को सही रूप में वर्णित करें, साथ ही साथ उसके कुछ संभावित समाधान भी सुझाएँ। तदनुसार कानपुर में इस समस्या के समाधान हेतु हमने स्कूलों-हॉस्टलों की एक श्रृंखला 'अपना स्कूल' एवं 'अपना घर' के नाम से आरम्भ की है। जो इस दुरुह समस्या से निपटने की दिशा में एक छोटा सा कदम है लेकिन यह एक संकेत भी है कि समस्या से किस प्रकार



कारगर ढंग से निपटा जा सकता है।

प्रवासी श्रमिकों के बच्चों का शोषण

भारत में अधिकांश निर्माण कार्य या तो तदर्थ या फिर अस्थायी मजदूरों एवं उन व्यक्तियों द्वारा सम्पादित किया जाता है जो हमारे घरों के लिए ईंटें तैयार करते हैं और अधिकांशतः बंधुआ मजदूर बनकर रहते हैं। यह प्रथा उन्हें वास्तविक अर्थों में दास बनाने की एक प्रक्रिया है जो क्रमागत रूप से चलती रहती है। उनकी जिदंगी की शुरुआत एक भूमिहीन किसान अथवा नियोजन विहीन कृषि मजदूर के रूप में होती है जब वह किसी स्थानीय भू-स्वामी से मंहगे किराये पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उस पर फसल उगाने का अधिकार प्राप्त करता है। दोनों ही स्थितियों में वह किसी स्थानीय साहूकार या भू-स्वामी से ब्याज पर ऋण उठाता है जो बहुधा भारी-भरकम ब्याज दर पर लिया जाता है। यह स्थिति अतिशोषण की, तथापि अनवरत चलते रहने वाली होती है। आफत तो तब आती है जब कभी हल्का सूखा पड़ जाता है और किसान या मजदूर को भारी भरकम किराये के साथ-साथ ब्याज के भी भुगतान की स्थिति खड़ी हो जाती है। जबकि फसल उगाकर या मजदूरी के रूप में उसकी आय बमुश्किल ही इस धन की भरपाई कर पाती है। उनकी इस बेबसी का फायदा उठाकर स्थानीय मठाधीश/ताकतवर लोग पुरानी रकम चुकाने के लिए उन्हें नया ऋण उपलब्ध कर देते हैं और बदले में उसे चुकता कराने की गरज से वे इन मजदूरों को उनके घरों से दूर अन्यत्र ईंट भट्टों पर, सन्निर्माण स्थलों पर या सड़क निर्माण के कार्यों में मजदूरी कराने के लिए ले जाते हैं। इस काम में स्थानीय साहूकार, सन्निर्माण ठेकेदार, मजदूर सप्लाय करने वाले संविदाकार, भू-स्वामी तथा भट्टा मालिकान आदि की आपस में पूरी सांठ-गांठ रहती है। यहाँ तक कि वे प्रत्येक मजदूर का काम, उनकी मजदूरी की दरें तथा नियोजन की शर्तें इत्यादि भी तय कर लेते हैं और इस सारी प्रक्रिया में किसान से मजदूर बने लोगों के पास वस्तुतः स्वयं के बोलने या दखलन्दाजी करने का कोई अवसर नहीं होता। उनको दूरस्थ जगहों पर भेजा जाता है तथा मजदूरी करने का वे उनका ऐसा स्थान तय करते हैं जहाँ पर उनके ऋण की अदायगी की सरलता से व्यवस्था हो जाती है। यह व्यवस्था इन आपसी सांठगांठ करने वाले लोगों, जिनमें भट्टा मालिकान और गाँव के मठाधीश आदि शामिल रहते

हैं, के द्वारा की जाती है। इन मजदूरों को भट्टे पर सीजन के दौरान उनके द्वारा पाथी गई कुल ईंटों के हिसाब से वास्तविक मजदूरी का भुगतान किया जाता है जिसमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता कि इस प्रकार से दी जाने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के हिसाब से है अथवा नहीं क्योंकि मजदूरी के एवज में ये मजदूर अग्रिम के रूप में जो भी साप्ताहिक राशि पाते हैं, उसका किसी सुनिश्चित मजदूरी ढाँचे जिस पर किसी तरह की विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकती हो, से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि मजदूरी अर्जन के लिए उपर्युक्त प्रकार से सुनिश्चित की गई व्यवस्था उनका ऐसा अंतिम मानक है जिससे उनकी आय का निर्धारण होता है। मजदूर ज्यादातर स्वेच्छा से सामान्य से कहीं ज्यादा घंटों तक काम करते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अधिक कार्य करने के चक्कर में उनके बच्चों को भी इस कार्य में गैरकानूनी तौर पर धकेल दिया जाता है। जैसे कि खेत में तैयार सूखी ईंटों को खच्चर पर लादकर (चूँकि इस कार्य में अधिक कौशल की जरूरत नहीं होती) भट्टे तक ले जाने का कार्य ज्यादातर बच्चे ही करते हैं। इस कार्य के लिए भट्टा मालिकान को इसलिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ऐसे बच्चों का इन्द्रराज कहीं किसी रजिस्टर या मजदूरी अभिलेखों में नहीं होता। पुनः ईंटों की मांग में कमी के चलते या फिर खराब मौसम, जैसे बारिश आदि होने के कारण इन भट्टा मजदूरों की मजदूरी जब-तब घट भी जाती है क्योंकि उनकी मजदूरी सीधे रोजनदारी पर नहीं बल्कि उनके द्वारा तैयार ईंटों की संख्या के आधार पर संगणित होती है। असंगठित मजदूरों के हित में केन्द्र एवं राज्य, दोनों ही स्तरों पर अनेक कानूनी व्यवस्थाएँ लागू हैं जैसे, संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम-1970 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 जिनमें किसी भी तरह के अनुचित श्रम व्यवहार के खिलाफ उपयुक्त कानूनी मदद की व्यवस्थाएँ प्रतिपादित हैं और जो सैद्धान्तिक रूप से सुनिश्चित करती हैं कि असंगठित मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, उनके कार्य के घण्टे विनियमित हों तथा उन्हें बुनियादी सुविधाएँ इत्यादि मिलें, जैसे कार्य-स्थल पर अस्थाई आवास, साफ-सुथरे शौचालय, माताओं द्वारा कार्य करने के दौरान बच्चों तथा शिशुओं के लिए शिशुसदन, ठोस एवं सुरक्षात्मक चश्में, उपयुक्त दस्ताने तथा जूते आदि। दुर्भाग्यवश, भारत में तमाम कानून तो अच्छे हैं लेकिन उनके प्रतिपालन की स्थिति उतनी ही दयनीय है। इन श्रमिकों के सन्दर्भ में न तो कहीं कानूनी प्रक्रियाओं का प्रतिपालन होता दिखाई पड़ता है और न-ही श्रम कल्याण विभागों द्वारा उनकी निगरानी जैसी कोई स्थिति दृष्टिगोचर होती है जिसके फलस्वरूप इन मजदूरों के हालात पर कोई अनुकूल असर पड़ता हो। भर्ती की ऐसी जटिल प्रक्रिया, जो इसमें शामिल बीच के दलालों के मार्फत अपनायी जाती है और जिसके तहत संविदा श्रमिकों को इस प्रकार विनियोजित किया जाता है, के व्यवहार से इन लोगों के लिए अधिकांशतः तमाम कानूनी व्यवस्थाओं की अनदेखी करना बहुत आसान हो जाता है।

समाधान

कैसी दुःखद स्थिति है? यदि हमारे देश में उल्लिखित कानूनों का एक छोटा सा हिस्सा भी सही रूप से लागू हो जाये, तो हमारा समाज मौजूद बंधुआ मजदूरी के अभिशाप से सहज में मुक्त हो सकता है। कोई भी कानून अमल न होने पर बेकार हो जाता है। इतिहास हमें सिखाता है कि कानून को ठीक प्रकार से कार्यान्वित किये जाने हेतु अन्याय से पीड़ित लोगों के स्तर से एक संगठित मांग की जरूरत होती है। भट्टा सामान्यतः सुदूर स्थानों में अवस्थित होते हैं फलस्वरूप भट्टा मालिकान और इन मजदूरों के मध्य नियोजन के पूर्व परस्पर सीधे संपर्क की कमी रहती है। एक ओर जहाँ भट्टा मालिकान अपनी तमाम मांगो जैसे लीज परमिट, उत्पाद कर विनियम आदि मसलों पर सरकारी विभागों से सामूहिक संपर्क हेतु अपना संगठन (संघ) बनाये रहते हैं, वहीं इसके सापेक्ष भट्टा मजदूरों का कोई संगठन अस्तित्व में नहीं है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CTTU), इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन्स कांग्रेस (INTUC) अथवा भारतीय मजदूर संघ (BMS) जैसे संगठित श्रमिक संघ या मजदूर संगठन भी इन भट्टा मजदूरों की आवाज़ उठाने में रुचि नहीं रखते क्योंकि ये मजदूर प्रत्यक्ष दिखने वाले अथवा ऐसे संगठित श्रम समूहों की श्रेणी में नहीं आते जो इन संगठनों को राजनैतिक रूप से कोई लाभ पहुँचा सके या उनके लिये आसान वोट बैंक बन सके।

इस प्रकार प्रथम आवश्यकता तो ऐसे संगठन विकसित करने की है जो सामान्य अर्थों में हमारे देश के सभी प्रवासी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हों। सरकार द्वारा समाज के लिये अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका ध्यान दलित-शोषित लोगों पर केन्द्रित है। इसके बावजूद ये गरीब प्रवासी मजदूर इन अवसरों का मुश्किल से ही फायदा उठा पाते हैं क्योंकि उनका नाम न तो उनके गाँवों में और न-ही उनके कार्यस्थल के नजदीक के शहरी केन्द्रों पर कहीं दर्ज होता है। फिर भी कल्पना की जा सकती है कि सरकार द्वारा अभी हाल में नागरिकों की पहचान बताने वाली आधार कार्ड एवं यूनिवर्सल आइडेन्टिफिकेशन डाक्यूमेंट (यूआईडी) की जो योजनाएँ लागू की गई हैं, उनसे प्रवासी मजदूरों द्वारा लम्बे अर्से से झेली जा रही समस्या, जैसे कि उनके मामलों के दावा स्थलों का निर्धारण कैसे हो, का निदान तो कम से कम हो ही सकता है तथा जिसके मार्फत वे नियोक्ताओं से अपने सेवानिवृत्ति तथा स्वास्थ्य बीमा अंशदान संबंधी लाभ स्वयं के यूनिवर्सल बैंक खातों के मार्फत दिये जाने की मांगें उठा सकते हैं, भले ही कथित खाते किसी भौगोलिक स्थिति विशेष से सम्बद्ध क्यों न हों। इसी प्रकार वे अपने कार्यस्थल के अस्थाई निवास से परे सस्ती दर के सरकारी राशन को भी हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। दुर्भाग्य से, आधार कार्ड या UID जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों की जानकारी न के बराबर है।

इससे हटकर स्थानीय लोग भी अपने निहित स्वार्थवश इस प्रकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक न पहुँचने देने हेतु उनके मार्ग को हर तरह से दुर्गम बनाने या सरकारी प्रक्रिया में बाधाएँ पैदा करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। यद्यपि यह देखना रुचिकर है कि राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी मतदाता के रूप उनके पंजीयन में ज्यादा रहती है और इस प्रकार उनके मतदाता पंजीयन का कार्य कहीं अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित हो जाता है बजाय इसके कि श्रमिकों के लाभ की ये योजनायें कार्यान्वित की जातीं। अतः यदि प्रवासी मजदूरों की यूआईडी एवं आधार कार्ड जैसी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जानी है तो उसका सबसे बेहतर तरीका तो शायद यही है कि इन योजनाओं को प्रवासी मजदूरों की उनके मतदाता के रूप में होने वाले पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ ही जोड़ दिया जाये।

बच्चों की समस्या का स्थायी समाधान

अब हम उन प्रवासी मजदूरों के, जो कानपुर तथा आस-पास के क्षेत्रों में फैले हैं, बारे में अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं। ये मजदूर ज्यादातर नालंदा, गया, रौंची, हमीरपुर तथा छत्तीसगढ़ से आते हैं। इन मजदूर संवर्गों के साथ कार्य करते हुये हमें तीस साल से भी अधिक समय हो गया है। हमने यह कोशिश की है कि ये प्रवासी मजदूर अपने ऋण लेने की जटिल प्रक्रियाओं तथा कानूनी बंधनों जिनके कारण वे आज दासता की स्थिति में आकर खड़े हो गये हैं, को भलीभाँति रूप से और गहराई से समझ सकें। वास्तविक अर्थों में इस समस्या में यह समझ ही उनकी मदद कर सकती है। इस समस्या के बेहतर समाधान के लिये हमारी कोशिश यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिये कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ इस मकड़-जाल में कदापि न फंसे क्योंकि स्थानीय भूस्वामियों का कुल प्रयास यही होता है कि ऋणों की देनदारी की यह प्रक्रिया प्रवासी मजदूरों के बीच इसी भाँति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहे।

अतएव हमारा मुख्य उद्देश्य जिसमें हम तत्परता से लगे हुये हैं, यही है कि सभी ईंट भट्टों/केन्द्रों जहाँ हमारी पहुँच संभव है, इन मजदूरों के बच्चों को हम कैसे भी कक्षा एक से कक्षा पाँच तक की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। शुरुआत में हम लोगों को इस कार्य में भट्टा मालिकों एवं भट्टा मजदूरों, दोनों के ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भट्टा मजदूरों का विरोध इसलिये क्योंकि उनकी आजीविका अधिकाधिक कार्य निष्पादन पर निर्भर रहती है जो तभी संभव है जब इस कार्य में वे अधिकाधिक हाथों को लगा सकें जबकि मालिकों का विरोध उनकी इस आंशका के कारण था कि इस तरह के प्रयासों से इन मजदूरों में कहीं सत्साहसी होने का जज्बा पैदा न हो जाय।

प्रवासी मजदूरों की इसी से मिलती-जुलती दूसरी समस्या उनके बच्चों द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा का अवसर खो देने की है जो उनका स्थायी पता उपलब्ध न होने और फलस्वरूप सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा उठाने से

उनके वंचित रहने के कारण उत्पन्न होती है। उल्लेखनीय रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाने के पीछे सरकार की मंशा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना है। किन्तु स्कूलों में भर्ती हेतु चलाये जाने वाले अभियानों के दौरान प्रवासी मजदूरों के बच्चे अपने नामांकन के मौके बहुधा इसलिए खो बैठते हैं कि स्कूल के सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष में उनकी जरूरी उपस्थिति उनके अपने गाँवों में या ईंट भट्टा स्थल-दोनों ही जगहों पर नहीं हो पाती। ईंट भट्टों के आस-पास के सरकारी स्कूलों में इन बच्चों का नामांकन कराने के हमारे प्रयासों में मुख्यतः दो समस्याएं आती हैं। प्रथम-बहुत से ईंट भट्टे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहाँ से प्राथमिक विद्यालयों की दूरी कई-कई किलोमीटर होती है। दूसरी- क्योंकि इस प्रकार के बच्चों का प्रवास कानपुर में या अन्यत्र बमुश्किल से छः महीनों के लिए ही रहता है और तत्पश्चात् वे अपने माता-पिता के साथ अपने पैतृक गाँव को वापस लौट जाते हैं, फलतः सरकारी स्कूल इन अंशकालिक बच्चों से उनकी शिक्षा का उचित सामंजस्य नहीं बिठा पाते हालाँकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि स्कूल जाने लायक बच्चे को प्रवेश देने से कोई भी विद्यालय इंकार नहीं कर सकता। वैसे यह कतई दूसरी बात है कि एक लाभकारी कानून का पालन यहाँ न के बराबर ही है।

इस प्रकार यह नितांत आवश्यक है कि प्रवासी मजदूरों के बच्चों तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लाभ पहुँचाने के लिए प्रारंभ से ही समेकित उपाय किये जायें। शिक्षा का अधिकार के लाभ को सुनिश्चित करने हेतु यह जरूरी है कि इसके लिए जिला स्तर पर जिम्मेदार प्रभारी अधिकारी, जो आम तौर पर स्थानीय “बेसिक शिक्षा अधिकारी” होता है, यह देखे कि विभिन्न स्कूलों के प्रशासन-तंत्र इन बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से इंकार नहीं कर रहे हैं, बच्चों को ईंट भट्टा से सरकारी स्कूल तक लाने और वापस ले जाने के लिए सरकारी वाहनों की व्यवस्था है-यदि संभव हो तो ईंट भट्टा मालिकों के निजी प्रयासों के जरिये भी और अंत में सबसे जरूरी यह है कि प्रवासी भट्टा कि विश्वास पैदा किया जाय मजदूरों में उनके बच्चों की शिक्षा से प्राप्त होने वाले दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त चूँकि ये बच्चे प्रायः शिक्षा ग्रहण करने वाली पहली पीढ़ी होती है, अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा देने की अनौपचारिक अनुपूरक प्रक्रिया के साथ-साथ शिक्षा में अभिनव तरीके भी शामिल किये जायें ताकि इन बच्चों पर उसका सतत् प्रभाव रहे एवं स्कूल को वे अपने लिए एक मनोरंजक अनुभव तथा समाजिक स्थल, इन दोनों ही रूपों में ग्रहण कर सकें।

“अपना स्कूल” अध्ययन केन्द्र इस दिशा में हमारे 30 वर्षों के प्रयासों की प्रगति के प्रतीक हैं। हमारी दीर्घकालिक अपेक्षा है कि जहाँ भी प्रवासी मजदूर हों, हम इन प्रयासों को उन स्थानों पर भी दोहराने में सफल हो सकें। जिस प्रकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का स्थानान्तरण हो जाने से उनके वर्तमान के नियुक्ति स्थल भौगोलिक रूप से व्यवधानित हो जाते हैं और फिर भी केन्द्र सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालयों की श्रृंखला उनके बच्चों

की शिक्षा में निरन्तरता बनाये रखती है, उसी भौति हमारे “अपना स्कूल” की श्रृंखला भी प्रवासी मजदूरों के बच्चों को कार्यस्थलों पर ही व्यवधान रहित शिक्षा के आनन्द की अनुभूति कराती है। अतएव, जहाँ कहीं भी भट्टा स्थलों पर पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध हैं, हमारे समर्पित समन्वयकों ने पहली पीढ़ी के इन शिक्षार्थियों के लिए प्रभावकारी तरीकों वाला एक ऐसा स्वयंसिद्ध पाठ्यक्रम तैयार किया है जो उनको इस शिक्षा को आनन्दपूर्वक ग्रहण करने का रुचिकर अनुभव कराता है। उनका परिचय ‘श्रीआर’ अर्थात् (रीडिंग, राइटिंग तथा अर्थमेटिक) कराता है। हालाँकि अपने पाठ्यक्रम में हमने मुख्यधारा के स्कूलों के परम्परागत पाठ्यक्रम को शामिल करने का प्रयास किया है परन्तु उसके साथ-साथ हमारा अधिक जोर बच्चों में साफ-सुथरा रहने की आदत डालने तथा उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने पर भी रहता है। चूँकि तब तक इन बच्चों को क्लासरूम में जाने का कभी अनुभव भी नहीं प्राप्त हुआ होता, अतः हमारे अध्यापकों को इस आशय के स्पष्ट दिशानिर्देश हैं कि वे कक्षा में मात्र कक्षा अनुदेशक के रूप में अपनी भूमिका न निभायें बल्कि वे बच्चों के व्यक्तिगत परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करें। शिक्षा के ऐसे अभिनव तरीके से बच्चे कविताएं लिखने-पढ़ने, कहानी सुनाने, व्यंग रचना एवं नाटक मंचन करने, कलाकार के रूप में अपनी रुचि को प्रदर्शित करने तथा नृत्य एवं संगीत में अपनी अभिरुचि और प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ये बच्चे स्ट्रीट-प्ले व नुकवड़ नाटक तैयार कर, समाज में सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाली कवितायें लिखकर तथा पर्यावरण जागरूकता से जुड़े स्थानीय अभियानों में भागीदारी के माध्यम से साक्षरता हासिल करने के साथ-साथ अपनी पीढ़ी में समाजिक परिवर्तन लाने में भी अहम् भूमिका निभाने में समर्थ हो सकते हैं। हमारा यह अटूट विश्वास है और इसी विश्वास तथा समर्पण के सहारे अपनी संस्था के माध्यम से हम क्रमशः अपने लक्ष्य की ओर मंथर गति से किन्तु दृढ़निश्चय के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं।



श्रीमती विजया रामचन्द्रन

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते।

श्रद्धा हृदय्यश्याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसुः ॥

(ऋग्वेदः 10.151.4)

ऋग्वेद कहता है: श्रद्धा हृदय की ऊँची भावना का प्रतीक है। इससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन सफल होता है और वह परमधन प्राप्त करके सुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धनवालों को दान दे सकता है, सत्कारहित होते हुए भी कड़ियों को सत्ता का दान कर सकता है। उस परमतत्व की श्रद्धा का फल अद्भुत है।

गागर में सागर

महात्मा तिरुवल्लुवर कपड़े बुनकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक दिन संध्या के समय उनके पास एक उदंड युवक आया और एक कपड़े का दाम पूछने लगा। संत ने बताया-बीस रुपये। युवक ने उस कपड़े के दो टुकड़े कर दिए और फिर उनका मूल्य पूछा। संत ने कहा-दस-दस रुपये। इस पर युवक ने उन टुकड़ों के भी टुकड़े कर दिए और बोला-अब। संत ने उसी गंभीरता से कहा-पाँच रुपये प्रत्येक। इस पर वह युवक उन टुकड़ों के टुकड़े करता गया और संत धैर्य पूर्वक उनका मूल्य बताते रहे। युवक संभवत उन्हें क्रोधित करने के लिए संकल्पित सा दिख रहा था। अंत में युवक ने तार-तार किये हुए उस कपड़े को गेंद की तरह लपेटा और कहा-अब। तिरुवल्लुवर ने कहा-बेटा! इसे निशुल्क ले जा सकते हो। अब भी उनका इतना धीर गंभीर उत्तर सुनकर युवक का हृदय पश्चाताप से भर गया और उनके सम्मुख नतमस्तक हो गया। वस्तुतः व्यक्ति दंड द्वारा उतना नहीं सीखता, जितना क्षमा और प्रेम द्वारा सीखता है।

जन-सूचना अधिकार अधिनियम - एक समीक्षा

भारत का लोकतन्त्र ऐसी सूचनाओं की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तथा सरकारों एवं उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए प्रभावी रूप से सहायक सिद्ध हों। परंतु पारदर्शिता को लेकर बहुधा यह संशय भी प्रकट किया जाता रहा है कि कहीं पारदर्शिता अन्य लोकहितों, यथा सरकारों के सुगम संचालन में, सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग में और संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता को बनाए रखने में बाधक न सिद्ध हों। इन्हीं पारस्परिक विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम देश की जनता को लोकतन्त्र द्वारा प्रदत्त एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसके प्रयोग से भारत का हर नागरिक किसी भी लोक प्राधिकारी से अपेक्षित सूचना प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वांछित सूचना अधिनियम में वर्णित उपबन्धों से बाधित न होती हो।

इस कानून के आने के बाद जहाँ सरकारी कामकाज की पारदर्शिता में आशातीत सुधार हुआ है, वहीं समय-समय पर इसके दुरुपयोग की घटनाएँ भी बढ़ने लगी हैं, जिसके कारण सरकारी हलकों में इस कानून के संशोधन की मांग भी उठने लगी यहाँ तक कि तत्कालीन सरकार ने भी यह स्वीकार किया कि इस कानून के आने के बाद सरकारी हलकों में निर्णय लेने की क्षमता में सतत शिथिलता आने लगी है। तत्कालीन सरकार ने यह भी माना कि इस कानून के चलते जनसेवकों द्वारा लिए गए प्रभावी निर्णयों में लगातार कमी आ रही है और फलस्वरूप सरकार के सुगम संचालन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में जन सूचना अधिकार के संशोधन का एक प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाने वाला था, किन्तु मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के कारण सरकार को न केवल अपना कदम पीछे खींचना पड़ा अपितु इसके उलट इस प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए सरकार ने जन सूचना अधिकार के पक्ष में खड़े होकर यत्किंचित राजनैतिक लाभ भी हासिल करने का प्रयास किया था।

किन्तु जब जन सूचना आयोग ने अपने 03 जून, 2013 के एक फैसले में कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, राकांपा और बसपा को आरटीआई की धारा 2(ज) की व्यवस्था के तहत सार्वजनिक संस्था घोषित करते हुए इन छः राजनैतिक दलों को आरटीआई की परिधि में ले लिया तो राजनैतिक हलकों में जैसे भूचाल आ गया। उल्लेखनीय है कि जन सूचना आयोग ने अपने उक्त ऐतिहासिक फैसले में यह घोषित किया कि 'हमें यह निष्कर्ष निकालते हुए कुछ भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, राकांपा और बसपा, को सरकार द्वारा व्यापक रूप से वित्तपोषित किया गया है, अतः ये पार्टियाँ जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2(ज) की व्यवस्था के तहत लोक प्राधिकारी के तौर पर जानी जायेंगी।

आदेश के इस प्रभावी अंश का नैसर्गिक अर्थ यह निकलता है कि राजनैतिक पार्टियाँ सरकार की तरह अपनी आमदनी तथा खर्च का पूरा ब्यौरा जनता को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य हो जायेंगी। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए शायद यही सबसे बड़ी समस्या थी जिसके चलते सभी राष्ट्रीय पार्टियाँ समवेत स्वर में केन्द्रीय सूचना आयोग के इस ऐतिहासिक निर्णय की बखिया उधेड़ने में लग गयी हैं। सभी पार्टियों ने यह घोषित किया कि केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने फैसले में कानून की धारा 2(ज) की मनमाफिक व्याख्या की है, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से किसी भी पार्टी ने इस आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। हालांकि इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार ने सभी राष्ट्रीय पार्टियों को जन सूचना कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए संसद में एक संशोधन अवश्य पेश कर दिया, जिसे बाद में संसद की स्थाई समिति के पास विचारार्थ भेज दिया गया और उक्त स्थायी समिति ने भी तत्क्रम में जनसूचना कानून में संशोधन की सिफारिश कर दी।

उल्लेखनीय रूप से प्रस्तावित संशोधन आरटीआई की धारा 2(ज) की आयोग द्वारा की गई उपर्युक्त व्याख्या न मानने के पक्ष में सरकार ने अनेक तर्क दिये थे। प्रथमतः यह कि आरटीआई अधिनियम 2005 के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टियों के मामलों में नहीं बल्कि सभी सरकारी तथा अधीनस्थ संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है। सरकार का दूसरा तर्क था कि आयोग ने इस तथ्य का जरा भी ध्यान नहीं रखा कि राजनैतिक दलों का गठन न तो संविधान के तहत होता है और न ही संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत, बल्कि वास्तव में राजनैतिक दल तो जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के अंतर्गत बस पंजीकृत मात्र किए जाते हैं। तीसरा तर्क यह दिया गया कि जहाँ तक पारदर्शिता का प्रश्न है, तो जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 में इस आशय के पर्याप्त प्रविधान हैं जिनके अधीन राजनीतिक दलों एवं उनके प्रत्याशियों के आर्थिक मामलों को सार्वजनिक करके पारदर्शिता लायी जा सकती है। सरकार द्वारा चौथा तर्क यह दिया गया कि राजनैतिक दलों को आरटीआई की परिधि में लाने तथा उन्हें सार्वजनिक संस्था घोषित करने से पार्टियों के समस्त क्रियाकलापों पर असर पड़ेगा और तमाम राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी इस कानून के प्रविधानों का गलत इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के प्रयासों में लग जायेंगे।

कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सारे तर्क नितांत खोखले एवं आधारहीन हैं। जहाँ तक प्रथम तर्क का प्रश्न है, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि वर्तमान में राजनैतिक दलों की पारदर्शिता के महत्व को कम करके कतई नहीं आँका जा सकता, विशेषकर उन परिस्थितियों में, जब राजनैतिक दलों को इस आशय के आरोप से न चाहते हुए भी दो चार होना पड़ता है कि उन्हें विदेशी शक्तियों द्वारा धन की आपूर्ति की जाती है। जहाँ तक दूसरे तर्क कि आरटीआई की धारा 2(ज) की मनमाफिक व्याख्या की गई है, का प्रश्न

है, इस संबंध में उचित तो यह था कि राजनैतिक दल इस व्यवस्था को सक्षम न्यायालय में चुनौती देते, न कि सरकार स्वयं जन सूचना कानून को संशोधित करने में लग जाती। तीसरे तर्क के बारे में यह ध्यान देने योग्य है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत यदि राजनैतिक पार्टियों से कोई किसी तरह की सूचना चाहता है तो उसे प्राप्त करने लिए उसके पास राजनैतिक पार्टियों के ऊपर आरोप लगाकर अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा अन्य कोई उपाय शेष नहीं रह जाता, जो निश्चय ही एक लंबी और दुष्कर प्रक्रिया है। इससे परे चौथे तर्क के विषय में यह समझने की आवश्यकता है कि इस तरह राजनैतिक जीवन में अच्छी और स्वच्छ छवि के लोगों के आ पाने की संभावनायें बढ़ेंगी जबकि राजनीति में इस स्थिति के बाद भी यदि दागदार व्यक्ति आते हैं तो उनके आचरण की सार्वजनिक व्याख्या होने के खतरे हमेशा के लिए उत्पन्न हो जायेंगे जिसके फलस्वरूप राजनैतिक पार्टियों के समक्ष उपर्युक्त तथ्यों को सदैव ध्यान में रखने और तदनुसार ही अपने प्रतिनिधियों का चयन करने की लगभग विवशता हो जायेगी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय लोकतन्त्र में राजनैतिक पार्टियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकमत हासिल करने के लिए उनके पास विभिन्न प्रकार के एजेंडे होते हैं जिसके आधार पर राजनैतिक पार्टियां विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ती हैं तथा जनता का विश्वास हासिल करती हैं। अतः इन पार्टियों की जनता के प्रति जिम्मेदारी रहती है और जवाबदेही भी। अतः जनता को भी इन पार्टियों के क्रियाकलाप तथा आय व्यय के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। केन्द्रीय सूचना आयोग के उक्त फैसले द्वारा महज इन्हीं अधिकारों का जनसूचना कानून में समावेश किया गया है। इस फैसले से जनता को अपने जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित राजनैतिक पार्टियों का पूरा ब्यौरा प्राप्त कर सकना संभव हो जाएगा जो एक योग्य एवं कुशल नेतृत्व चुनने में सहायक सिद्ध होगा। किन्तु खेद का विषय है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के इस ऐतिहासिक फैसले की उचित समीक्षा अथवा व्याख्या न तो प्रिंट मीडिया में हुई और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यद्यपि कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के समर्थन में हर्ष जरूर व्यक्त किया तथापि सरकार ने आयोग के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत नहीं किया और न ही इस फैसले के क्रियान्वयन हेतु कोई प्रभावी कदम उठाया। इसके विपरीत तत्कालीन सरकार ने पिछली लोकसभा में जन सूचना कानून संशोधन बिल अवश्य प्रस्तुत कर दिया था लेकिन इसी मध्य सौभाग्य से 15वीं लोकसभा भंग हो गई जिसके फलस्वरूप संशोधन बिल स्वतः ही पारित होने से रह गया।

पिछले लोकसभा चुनाव में कतिपय मुख्य राजनैतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च करने के आरोप लगाये गये थे। यह भी पाया गया था कि कुछ राजनैतिक पार्टियों द्वारा कुछेक दागी व्यक्तियों को

टिकट दिया गया था, जबकि कई पार्टियों द्वारा अनेक प्रत्याशी जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर बनाए गए थे। राजनैतिक पार्टियों द्वारा टिकट वितरण किस आधार पर किया जाता है, यह जन साधारण की समझ के बहुधा परे होता है। यह भी देखा गया है कि चुनाव में अधिकांशतः धन का असीमित प्रयोग किया जाता है जिससे चुनाव के नतीजे भी प्रभावित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजनैतिक पार्टियों का इस तरह का आचरण भारतीय प्रजातन्त्र के लिए क्रमशः एक विषम समस्या बनता जा रहा है। केन्द्रीय जनसूचना आयोग का यह निर्णय कि समस्त राजनैतिक पार्टियां जन सूचना कानून के तहत जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, सचमुच एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जिसकी अपवंचना जन सूचना अधिकार कानून में संशोधन करके नहीं की जा सकती है। आशा है कि वर्तमान सरकार आयोग के प्रभावी निर्णय को ध्यान में रखते हुए इसके परिपालन हेतु ठोस कदम उठाने का प्रयास करेगी और आरटीआई ऐक्ट को संशोधित करने से विरत रहेगी।



चंद्र प्रकाश सिंह
उपकुलसचिव (विधि) एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार।
रहिमन फिरि-फिरि पोहिए, टूटे मुक्ताहार।।

जैसे मोतियों का हार जितनी भी बार टूटता है, उसे फिर से पिरोकर बना लिया जाता है, उसी प्रकार से यदि आपका प्रिय मित्र या बंधु रूठ जाए और उसे सैकड़ों बार भी मनाना पड़े तो भी अवश्य मनाइए, क्योंकि मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटी-छोटी बातों से यूँ मित्रता को नहीं तोड़ा जाता। यह संबंध असाधारण होता है।





काव्य-शास्त्र

काव्य शास्त्र के लिए अंग्रेजी में Poetics शब्द प्रचलित है। 'काव्य शास्त्र' शब्द और उसकी अवधारणा का विकास संस्कृत साहित्य की सुदीर्घ चिंतन परंपरा से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जिस ज्ञान को प्राप्त कर कवि सुंदर कविता कर सकता है और सहृदय काव्य का पूरा आनंद प्राप्त करता है, वह ज्ञान है काव्य के स्वरूप को समझना और उसके तत्वों का विश्लेषण करना इसी का कार्य है। सहृदय काव्य की संवेदना से युक्त होते हैं, काव्य शास्त्री और भावुक काव्य शास्त्र के ज्ञान से।

संस्कृत-परंपरा में संपूर्ण वाङ्मय को शास्त्र तथा काव्य इन दो स्वतंत्र प्रकारों में विभाजित किया गया है "इह हि वाङ्मयमुभयथा शास्त्रं, काव्यं च।" काव्य के अनुशीलन के लिए शास्त्र का ज्ञान आवश्यक माना गया है। राजशेखर का कहना है कि जैसे दीपक के प्रकाश के बिना पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार शास्त्र-ज्ञान के बिना काव्य-ज्ञान असंभव है। उन्होंने ही चार वेद, छह: वेदांग, चार शास्त्र-इन चौदह विद्याओं के साथ काव्य-विद्या को पन्द्रहवां स्थान दिया है और उसे चौदहों विद्याओं का एक मात्र आधार माना है। उन्होंने काव्य-विद्या तथा साहित्य विद्या को समान अर्थ में ग्रहण किया है। आगे इसकी व्याख्या करते हुए कहा है- 'शब्द और अर्थ के सहभाव को बताने वाली विद्या साहित्य-विद्या है। इस विद्या की चौसठ उप विद्याएं तथा कलाएं काव्य का जीवन हैं।' इस शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' है, जिसके प्रणेता हैं आचार्य भरत। इसी कारण भरत को आद्याचार्य माना गया है। भरत का समय दूसरी सदी ईसवी-पूर्व और दूसरी सदी ईसवी के मध्य कहीं माना गया है तब से लेकर काव्यशास्त्र के सिद्धांतों में निरंतर कभी तीव्र और कभी मंद विकास होता रहा। संस्कृत के अंतिम महान आचार्य पंडितराज जगन्नाथ के बाद हिंदी में भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना शिथिल नहीं हुई। हिंदी का रीतिकाल काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से भरा पड़ा है। हिंदी में इन्हें लक्षण ग्रंथ या रीतिग्रंथ भी कहते हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का यह क्रम आधुनिक काल तक जारी रहा है।

संस्कृत परंपरा में बहुत समय तक 'अलंकार-शास्त्र', काव्य-शास्त्र के पर्याय के रूप में प्रचलित रहा है। भामह के 'काव्यालंकार', दंडी के 'काव्यादर्श' तथा उद्भट के 'काव्यालंकार संग्रह' के नाम तथा विषय-प्रतिपादन से स्पष्ट है कि इन आचार्यों ने काव्य-शास्त्र को अलंकार शास्त्र के रूप में ही लिया है। वामन के 'काव्यालंकार सूत्रवृत्ति', तथा रुद्रट के 'काव्यालंकार' में क्रमशः रीति-गुण तथा रस आदि की प्रतिष्ठा बढ़ी है, फिर भी काव्य-शास्त्र संबंधी इनका दृष्टिकोण प्राचीनों से भिन्न नहीं है।

मम्मट के 'काव्यप्रकाश' में व्यापक रूप से ध्वनि के अंतर्गत अन्य सिद्धांतों को ग्रहण किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण' में इसी दृष्टिकोण को अपनाया है और काव्य-शास्त्र के पर्याय-रूप 'साहित्यशास्त्र' को व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। भोजराज के 'श्रंगार-प्रकाश', भानुदत्त की 'रसमंजरी' आदि में रस-सिद्धांत की प्रधान रूप से विवेचना है।

काव्यशास्त्रीय विचार-परंपरा छह सिद्धांतों में विभक्त की जाती है-रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत। इस प्रकार लगभग डेढ़-दो सहस्र वर्षों की यह काव्यशास्त्र-परंपरा उद्भावक एवं संग्रहकर्ता आचार्यों तथा टीकाकारों के माध्यम से काव्य, नाटक और कविशिक्षा-संबंधी सिद्धांतों का अनवरत सृजन, विवेचन, समीक्षण एवं संकलन प्रस्तुत करती रही है। इस विद्या का काव्यशास्त्र नाम है तो बहुत पुराना, पर अधिक प्रचलित आधुनिक युग में हुआ है। संस्कृत-ग्रंथों के आधार पर इस विद्या के अनेक नाम प्रचलित रहे-वाल्मीकि रामायण में इस विद्या के अर्थ में सर्वप्रथम 'क्रियाकल्प' शब्द का प्रयोग मिलता है। इसी शब्द का प्रयोग वात्सायन ने अपने ग्रंथ 'कामसूत्र' में चौसठ कलाओं के अन्तर्गत एक कला के रूप में किया है और स्पष्टता के लिए इससे पहले काव्य शब्द जोड़ दिया है वहाँ इस कला का नाम है 'काव्यक्रियाकल्प' अर्थात् काव्यशास्त्र। संभवतः इन्हीं स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त कर दंडी ने इसी अर्थ में 'क्रियाविधि' शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भामह के समय 'अलंकार' शब्द बहु-प्रचलित हो गया और इसका अर्थ भी व्यापक हो गया। इसी शब्द के आधार पर यह विद्या संभवतः 'अलंकारशास्त्र' कहलाती रही होगी।

राजशेखर ने इस विद्या को 'साहित्य विद्या' नाम दिया है। 'साहित्यशास्त्र' भारतीय काव्यशास्त्र का बहुचर्चित शब्द है। भामह ने अपने काव्यलक्षण में इस शब्द का प्रयोग करते हुए शब्दार्थ के सहित-भाव का संकेत किया था- "शब्दार्थौ सहितौकाव्यम्"। 'साहित्य' शब्द के आधार पर ही राजशेखर के समय में इस विद्या का नाम 'साहित्यविद्या' प्रचलित रहा होगा। विश्वनाथ का 'साहित्यदर्पण' और रुय्यक का अप्राम्त ग्रंथ 'साहित्यमीमांसा' 'साहित्य' शब्द पर ही आधारित है।

इस प्रकार हमारे सम्मुख काव्य शास्त्र के लिये जो नाम उपलब्ध हैं वे हैं- 'काव्यकल्पविधि', 'कल्पविधि', 'अलंकारशास्त्र', 'साहित्यविद्या' और 'काव्यशास्त्र'।

हिंदी में भी प्रायः काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों की तीन परंपराएं मिलती हैं। एक ऐसे ग्रंथों की परंपरा जिनमें केवल अलंकारों की व्याख्या अथवा विवेचन है, जैसे जसवंत सिंह का 'भाषाभूषण', मतिराम का 'ललितललाम', भूषण का 'शिवराजभूषण' आदि। दूसरे ऐसे ग्रंथों की परंपरा जिनमें रस अथवा नायिका-भेद का विवेचन है, जैसे केशवदास की 'रसिकप्रिया', मतिराम का 'रसरराज', कुलपति का 'रसरहस्य', देव का 'रसविलास', तथा भिखारीदास का 'रससारांश' आदि। इनके अतिरिक्त एक ऐसे ग्रंथों की परंपरा है जिनमें 'काव्यप्रकाश' के अनुसरण पर 'काव्य-शास्त्र' के विभिन्न अंगों का निरूपण समन्वित रूप से किया गया है, जैसे केशवदास की 'कविप्रिया', चिंतामणि का 'कविकुलकल्पतरु', तथा भिखारीदास का 'काव्यनिर्णय' आदि। परंतु इनमें कई आचार्यों ने दोनों या तीनों प्रकार के ग्रंथों की रचना की है अथवा उनके एक ही ग्रंथ में कई दृष्टियाँ मिलती हैं। इस कारण सिद्धांतगत कोई स्पष्ट दृष्टिकोण इनमें परिलक्षित नहीं होता। आधुनिक काल में श्यामसुंदर दास, कन्हैयालाल पोद्दार, गुलाबराय तथा रामदहिन मिश्र आदि ने अपने काव्य-शास्त्र संबंधी ग्रंथों में सभी अंगों की समुचित विवेचना की है। आचार्य शुक्ल ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों परंपराओं का समुचित अनुशीलन करके आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी काव्यशास्त्र को अधिक पुष्ट, प्रासंगिक और उपयोगी रूप प्रदान किया है।

स-आभार :

हिन्दी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली

डॉ. अमरनाथ

हिन्दी-भाषा

भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त और समर्थ माध्यम है। भाषा के अभाव में किसी भी विषय पर गहराई से विचार कर पाना संभव नहीं है। इसी क्रम में भाषा के शुद्ध रूप का बोध करवाने वाले शास्त्र को 'व्याकरण' कहते हैं। वस्तुतः भाषा के सभी रूपों को जानने और समझने के लिए व्याकरण, लिपि आदि का सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। आइये इस लेख के माध्यम से हम देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी भाषा के वर्णमाला को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम भाषा के रूपों पर दृष्टिपात करते हैं तो मोटे तौर पर भाषा के निम्न रूप दिखलाई पड़ते हैं (1) सांकेतिक (2) मौखिक और (3) लिखित। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाषा का सांकेतिक और मौखिक रूप अस्थायी होता है लेकिन लिखित रूप स्थायी होता है।

वर्ण और वर्णमाला-

वर्ण-विचार-

परिभाषा-हिन्दी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे-अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क, ख आदि।

वर्णमाला-

वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिन्दी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं- 1. स्वर तथा 2. व्यंजन स्वर-

जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में ग्यारह हैं-

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के तीन भेद किए गए हैं-

ह्रस्व स्वर-

जिन स्वरों के उच्चारण में कम-से-कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं- अ, इ, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं।

दीर्घ स्वर-

जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिन्दी में सात हैं- आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

विशेष- दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है।

प्लुत स्वर-

जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है।

मात्राएँ-

स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएँ निम्नलिखित हैं-

स्वर	मात्राएँ	स्वर मात्राओं से निर्मित शब्द
अ	अ (स्वर) की कोई मात्रा नहीं होती।	
आ	।	काम
इ	ि	किसलय
ई	ी	खीर
उ	ु	गुलाब
ऊ	ू	भूल
ए	े	केश
ऐ	ै	है
ओ	ो	चोर
औ	ौ	चौखट

अनुस्वार-

‘अं’ का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह (.) है। जैसे- सम्भव=संभव, सञ्जय=संजय, गङ्गा=गंगा आदि।

विसर्ग-

‘अः’ का उच्चारण ह् के समान होता है। इसका चिह्न (:) है। जैसे-अतः, प्रातः आदि।

चंद्रबिंदु-

‘अँ’ यह अनुनासिक कहलाता है। इसका चिह्न (◌ं) है। जब किसी वर्ण का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु (◌ं) लगा दिया जाता है। जैसे-हँसना, आँख, चाँद आदि।

व्यंजन-

व्यंजनों का अपना नैसर्गिक स्वरूप निम्नलिखित हैं- क् च् छ् ज् झ् त् थ् ध् आदि।

‘अ’ स्वर लगने पर व्यंजनों के नीचे क (◌) चिह्न हट जाता है। तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं-

क च छ ज झ त थ ध आदि।

जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात् व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में 33 हैं।

वर्णों के उच्चारण-स्थान और ध्वनि गत भेद-

मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण की ध्वनि कहते हैं।

उच्चारण स्थान तालिका-

क्रम	वर्ण	उच्चारण	श्रेणी
1	अ आ क् ख् ग् घ् ङ्	कंठ और जीभ का निचला भाग	कंठ्य ध्वनि
2	इ ई च् छ् ज् झ् ञ् श्	तालु और जीभ	तालव्य ध्वनि
3	ऋ ॠ ऌ ॡ ढ् ण्	मूर्धा और जीभ	मूर्धन्य ध्वनि
4	त् थ् द् ध् न् ल् स्	दाँत और जीभ	दंत्य ध्वनि
5	उ ऊ प् फ् ब् भ् म्	दोनों होंठ	ओष्ठ्य ध्वनि
6	ए ऐ	कंठ तालु और जीभ	कंठतालव्य ध्वनि
7	ओ औ व्	दाँत जीभ और होंठ	कंठोष्ठ्य ध्वनि

उच्चारण के समय लिए गए प्रयत्न के आधार पर हिंदी वर्ण माला को और भी सहजता से समझा जा सकता है :

स्पर्श-

इन्हें पाँच वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में पाँच-पाँच व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है जैसे-

‘क’ वर्ग-क् ख् ग् घ् ङ्

‘च’ वर्ग-च् छ् ज् झ् ञ्

‘ट’ वर्ग-ट् ठ् ड् ढ् ण् (ङ् ढ्)

‘त’ वर्ग-त् थ् द् ध् न्

‘प’ वर्ग-प् फ् ब् भ् म्

अंतःस्थ-

ये निम्नलिखित चार हैं-

य् र् ल् व्

ऊष्म-

ये निम्नलिखित चार हैं-

श् ष् स् ह्

संयुक्त-

जब दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे:

क्ष=क्ष उदाहरण- अक्षर

त्र=त्र उदाहरण- नक्षत्र

ज्ञ=ज्ज्ञ उदाहरण- ज्ञान

वस्तुतः हिन्दी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और (ड़ ढ) को मिलाकर हिन्दी के वर्णों की कुल संख्या 49 हो जाती है।

व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा तथा मुख के अन्य अवयव के प्रयोग से जो प्रयत्न स्थितियाँ बनती हैं, वे आठ प्रकार की हैं-

1.स्पर्शी- जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से आकर किसी अन्य अवयव का स्पर्श करती है और फिर अकस्मात् बाहर निकलती है। उन्हें स्पर्शी कहते हैं जैसे : 'क' वर्ग के क ख ग घ, 'ट' वर्ग के ट ठ ड ढ, 'त' वर्ग के त थ द ध और 'प' वर्ग के प फ ब भ।

2.संघर्षी- जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु, घर्षण पूर्वक निकलती है- श ष स ट ख ज झ आदि संघर्षी हैं।

3.स्पर्श/संघर्षी- जिनके उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है — च छ ज झ तथा द।

4.नासिक्य- इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुँह के साथ-साथ नासिका से भी निकलती है। ये नासिक्य ध्वनियाँ हैं-ड, ञ, ण, न तथा म।

5.पार्श्विक- यदि उच्चारण में जीभ तालू को छूती है लेकिन बगल का रास्ता खुला रहता है, जिससे वायु निकलती रहती है। हिंदी की एक मात्र ध्वनि 'ल' पार्श्विक है।

6.प्रकंपित-यदि प्राणवायु जिह्वा को दो तीन बार प्रकंपित करके निकले तो प्रकम्पित व्यंजन होती है, जैसे र।

7.उत्क्षिप्त- उच्चारण करते समय यदि जीभ पीछे जाकर झटके से वापिस आये तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ आदि।

8.संघर्षहीन- जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा तथा अन्य अवयवों को विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ता है वे संघर्षहीन कहलाते हैं, जैसे य, व आदि।

स्वर-तंत्रियों का नाद-स्वर-तंत्रियों के नाद के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किये जाते हैं-

1.घोष-जिन व्यंजन ध्वनियों (वर्णों) के उच्चारण में स्वरतंत्रियाँ कंपित होती हैं उनको घोष कहते हैं। जैसे सभी वर्णों के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन (ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ और म)

2.अघोष- जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। सभी वर्णों के प्रथम दो-दो वर्ण क, ख; च, छ; ट, ठ; त, थ; प, फ तथा श, ष, स ये तेरह वर्ण अघोष हैं।

उच्चारण के समय प्राण वायु के वेग और श्वास के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किये गये हैं-

1.अल्पप्राण- जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास-वायु कम मात्रा में बाहर आती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवाँ अक्षर, य, र, ल, व तथा अनुस्वार और सभी स्वर अल्पप्राण हैं।

2.महाप्राण - जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास-वायु (अपेक्षाकृत) अधिक मात्रा में बाहर आती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। वर्णों के दूसरे, चौथे, वर्ण (ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ) श ष श और 'ह' महाप्राण हैं।

निष्कर्ष - वस्तुतः मानव ने बोलना या लिखना कब सीखा, इस विषय में निश्चित तथा प्रमाणित रूप से कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि भाषा के विकास की कथा मानव के विकास से जुड़ी है। अपने अनुभवों तथा मनोभावों को व्यक्त करने की लालसा और आकुलता प्रत्येक मनुष्य में होती है। इसी लालसा और आकुलता की शांति के लिए आरम्भ में मनुष्य ने मौखिक रूप से लोक साहित्य रचा होगा तदुपरांत इसी साहित्य ने लिखित रूप में स्थाई साहित्य का रूप ले लिया है और हमारे वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम बन गया है।



- सुनीता सिंह

लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है



बिना परिणाम सोचे चंचल वृत्ति से काम आरम्भ करने वाला अपनी जग-हँसाई कराता है।

एक नगर के राजा चन्द्र के पुत्रों को बन्दरों से खेलने का व्यसन था। बन्दरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बन्दरों को नीतिशास्त्र पढ़ाया करता था। सब बन्दर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उस बन्दरों के सरदार वानरराज को बहुत मानते थे।

उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोईये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे।

वानरराज ने जब यह कलह देखा तो वह चिन्तित हो गया। उसने सोचा, यह कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा। कारण यह कि जिस दिन नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बन्दरों की चर्बी की माँग पैदा होगी। तब, हम सब मारे जाएंगे।

इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बन्दरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें। किन्तु उस समय बंदरों ने उसकी बात नहीं सुनी। राजगृह में उन्हें मीठे-मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते! उन्होंने वानरराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम-व्यवहार और अमृत-समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल नहीं जाएंगे।

वानरराज ने आँखों में आँसू भरकर कहा-मूर्खों! तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महँगा पड़ेगा। यह कहकर वानरराज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया।

उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने वानरों को सावधान किया था। वह लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उसपर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहाँ से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिनगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ रस्सी तुड़ाकर शाला से भाग गए।

तब राजा ने पशु चिकित्सालय से कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेदशास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी का मरहम बनाकर लगाया जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया।

वानरराज को जब अपने वंश-क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन-रात वह इसी चिन्ता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए, सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल-नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे को मुख में लगा कर पानी पीना शुरू कर दिया।

थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कण्ठहार धारण किये हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा-इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया, तूने कमल-नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। जो वर माँगेगा, मैं दूँगा। कोई-सा एक वर माँग ले।

वानरराज ने पूछा-मगरराज! तुम्हारी भक्षण-शक्ति कितनी है?

मगरराज-जल में मैं सैकड़ों, सहस्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, भूमि पर एक गीदड़ भी नहीं।

वानर-एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कण्ठहार मुझे दे दो ते मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ।

मगरराज ने कण्ठहार दे दिया। वानर कण्ठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कण्ठहार की चमक-दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वह कण्ठहार देखा तो पूछा-वानरराज! यह कण्ठहार तुम्हें कहाँ मिला?

वानरराज-राजन यहाँ से दूर वन में एक तालाब है, वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे यह कण्ठहार मिल जाएगा।

राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक-एक कण्ठहार की प्राप्ति हो जाएगी।

निश्चित दिन राजा-समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुँच गए। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव हो सकता है। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है, लक्षपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे काल के मुख तक ले आई।

जितने लोग जलाशय में गए, डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिन्तित होकर वानरराज की ओर देखा। वानरराज तुरन्त वृक्ष की ऊँची शाखा पर चढ़कर बोला... महाराज! तुम्हारे सब बंधु-बान्धवों को जलाशय में बैठे राक्षसों ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस लौट जाओ।

राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किन्तु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रति-हिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यावहारिक नीति है।

राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की।

संग्रह स्रोत-पंचतंत्र



देश के सपूत




देशमान्य गोपाल कृष्ण गोखले बाल्यकाल में बहुत गरीब थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी प्रकार पूर्ण हो गई थी। जब कॉलेज की खर्चीली पढ़ाई का प्रश्न सामने आया तो गोखले चिंतित हो गए। तब उनकी भाभी ने अपने आभूषण बेचकर उनकी फीस भरी। उनके बड़े भाई गोविंद राव अपने पंद्रह रुपये के मासिक वेतन में से सात रुपये गोखले को भेज देते थे और शेष आठ रुपयों से अपना खर्च चलाते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर गोखले को पैंतीस रुपये मासिक की नौकरी मिल गई। बड़े भाई के उपकार से उनका रोम-रोम कृतज्ञ था, इसलिए वे ग्यारह रुपये अपने पास रखकर चौबीस रुपये प्रतिमाह अपने भाई को भेज देते थे। उनके भाई ने उन्हें ऐसा करने से बहुत मना किया तो वे बोले-भाई साहब, यह रुपयों का बदला रुपयों से नहीं है, बल्कि ममता का उत्तर श्रद्धा से है। यह सुनकर उनके भाई ने उन्हें गले लगा लिया।

आइये आपको ले चलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पदार्थ विज्ञान कार्यक्रम में स्थित “नैनो अभियांत्रिकी पदार्थ प्रयोगशाला” की ओर। प्रवेश द्वार क्रमांक 3 के समीप स्थित यह विभाग अकादमी परिसर के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। विभाग के मुख्य द्वार के समीप खड़े पाम के वृक्ष, पुष्प वाटिका एवं सेमल के वृक्ष से उड़ते हुए कपास वातावरण को रमणीय बनाते हैं। यदि आप किसी सुरम्य पहाड़ी स्थल की कल्पना में खो गए हों तो बता दें कि मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते ही आपको सैलानी नहीं मिलेंगे। बेशक यहाँ कुछ महिलायें एवं पुरुष अपने हाथों में सैम्पल बॉक्स, डेसिकेटर या कुछ विचित्र से दिखाई पड़ने वाले यंत्र लिए हुए अवश्य नजर आते हैं। और ये होते हैं हमारे शोधार्थी, जो कि अपने नव-निर्मित पदार्थों के अभिलाक्षणिक विश्लेषण (कैरेक्टराईजेशन) हेतु एक्स-रे, इलेक्ट्रॉन-सूक्ष्मदर्शी या चुम्बक विज्ञान आदि प्रयोगशालाओं में भ्रमण करते रहते हैं। प्रयोगशाला पहुंचने से पहले आइये समझने की कोशिश करते हैं कि नैनो साइंस है क्या?

नैनो किसी इकाई का एक अरबवां भाग होता है जो अति सूक्ष्मतम है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का दस करोड़वां भाग (10^{-9} मी.) होता है। तुलनात्मक रूप में मनुष्य का एक औसत मोटाई का बाल 1 नैनोमीटर का 1 लाख गुना होता है। प्रायोगिक गणनाओं के अनुसार पदार्थों में निहित दो परमाणुओं के मध्य की दूरी लगभग 0.1 नैनोमीटर होती है। इसे हम 1 आंग्स्ट्रॉम कहते हैं। सरल शब्दों में तकनीकी कौशल के माध्यम से पदार्थों एवं उपकरणों का नैनो स्तर पर प्रबंधन एवं निर्माण ही नैनो तकनीक के अंतर्गत आता है। नैनो तकनीक के सम्बन्ध में प्रथम परिकल्पना (देअर आर प्लेंटी आफ रूम्स एट द बाटम) सन् 1959 में एक भौतिकविद रिचर्ड फेंमन द्वारा की गयी थी। “नैनो टेक्नोलॉजी” शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1974 में प्रो. नोरियो तानिगुची ने किया जो एक अमेरिकन इंजीनियर किम इरिक ड्रेक्सलर द्वारा लिखित पुस्तक “इंजिन्स ऑफ क्रियेशन : दी कर्मिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी” के द्वारा अत्यधिक प्रचारित हुआ। प्रारंभ में नैनो तकनीक एक वैज्ञानिक परिकल्पना मात्र थी जिसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप (एस.टी.एम.) की खोज ने वास्तविकता में बदल डाला। इसकी सहायता से न केवल परमाणु को देखा जा सकता है बल्कि इसका प्रबंधन भी किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास दिखाई देने वाले सभी पदार्थ, पेड़-पौधे यहाँ तक कि हम सभी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह किसी भी पदार्थ में निहित सूक्ष्मतम इकाई होती है। विभिन्न पदार्थों में इन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न-भिन्न हो सकती है। ये व्यवस्थाएं घनाभ, आयताकार, षट्कोणीय इत्यादि हो सकती हैं जो प्रमुख रूप से 7 प्रकार की होती हैं।

इन प्रकारों के अनुरूप किनारों पर, मध्य में अथवा सतहों के मध्य में परमाणु या उनके समूह (मोटिफ) स्थित होते हैं। परमाणुओं की ये विभिन्न संरचनायें इकाई कोषाणु (यूनिट सेल) कहलाती है जो त्रिआयामी बिंदु क्रम (स्पेस लैटिस) में अपनी पुनरावृत्ति करती है। इकाई कोषाणु की इस



पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है एवं दिखाई देने वाले विभिन्न क्रिस्टलाइन पदार्थ इन्ही क्रिस्टलों का समूह होते हैं। विभिन्न पदार्थों के अभिलक्षण उनकी इकाई कोषाणु की संरचना पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं किन्तु दोनों के इकाई कोषाणु की संरचना में अंतर होने के कारण दोनों पदार्थों के गुणधर्म भिन्न होते हैं। जहां हीरा अभी तक उपलब्ध पदार्थों में सबसे कठोर है वहीं ग्रेफाइट अत्यंत नरम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा नहीं। हीरे की यूनिट सेल घनाभ होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु चतुष्फलक पर स्थित अपने निकटतम चार परमाणुओं, जो कि बराबर दूरी पर होते हैं, के साथ मजबूत बंध बनाते हैं। इस दृढ़ संरचना से किसी भी परमाणु के न निकल सकने के कारण ही हीरा इतना कठोर होता है। जबकि ग्रेफाइट के इकाई कोषाणु की संरचना षट्कोणीय प्रकार की होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपनी ही परत में स्थित एवं निकटतम तीन परमाणुओं के साथ तो मजबूत बंध बनाते हैं किन्तु विभिन्न परतों के मध्य का बंध काफी कमजोर होता है जिससे ये परतें परस्पर गति कर सकती हैं और यही ग्रेफाइट को नरम बनाती है। यदि किसी प्रकार हम सीस पेन्सिल में स्थित ग्रेफाइट के परमाणविक स्तर तक पहुंच कर इसके षट्कोणीय इकाई कोषाणु को घनाभ रूप में (हीरे के सामान) व्यवस्थित कर दें तो यह हीरे में तब्दील हो जायेगा। सामान्य शब्दों में पदार्थों के परमाणविक स्तर पर पहुंच कर कारीगरी करना ही नैनो तकनीक के अंतर्गत आता है।

नैनो तकनीक किसी विशिष्ट इंजीनियरिंग या विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र नहीं वरन कई प्रकार की तकनीकों, प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण का समूह है, जिसके अंतर्गत नैनो मटीरियल्स, “नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स”, नैनो मैकेनिक्स, नैनो मेडिसिन्स इत्यादि विषय आते हैं। ये सभी विषय भले ही अलग-अलग हैं किन्तु इन सभी में जो समान है वह है मापन का पैमाना। सर्वमान्य धारणा के अनुसार नैनो तकनीक का कार्यक्षेत्र 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य का होता है। 100 नैनोमीटर से ऊपर का मापन क्रमशः माइक्रो एवं मेक्रो-स्केल (प्रचलित बड़ा पैमाना जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं) के अंतर्गत आता है, साथ ही 1 नैनोमीटर से नीचे का पैमाना अॅटामिक स्केल कहलाता है।

देखा गया है कि 100 नैनोमीटर के नीचे जाने पर पदार्थों के गुण एवं अभिलक्षण आश्चर्यजनक रूप से बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर नैनो स्केल पर तांबा पारदर्शी हो जाता है। चांदी के नैनो चूर्ण के एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होने का पता चला है। कई दवाओं में इसके प्रयोग के साथ साथ इस पर अनेकों वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं। नैनो स्केल पर पदार्थों के स्वभाव में होने वाले इस परिवर्तन के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला है “क्वांटम मेकेनिकल प्रभाव” जो कि अत्यंत लघु विस्तार पर कार्य करता है। दूसरा है “पृष्ठक्षेत्र एवं आयतन का अनुपात” बढ़ जाना। यह अनुपात पदार्थों की क्रियाशीलता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि यदि एक बड़े लड्डू को तोड़कर कई छोटे-छोटे लड्डू बना दिए जाएँ और सभी छोटे लड्डूओं के सतह के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाये तो यह उस बड़े लड्डू के सतह के क्षेत्रफल से बहुत अधिक होगा। इस प्रकार नैनो स्तर पर पदार्थ की बाहरी सतह से परमाणुओं की दूरी बहुत ही कम होगी एवं ये परमाणु उच्च ऊर्जा अवस्था (हाई इनर्जी स्टेट) को प्राप्त करके पदार्थ के गुण-धर्म को अत्यधिक प्रभावित करेंगे। यही कारण है कि धातु उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता उनके कणों का आकार घटाने पर बढ़ जाती है। सोना जो कि मेक्रो स्केल पर रासायनिक रूप से अक्रिय धातु है, नैनो स्केल पर न केवल अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है बल्कि इसका गलनांक भी कम हो जाता है। संक्षेप में नैनो तकनीक, पदार्थों के नैनो विस्तार पर नियंत्रित प्रबंधन कर विशिष्ट गुण-धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करने की अनूठी तकनीक है। और बातों ही बातों में हम आ पहुँचे हैं “नैनो अभियांत्रिकी पदार्थ प्रयोगशाला” यानी अपनी मंजिल तक। अरे! यहाँ तो माइक्रोवेव ओवेन भी रखा हुआ है? न...न... अपनी स्वादेन्द्रिय को गीला मत होने दीजिए। ये खाना पकाने के लिए नहीं है। इसका उपयोग ग्रेफाइट के अपपर्णन (एक्सफोलिएशन) के लिए किया जाता है। इसमें ग्रेफाइट की मोटी पर्त को नैनो स्तर की असंख्य पर्तों में विभाजित किया जाता है, जिसे ग्रैफीन कहते हैं। इसे बनाने के लिए गंधक अम्ल एवं पोटेशियम परमैंगनेट जैसे अभिकर्मक के उपयोग से ग्रेफाइट का आक्सीकरण किया जाता है जो इसकी परतों के बीच की दूरी बढ़ाने में सहायक होता है। ग्रेफाइट ऑक्साइड माइक्रोवेव्स का अच्छा अवशोषक है।

डीऑक्सीजेनेशन क्रिया को सक्रिय करने के लिए अल्प मात्रा में ग्रैफीन मिलाकर इसे माइक्रोवेव ओवेन में रख दिया जाता है। इस तरह ग्रेफाइट के असंख्य परतों में टूटने से एकल परमाणु पर्त वाली ग्रैफीन प्राप्त हो जाती है। इस पर्त की मोटाई एक सामान्य पेपर का एक लाखवाँ भाग या उससे भी कम हो सकती है। यह कार्बन का द्विआयामी अपरूप (टू डायमेंशनल एलोट्रोप) है। द्विआयामी इसलिए क्योंकि नैनो स्तर पर होने के कारण इसकी मोटाई नगण्य होती है। यह अद्भुत रूप से हल्का और मजबूत पदार्थ है जिसकी उष्मा चालकता (थर्मल कन्डक्टिविटी) एवं इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी अन्य पदार्थों के मुकाबले बहुत अधिक होती है। इस तरह उपयोग की दृष्टि से यह पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, अधिक दक्षता वाले सोलर सेल और

मिश्रित-पदार्थों से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। प्रयोगशाला में सी.वी.डी.नामक एक विशिष्ट प्रणाली भी यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। इसमें विभिन्न गैस सिलिंडरों से निकलती हुयी कुछ नलियाँ कांच के कई बल्बों जिनमें नीले एवं सफेद से दिखाई देने वाले पदार्थ भरे हुए हैं, से गुजरती हुयी दिखाई देती हैं। इस प्रणाली का अंतिम सिरा निकलकर एक विद्युत भट्टी में जाता है एवं भट्टी के दूसरे सिरे से किसी गैस के लगातार हो रहे रिसाव का आभास मिलता है। इसे समझने में हमारी मदद की यहाँ के एक वरिष्ठ शोधार्थी ने। यह है रासायनिक वाष्प निक्षेपण प्रणाली (केमिकल वेपर डिपोजीशन सिस्टम)। इस प्रणाली के उपयोग से यहाँ प्रायोगिक स्तर पर सी.एन.टी. (कार्बन नैनो ट्यूब) का निर्माण किया जाता है। सी.एन.टी. वास्तव में ग्रैफीन की पर्त का नलीनुमा प्रतिरूप है, जिसका व्यास 1 से 50 नैनोमीटर तक हो सकता है। यह आधुनिक विज्ञान के लिए एक रोमांचकारी पदार्थ है जो स्टील से कई गुना मजबूत एवं हीरे से भी अधिक सामर्थ्य वाला है। अन्य फाइबर पदार्थों की तुलना में यह अत्यधिक कठोर एवं साथ ही साथ विद्युत एवं ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। इसे बनाने के लिए किसी हाईड्रोकार्बन गैस को क्रमशः सिलिका जेल एवं कैल्सियम क्लोराइड जैसे नमी एवं अशुद्धि शोषक पदार्थों के बल्बों से गुजारते हुए एक विद्युत भट्टी में प्रवाहित किया जाता है। इस भट्टी का तापमान 600 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जहाँ हाईड्रोकार्बन अपने अवयवों में विखंडित हो जाता है। आयरन, कोबाल्ट या निकिल जैसे किसी उत्प्रेरक को भट्टी में रखा या प्रवाहित किया जाता है, जिन पर कार्बन वाष्प के लगातार जमा होने से सी.एन.टी. ग्रो करती है। वायु की क्रियाशीलता से बचाने हेतु यह सारी प्रक्रिया निर्वात या किसी अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन की उपस्थिति में की जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन की इन नैनो नलियों का निर्माण एक स्वतः प्रक्रिया के रूप में होता है जिसमें पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यानी कि परमाणु लगातार जुड़कर नयी रचना करते हैं इसलिए नैनो साइंस की भाषा में इसे “बाटम अप एप्रोच” कहा जाता है। इसी तरह ग्रेफाइट की पर्त को अपपर्णन के द्वारा असंख्य नैनो परतों में विभाजित कर ग्रैफीन बनाने की प्रक्रिया को “टॉप डाउन एप्रोच” कहते हैं। अत्यधिक हल्का और मजबूत पदार्थ होने के कारण सी.एन.टी. का उपयोग हल्की और अत्यधिक मजबूत कारों, वायुयान एवं स्पेस एलीवेटर से लेकर अनेक कार्यों में किया जा सकता है।

तुलनात्मक रूप से अजीवित पदार्थों के लिए नैनो तकनीक नयी हो सकती है परन्तु जीवित के क्षेत्र में नैनो तकनीक नयी नहीं है। उदाहरण स्वरूप हमारा शरीर विशिष्ट क्रम में स्थित असंख्य जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि एंजाइम्स की बारीक एवं उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के उपयोग से विभिन्न परमाणुओं एवं अणुओं को जीवनोपयोगी जटिल माइक्रोस्कोपिक संरचनाओं में परिवर्तित करते हैं। इन जीवित प्राकृतिक पदार्थों में अत्यधिक दक्षता एवं क्षमता समाहित होती है।

जैसे कि सौर ऊर्जा को सोखने की क्षमता, खनिज द्रव्यों एवं पानी को जीवित

तकनीकी यात्रा

कोशिका में बदलना, तंत्रिका कोशिका में विशाल आंकड़ा-भण्डारण एवं इसका संचालन, डी.एन.ए. अणु में संचित असंख्य बिट जानकारी की कुशलतापूर्वक प्रतिकृति तैयार करना इत्यादि। नैनो तकनीक अभी अपनी आरम्भिक अवस्था पर है, समय के साथ इसके प्रयोग के द्वारा वर्तमान उद्योगों में नाटकीय बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्बन, सिलिकन एवं हाइड्रोजन जैसे बहुतायत में पाए जाने वाले पदार्थों के अणुओं को इच्छित विन्यास के रूप में प्रबंधित कर नैनो संरचना वाले ऐसे पदार्थ तैयार किये जा सकेंगे जो प्रत्येक विशिष्ट उपयोग के लिए सटीक एवं वांछित गुणों वाले होंगे। इन पदार्थों के निर्माण के लिए बड़ी बड़ी मशीनों, चिमनियों या अत्यधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, वरन इनकी वृद्धि रासायनिक उत्प्रेरकों एवं कृत्रिम विकर (सिंथेटिक एंजाइम) के साथ संयोजित कर अथवा सांचागत (पैटर्निंग) एवं स्वतः निर्माण (सेल्फ एसेम्बलिंग) जैसी नयी तकनीक के द्वारा पूर्व निर्धारित प्रारूप में की जा सकती है। नैनो तकनीक भविष्य की कुंजी है, और कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले समय में यह विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये। तो क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम आधे मनुष्य और आधे यंत्र हो जायेंगे और भुलक्कड़ लोगों के लिए एक छोटी सी मैमोरी चिप शरीर में प्रत्यारोपित की जाएगी, जो हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित हो सकेगी?

सोमनाथ डनायक
अधीक्षक



क्रोध

क्रोध शांतिभंग करनेवाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध-प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुःख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करनेवाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है, वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के वचन सहते हैं। दुनियादारी में भी लोग न जाने कितनी ऊँची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिह्न दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है।

संतवचन



प्रश्न - आवश्यकता और कामना में क्या अंतर है?

उत्तर - आवश्यकता अविनाशी की होती है और कामना नाशवान की होती है। जैसे सड़क में कोई गड्ढा पड़ जाये तो उस पर मोटर लचकती है; अतः उस गड्ढे को मिट्टी, पत्थर आदि किसी चीज से भरकर सम कर दें तो मोटर नहीं लचकेगी, ऐसे ही शरीर को भूख लगने पर उसकी पूर्ति कर देना आवश्यकता है। भूख मिटाने के लिए चाहे साग-पत्ती खा लें, चाहे हलवा-पूरी खा लें, जिससे पेट भर जाय। परन्तु अमुक चीज चाहिए, मिठाई चाहिए-यह कामना है। आवश्यकता की पूर्ति होती है और कामना की निवृत्ति होती है। कामना की पूर्ति किसी की भी कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं।

स्वामी रामसुखदास

कार्यालयीन उपयोगी टिप्पणियाँ

कार्यसाधन ज्ञान

Working Knowledge

धन्यवाद प्रस्ताव

Vote of Thanks

प्रवेश साक्षात्कार

Walk -In- Interview

अनुचित हस्तक्षेप

Undue Interference

कार्य पंजिका

Log Book

प्रशासनिक अनुमोदन

Administrative Approval

शीघ्र निपटान

Speedy Disposal

नियमों की भावना

Spirit of Rules

प्रेक्षक

Observer

परिलब्धियाँ

Emoluments

सर्वाधिकार सुरक्षित

All Rights Reserved

प्रतिहस्ताक्षर

Counter Signature

संपर्क

राजभाषा प्रकोष्ठ

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (उ.प्र.)

दूरभाष-0512-6797122, 6796192

ईमेल-blohani@iitk.ac.in, vedps@iitk.ac.in

sunitas@iitk.ac.in

<http://www.iitk.ac.in/infocell/iitk/newhtml/Antas/>

रसानुभूति (हारय-रस)

ज्वलनशील

दूल्हा

अपनी नई-नवेली दुल्हन के साथ
ज्यों ही पहली बार सरकारी बस में चढ़ा
रिवर्स गेयर की तरह फौरन नीचे उतर पड़ा
माथे से पसीना पोछ रहा था
पागलों की तरह सिर फोड़ रहा था
हमने कहा—

भैये, डर गए?

क्या समय से पहले ही मर गए?
अरे दुल्हन से अभी से इतना न डरें।

दूल्हा बोला—

ऐसी बात नहीं है,
सरकारी बस में लिखा है कि
ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें।

प्रकाश प्रलय



SOLAR PRESS # 9839030542



अभिकल्प-सुनीता सिंह